12.44 Hrs.

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 366 *RE.* BONUS FOR EMPLOYEES OF ASHOKA HOTEL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : In reply to Supplementary questions to Starred Question No. 366 answered on the 30th November, 1967, regarding bonuses for employees of Ashoka, Janpath, Ranjit and Lodhi Hotels, I informed the Lok Sabha that in Hotel Janpath a bonus of 10% was given, whereas in Ranjit and Lodi Hotels, only 4% bonus was given. The factual position is that in all the three hotels, namely, Janpath, Ranjit and Lodhi, a 10% bonus was given since all the employees were under the Janpath Hotels Limited which controls all the three hotels.

MR. SPEAKER : The Home Minister.

12.44½ Hrs.

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL AND RESOLUTION *RE.* OFFICIAL LANGUAGES

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Sir, I beg to move : (*Interruption*).

SHRI RAM SEWAK YADAV : ***

MR. SPEAKER : Nothing will be taken down.

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : Nothing will be taken down. (*Interruption*). Order, order. Points of order are being raised now. When the Bill was introduced the other day, points of order were raised. I permitted them and the points of order were discussed, in regard to this Bill. The legality and the constitutionality of the Bill were discussed. Now, today, to raise points of order again is not proper. I am not going to allow it, because on that day, I had allowed everybody to speak.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है, आप मेरी बात सुनिये .....

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : आप पहले इनकी बात सुनिये । आप पहले ही मना कर रहे हैं ।

MR. SPEAKER : Mr. Limaye has written to me already. He cannot spring a surprise on me like that. He has written to me. (*Interruption*). have allowed all of you.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : You did not allow me. I was not even present then. Hon. Members are within their right to make points of order.

MR. SPEAKER : I have allowed all the Members, individually.

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, कोई नया प्वाइन्ट भी हो सकता है । अगर आज मैं एक प्वाइन्ट उठाता हूं, कल दूसरा भी उठा सकता हूं—यह मेरा अधिकार है, आपको रोकना नहीं चाहिये, यह रूल्ज के मुताबिक है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा यह कहना है कि जैसा अभी आपने कहा कि जिस दिन यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ था, उस दिन इस बिल में अगर कोई असंवैधानिक बातें थीं तो उस दिन उन पर विचार कर लिया गया था और उनके आधार पर यह निर्णय कर लिया था कि इस बिल को विचार के लिये प्रस्तुत किया जाय, लिहाजा अब उस विषय पर कोई बात नहीं सुनी जा सकती । शायद आप यही बात कहना चाहते थे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में कोई असंवैधानिक बाधा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस बिल के साथ गृह मंत्री जी ने जो एक संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में क्या असंवैधानिकता है, उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहता

*** Not recorded.

हूं । इस सदन की यह परम्परा है कि दो तरह के संकल्प यहां आते हैं—एक वे होते हैं जो गैर-सरकारी सदस्यों की ओर से आते हैं और दूसरे वे होते हैं जो सरकारी पक्ष की ओर से आते हैं—इस तरह से जो सरकारी पक्ष की ओर से आते हैं और दूसरे जो गैर-सरकारी सदस्यों की ओर से आते हैं—उनमें अन्तर होता है । इस संकल्प में दो शब्द इस प्रकार के हैं जिनसे संविधान की जो शपथ आपने ली है और जो शपथ इस सदन के 550 सदस्यों ने ली है—उसको दृष्टि में रखते हुए, आपका भी कर्त्तव्य है और हमारा भी कर्त्तव्य है कि इस संविधान की पवित्रता की रक्षा करें । अगर इस संकल्प में कोई इस प्रकार का शब्द है जिससे संविधान की मूल भावनाओं को आघात पहुंचता है या जो उसके विपरीत हैं, तो मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि इस प्रकार का संकल्प इस सदन में प्रस्तुत हो सकता है या नहीं ?

पहली बात तो यह है कि इस संविधान की धारा 383 को आप पढ़ें, जिसके अन्तर्गत यह निश्चय कर दिया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है । अब इस संकल्प की पहली पंक्ति में यह है (अगर इसका हिन्दी अनुवाद सही है तो) संविधान के अनुच्छेद 383 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिन्दी होगी । अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि संविधान के अनुसार और 1965 के राज-भाषा संशोधन विधेयक के अनुसार भी सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि संघ की राज-भाषा हिन्दी है । जब सरकार इसको स्वीकार कर चुकी है और संविधान के अन्तर्गत यह है तो इस संकल्प में ये शब्द नहीं आ सकते कि राज-भाषा हिन्दी होगी । इसका अभिप्राय यह है कि सरकार नये सिरे से इस चेप्टर को फिर खोलने जा रही है, जो कि असंवैधानिक है ।

दूसरी बात यह है कि इसी संकल्प में एक स्थान पर यह लिखा है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के सम्बन्ध में देश के किसी भाग के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा । वहीं पर एक शब्द यह लिखा गया है—आप अन्तिम पैरे से ऊपर पढ़ें । यदि यह हिन्दी अनुवाद सही है तो—कि उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी का ज्ञान अनिवार्यत: अपेक्षित नहीं होगा । जब संविधान के अनुसार हिन्दी इस देश की राजभाषा हो गई है और सह-भाषा के रूप में ही केवल अंग्रेजी है तो आज गृह-मंत्री या प्रधान मंत्री या कोई भी सरकार पहले संविधान में संशोधन करे । संविधान में संशोधन करके इस बात को कहे कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी प्रमुख भाषा है । लेकिन जब तक ऐसा संशोधन नहीं होता है और 1965 के बाद से अंग्रेजी प्रमुख भाषा नहीं है । इस देश की राजभाषा केवल हिन्दी ही है, तो कोई भी संकल्प सरकार की ओर से इस प्रकार का नहीं आ सकता जिसमें यह हो कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये हिन्दी को अनिवार्यता नहीं होगी । इन दोनों प्रश्नों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दोनों बातें असंवैधानिक हैं, संविधान की धाराओं के विपरीत हैं ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि नेहरू जी के आश्वासन के आधार पर ऐसा करना पड़ रहा है । इस समय विस्तार से तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि नेहरू जी की अपेक्षा संविधान बड़ा है, नहरू जी संविधान से बड़े नहीं हैं ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि यह जो विधेयक प्रस्तुत है—इस विधेयक को हम संवैधानिक मानते हैं या असंवैधानिक मानते हैं, इस पर जब चर्चा चलेगी, तब इस को उठाया जा सकता है तथा मैं यह भी जानता हूं कि माननीय प्रकाशवीर शास्त्री ने जो इस पर आपत्ति

[श्री राम सेवक यादव]

उठाई है, इसके लिये भी आप यही तर्क देंगे कि इस पर चर्चा होने वाली है । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे यह विधेयक हो या जो प्रस्ताव माननीय गृह-मंत्री जी ने रखा है, दोनों संविधान की व्यवस्था, मंशा, सब के विपरीत हैं, उस की मंशा और व्यवस्था के खिलाफ हैं । इस में सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की मंशा का सहारा लिया गया है और मैं साफ कहना चाहूंगा, इस सदन में आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि क्या किसी व्यक्ति विशेष की मंशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी बड़ी हो सकती है और जब कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था हो । राष्ट्रपिता ने कहा था—अगर मेरे हाथ में तानाशाही के अधिकार हों, तो मैं एक क्षण में अंग्रेजी को खत्म कर दूं ।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने इस विधेयक द्वारा राजभाषा पद पर अंग्रेजी को कायम रखने का प्रयास किया है और हम देख रहे हैं कि सरकार के इस कुप्रयास का हर जगह किस तरह विरोध हो रहा है और आम जनता में इस को लेकर किस कदर एक व्यापक असन्तोष की लहर फैल रही है और मैं कहना चाहता हूं कि यह जो घटनाएं घट रही हैं उस के लिये यह केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है चाहे वह घटनाएं बिहार में घट रही हों या उत्तर-प्रदेश में घट रही हों या और कहीं घट रही हों..... (व्यवधान)

MR. SPEAKER : Is the hon. Member making a speech ? Mahatma Gandhi does not come in the point of order.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं किसी के बोलने में कोई बाधा नहीं डालूंगा हां वे लोग जिनकी कि मातृभाषा हिन्दी है वे यदि अंग्रेजी में बोलते हैं तो बात और है ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो लोग कह रहे हैं कि हम हिन्दी लादना चाहते हैं तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि ऐसी न तो हमारी मंशा है और न इरादा है । हम किसी के ऊपर हिन्दी लादना नहीं चाहते । साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब देश की एकता का प्रश्न उठाया जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर देश की एकता के लिए अंग्रेजी के बनाये रखने की बात होगी.....

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : Sir, it is not a question of one man. It is a question of unity of India. If you want us in the Indian Union you will have to give us our due rights. You cannot ride over us. You cannot be imperialists over us. We would not allow it. We are not here by anybody's courtesy. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Order, order. It is a point where tempers will rise high. Still, when you have an opportunity to discuss, everybody must be given an opportunity to express his views.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : आप यह राजभाषा (संशोधन) विधेयक वापिस करवा दें तो सब ठीक हो जायेगा वरना गड़बड़ी और भी बढ़नें वाली है ।

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : This point of order was raised and discussed the other day. Every day the same point is raised.

Every day we cannot allow it. There is a limit to everything.

MR. SPEAKER : A point of order has been raised. Ample time has been given for this Bill. It is not that all the 522 Members will speak on this. Twelve hours have been allotted for this Bill. Again the Business Advisory Committee is meeting today at 4.45 P.M. We will be discussing again about the time and all that. Therefore, if one section tries to disturb the other section it leads us nowhere. Shri Prakash Vir Shastri has raised a point of order. Whether Shri Yadav is supporting it or opposing it I do not yet know. He is still on Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai and others. When he comes to the point of order we will know. I would

now request him to come to the point of order. Let us quietly hear him. Let not anybody disturb when others are speaking. Everybody has to place his point of view.

श्री रामसेवक यादव : हमें डर है कि कभी यह भी कहा जायेगा कि विदेशी हुकूमत करो तभी देश एक रहेगा । मैं यह कह रहा हूं कि सारे देश में इस प्रश्न को लेकर जो भाषा सम्बन्धी चीज आज से बहुत पहले सन् 50 में तय हो गई थी, संविधान में वह स्पष्ट तौर पर लिख दी गई थी आज इस विधेयक को लाकर उस में सरकार आग लगा रही है । यह जो व्यापक असन्तोष सर्वत्र फैल रहा है उस के लिये केन्द्र जिम्मेदार है । यह जो भाषा विधेयक भारत सरकार के गृह मंत्री ने रखा है उस को लेकर सारी दिल्ली की जनता में विक्षोभ है, एक असन्तोष है । कल दिल्ली में सब जगह हड़ताल थी और कल जनता के चुने हुए नुमायन्दों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है । इसलिये पहले तो यह जो सारे वातावरण को आग लग गई है उस पर सारे कामकाज को रोक कर बहस होनी चाहिये । उस के बाद इस बात पर विचार किया जा सकता है कि विधेयक पर विचार हो सकता है या नहीं लेकिन पहले उस हमारे कामरोको प्रस्ताव पर चर्चा की जाये ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोंडा) : शास्त्री जी ने जिन दो बातों की तरफ ध्यान दिलाया है उन दोनों के विषय में मैंने संशोधन दिये हैं और मैं आशा करती हूं कि उन को वह मंजूर करेंगे ।

श्री मधु लिमये : अभी संशोधनों का सवाल नहीं है बल्कि व्यवस्था का सवाल है ।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अभी सुचेता जी ने कहा कि उन्होंने संकल्प के सम्बन्ध में दो सुझाव भेजे हैं । मेरा आप से निवेदन है कि प्रकाशवीर शास्त्री जी के मतानुसार कि जिस मत का मैं समर्थन करता हूं, यानी संकल्प ही गैर-कानूनी है । अगर संकल्प गैर-कानूनी है तो उस में सुधार का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । आप को पता है कि उस संकल्प के आरम्भ में जो कुछ कहा गया है और उस के बाद जो कुछ कहा गया है वह दोनों बातें ऐसी हैं कि जिससे संकल्प गैर-कानूनी, अनकांस्टीट्यूशनल, संविधान के विरुद्ध सिद्ध होता है । इस लिये मेरा निवेदन है कि जब संकल्प ही गैर-कानूनी है, संविधान के विरुद्ध है तब सुधार का प्रश्न कहां से उपस्थित होता है ।

मैंने, जब विधेयक आया, उस समय भी यही बात कही थी और आज मैं फिर कहता हूं । कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं जिनसे केवल दिल्ली में ही नहीं वरन् सारे देश में एक क्षोभ हो गया है । उत्तर प्रदेश में देखिये, दिल्ली में देखिये, सब जगह देखिये इस तरह की घटनायें घट रही हैं और असन्तोष भड़क रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को इस गैर-कानूनी विधेयक के संकल्प को वापिस ले लेना चाहिये ।

MR. SPEAKER : You are the senior-most Member of this House. Yet, you are making a speech on a point of order. Will you kindly sit down. You should set an example to other Members.

SHRI A. K. SEN (Calcutta North West): On this point of order may I make a few submissions ? When the whole Constitution was adopted on the 26th January, 1950; article 343 read that as from the date of 26th January, 1950 the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. If it had been drafted in any other way, say, instead of the word "shall" the word "is" was there, it would have meant that on that day it may be Hindi in Devanagari script but in future it might be something else. So, those who are raising this point of order do not know that they are destroying their own argument. Then, in future it would be open to anybody to change it.... (*interruptions*). They do not know what they are saying.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : बिलकुल गलत बोल रहे हैं ।

श्री य० द० शर्मा : यह बड़े खेद का विषय है कि कानून के पंडित भाषा को तोड़-मरोड़ कर इस तरह का अर्थ कर रहे हैं और उन्हें इस के लिये लज्जा आनी चाहिये.....

SHRI A. K. SEN : Those who drafted the Constitution were able lawyers.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I am speaking on the point of order raised by Shri Prakash Vir Shastri. The Resolution reads like this :

"जबकि संविधान के अनुच्छद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी होगी ।"

13 HRS.

After notice of it was given, I saw some notice of amendment to the effect that for "shall" read "is". This amendment was given notice of by Shrimati Sucheta Kripalani and others. I would only request, let us not quibble on this. Shri Asoke Sen has quoted something; he wanted to prove that the word "shall" is the proper word used, though it says that the language is Hindi. Just to cut short all this, I would suggest that Shri Chavan should accept this amendment and he should move the amended motion. He should say : **भाषा हिन्दी है न कि होगी ।**

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri) : In continuation of what Shri Asoke Sen said, the word "shall" is a mandatory word. When you say, "Thou shall not kill", it means, you will not kill either today or tomorrow. The word "shall" is not for the future; the future is "will". "You will do this" is for the future; "You shall do this" is a mandatory word.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : I rise to support the point of order of Shri Prakash Vir Shastri. In the Constitution the word "shall" has been used. In the English language the word "shall" has a certain connotation. The word "shall" was used when the Constitution was framed and it was said that after 15 years this will come into force; therefore, the words "shall be" were put there. But now the 15 years are over and officially Hindi has become the official language of the country. Therefore when a Resolution is brought forward in 1967 the words "shall be" cannot be used; the word should be "is". We are referring to the Resolution in Hindi, not in the English language. The phraseology and connotation of a particular word in the English language do not apply to Hindi. When a Resolution is given in Hindi, the proper word should be used.

The second point that Shri Prakash Vir Shastri has raised is about the words that anyone entering the service need not have compulsory knowledge of Hindi. When Hindi is the official language, how can a man enter the service of the country without the knowledge of Hindi ? Therefore, this also is unconstitutional.

On both these counts the point of order of Shri Prakash Vir Shastri should be upheld.

SHRI A. K. SEN : The real difficulty is.....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why should he speak again ?

SHRI A. K. SEN : ..... because of wrong translation of the English word "shall" in Hindi. It should have been translated as "rahegi" instead of "hogi". "Rahegi" would have been the proper translation.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस में मुझे काफी वजन नजर आता है । यह बात सही है कि प्रस्ताव में जो यह शब्द इस्तेमाल किया गया कि हिन्दी भाषा होगी वह हमारे संविधान की आत्मा के प्रतिकूल है । इसी प्रकार श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी वह भी हमारे संविधान की आत्मा के विरुद्ध है । लेकिन ये दोनों बातें पूरे प्रस्ताव के दो छोटे-से अंश हैं इसलिये जब हम इस प्रस्ताव पर विचार करें उस वक्त यदि श्री प्रकाशवीर शास्त्री कहें कि इनमें ये संशोधन किये जायें क्योंकि ये अंश संविधान के खिलाफ हैं तो मेरा विश्वास है कि सरकार को उन संशोधनों को स्वीकार करना

पड़ेगा और हम उनका समर्थन करेंगे । लेकिन चूंकि ये दो भाग संविधान की आत्मा के खिलाफ हैं इस आधार पर यदि यह कहा जाये कि पूरा का पूरा संकल्प जो है उस पर विचार ही न करें, और यह सदन या सदन के अधिकारों की परिधि के बाहर है तो इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं । इसलिये मैं उन से निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव पर बहस को वह चलने दें ।

MR. SPEAKER : Now we are adjourning for lunch and at 2 o'clock we will begin the discussion on the Bill and the Resolution and the technicalities also.

13.05 hrs:

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL AND RESOLUTION *RE.* OFFICIAL LANGUAGES—*Contd.*

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, I want to raise a point of order.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY SPEAKER : All of you please resume your seats. I will permit everyone.... (*Interruptions*) Please resume your seats. Let us follow the procedure.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, no. I was in the House when the points of order were being raised. I am following a procedure under Rule 376 that we are following here. If I have followed correctly, the Home Minister just referred to the Bill. The Resolution was not placed before the House and before that some points of order were raised on the Resolution. (*Interruptions*).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस में लिखा है कि बिल और रेजोल्यूशन एक साथ लिये जायेंगे ।

SHRI MANOHARAN *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may please resume his seat. He is quite meticulous about procedures. He may resume his seat. Let the Home Minister move the Resolution and before he makes a speech or I say that the discussion might start, I will permit the hon. Member. Let the Home Minister first move the Resolution because, as it is, there is nothing before the House.

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को बुलाने से पहले मेरा निवेदन सुन लें । मेरा काम रोको प्रस्ताव है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not fair. All the hon. members may please resume their seats. Let the Home Minister move his Resolution first.

SHRI MANOHARAN (Madras North) : I have nothing to do with the Bill..... (*Interruptions*).

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : All the hon. members may please sit down. Let the Home Minister move his Resolution first...

SHRI MANOHARAN : I have nothing to do with the Bill. Please allow me to speak. . . .

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने सब से पहले पायंट आफ़ आर्डर उठाया था । आप मुझे पायंट आफ आर्डर उठाने की इजाजत दीजिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will permit him later. Let him move the Resolution.

SHRI MANOHARAN : I have nothing to do with the Bill. I just want to draw the attention of the hon. Home Minister to this fact. I have just now received information that the Madrasi Schools in Delhi have been raided by the student population in Delhi..

AN HON. MEMBER : Bengali Schools also.

SHRI MANOHARAN : Yes, Bengali Schools also, and certain students of South Indian origin have been attacked here....

श्री मधु लिमये : बहुत बुरा हुआ ।

SHRI MANOHARAN : I can prove this.

Three days back, three MLAs from Madras came to attend a Co-operative Conference in Delhi and they wanted to go to Agra; on the way, these people were beaten down and the name-plate was removed. I am told that the next target of attack is the Members of Parliament representing South India....(*Interruption*). The Home Minister may give us protection....(*Interruption*) I cannot understand this. This is the position.

श्री मधु लिमये : पहले हम मार खायेंगे । मानीय सदस्य न घबरायें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं । यह ग़लत बात है । किसी ने ऐसा नहीं किया है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Manoharan has related certain incidents and the Home Minister will take note of them. He may now move his Motions.

SHRI NAMBIAR : I have seen the boy beaten. A boy living in my house came back beaten from the school....

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Home Minister may move his Motions.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I move :

"That the Bill to amend the Official Languages Act, 1963, be taken into consideration."

I also move the following Resolution :—

('WHEREAS under the article 343 of the Constitution Hindi shall be the official language of the Union, and under article 351 thereof it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India;

This House resolves that a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi, and its progressive use for the various official purposes of the Union, and an annual report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both Houses of Parliament, and sent to all State Governments;

2. WHEREAS the Eighth Schedule to the Constitution specifies 14 major languages of India besides Hindi and it is necessary in the interest of the educational and cultural advancement of the country that concerted measudes should be taken for the full development of these languages;

This House resolves that a programme shall be prepared and implemented by the Government of India, in collaboration with the State Governments, for the coordinated development of all these languages, alongside Hindi so that they grow rapidly in richness and become effective means of communicating modern knowledge.

3. WHEREAS it is necessary for promoting the sense of unity and facilitating communication between people in different parts of the country that effective steps should be taken for implementing fully in all States the three-language formula evolved by the Government of India in consultation with the State Governments;"

"This House resolves that arrangements should be made in accordance with that formula for the study of a modern Indian language, preferably one of the Southern languages, apart from Hindi and English in the Hindi-speaking areas, and of Hindi along with the regional languages and English in the non-Hindi-speaking areas;

4. And, whereas, it is necessary to ensure that the just claims and interests of persons belonging to non-Hindi-speaking areas in regard to the public services of the Union are fully safeguarded;

This House resolves—

(a) that compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi knowledge may be considered essential for the satisfactory

performance of the duties of the service or post; and

(b) that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English shall be permitted as alternative native media for the All India and higher Central Services examinations after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing."

SHRI KANWAR LAL GUPTA : On a point of order, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him conclude.

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, the Bill relates. . .

SHRI KANWAR LAL GUPTA : He is making a speech, Sir.

SHRI Y. B. CHAVAN : I would certainly like to make a few observations.

SHRI KANWAR LAL GUPTA *rose*—

MR. DEPUTY SPEAKER : He is not making a major speech. He is just explaining.

SHRI KANWAR LAL GUPTA AND SHRI NATH PAI *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has resumed his seat. Mr. Gupta, I will permit you. But let us have some order while disposing points of order. No. 1, according the Rule 376, certain specific procedure is there. That must be followed while raising a point of order. I will permit one Member from each Group. If it is repetitive, then, of course, I will have to stop there; otherwise, points of order will be endless.

I will call Mr. Gupta first, and later on call Mr. Nath Pai.

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, आप का धन्यवाद है.....

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga) : Has the Home Minister finished his speech ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He will make his speech later on, but when he has moved the resolution, they have a right to raise a point of order.

L93LSS/67

श्री कंवर लाल गुप्त : जहां तक देश की भाषा का सवाल है.....

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रकाशवीर शास्त्री का प्वाइंट आफ आर्डर खत्म हो गया ?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, this is a point of disorder.

इनको रोकिए

SHRI SHEO NARAIN : Who are you ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Sheo Narain, please resume your seat.

SHRI SHEO NARAIN : Sir, I have a right to speak.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, भाषा के सम्बन्ध में जो व्यवस्था विधान में की गई है वह आर्टिकिल 343 के तहत की गई है और 343 में यह लिखा है :

'The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.'

इसके आगे एक प्राविजो है जिस में लिखा है :

"Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement".

तो यह दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, उसमें यह लिखी गई है कि जब यह विधान बनेगा उसके बाद 15 साल तक अंग्रेजी भी लागू रहेगी और उसके इसके आगे एक तीसरा है : ?

"Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of the English language..... for such purposes as may be specified in the law".

इसमें यह कहा गया है कि 15 साल के बाद भी पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है जिसमें यह कहते हैं कि अंग्रेजी भी कुछ कामों के लिए रह सकती है । इसका

[श्री कंवर लाल गुप्त]

मतलब यह है कि १५ साल तो बीत गए। अब उसके बाद हिन्दी के ऊपर किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। आर्टिकिल में कहा गया है कि अंग्रेजी भी चाहें तो अंग्रेजी भी आ सकती है, कुछ कामों के लिए आ सकती है, यह विधान में है। और दूसरी चीज विधान में यह है कि आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा बनेगी।

उसके बाद आर्टिकिल 344 में यह कहा है कि राष्ट्रपति 5 साल के बाद एक कमीशन बनाएगा। मैं आप की आज्ञा से उसे पढ़ देना चाता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I know that. The hon. Member's point of order now can refer only to that article or section which is referred to in this resolution.

श्री कंवर लाल गप्त : आप मुझे थोड़ा टाइम दें।

आर्टिकिल 344 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति पांच साल के बाद एक कमीशन बनाएगा। उसके बाद दस साल के बाद एक कमीशन बनाएगा। लेकिन एक ही कमीशन बना और इन्होंने विधान को वायलेशन किया। दूसरा कमीशन नहीं बनाया। इसके बाद कमीशन की जो रिपोर्ट आई वह यह है कि यह सदन और दूसरा सदन मिलकर एक कमेटी बनाएगा और उस की सिफारिश होगी। उसके बाद राष्ट्रपति किस प्रकार से आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी आ सकती है 15 साल के बाद या 15 साल तक वह क्या हिदायतें राष्ट्रपति देगा यह आर्टिकिल 344(6) में लिखा हुआ है।

अब इसका मतलब यह है कि विधान बनाने वालों की नीयत यह साफ थी लेटर ऐंड स्पिरिट दोनों में कि आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी आनी चाहिए। पांच साल में आये दस साल में आये। ज्यादा से ज्यादा 15 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी भी 15 साल के बाद कुछ कामों के लिए हो सकती है। मगर अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है और जो प्रस्ताव रखा गया है यह विधान की स्पिरिट के खिलाफ तो है ही साथ ही यह जो 344 (6) में पावर्स दी हुई हैं राष्ट्रपति को उसके ऊपर भी पाबन्दी लगाता है। मैं बताता हूं किस तरह से पाबन्दी लगाता है। पहला बिल भी जो पास हुआ 1963 में भी और इसमें भी जो प्राविजो रखा गया है आखिर में देखिए तीसरा क्लाज है :

'To sub-section 4 of section 4 of the principal Act, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the directions so issued shall not be inconsistent with the provision of section 3".

और सेक्शन 3 में अध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ है कि अंग्रेजी अभी सब परपजेज के लिए होगी। सेक्शन 3 मैं पढ़े देता हूं।

"Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the commencement of the Constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used, in addition to Hindi :

(a) for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day and (b) for the transaction of business in Parliament".

इसका मतलब यह हुआ कि यह जो बिल मंत्री जी ने रखा है उसका कहना यह है कि कोई ऐसी डाइरेक्शन ईश्यू नहीं की जायेगी जिस से कि अंग्रेजी के ऊपर कोई पाबन्दी लगे। यह एक चीज है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल के अन्दर अंग्रेजी रख दिया। एक तो यह है कि सभी चीजों के लिए अंग्रेजी रख दिया। कुछ स्पेसिफिक परपज होना चाहिए। वह स्पेसिफिक परपज इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने कहा कि सब चीजों के लिये है यह विधान के खिलाफ है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : His point of order is concerning the resolution and not the Bill.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am finishing in two minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him clinch the issue and finish.

श्री कंवर लाल गुप्त : दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह साफ तौर से कहा गया है—अंग्रेजी अगर लायी जाये कुछ कामों के लिये तो विधान के अनुसार होगा—लेकिन इस में हिन्दी के लिये पाबन्दी लगाई गई है जो 1965 के बाद इस विधान के मुताबिक हिन्दी पर किसी तरह की कोई पाबन्दी नहीं लग सकती और पाबन्दी इस में लगाई गई है एक राष्ट्रपति के ऊपर और दूसरी पाबन्दी लगाई गई है कि हिन्दी में अगर कोई आदमी पत्र लिखेगा तो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देगा । अध्यक्ष महोदय, 1965 के बाद अगर कोई आदमी हिन्दी में पत्र-व्यवहार करे यूनियन के किसी दफ्तर के साथ तो उसके ऊपर कोई पाबन्दी लगाना कांस्टीट्यूशन की धारा के खिलाफ होगा और इस के अन्दर यह स्पष्ट लिखा है कि 1965 के बाद भी जो उस को अंग्रेजी का ट्रांसलेशन देना पड़ेगा । तो अंग्रेजी में कोई पत्र लिखे उस पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिये यह तो मैं मान सकता हूं, इस में हो सकता है । लेकिन जो हिन्दी में लिखेगा, उस पर अंग्रेजी में भी देने की पाबन्दी होगी, यह संविधान के खिलाफ़ है ।.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have followed his point of order.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : This very point was argued that day. This is repetition.

श्री कंवरलाल गुप्त : दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में जो यह कहा गया है कि रेक्रूटमेन्ट के लिये, यूनियन सर्विस के लिये हिन्दी जरूरी नहीं होगी, अंग्रेजी जरूरी होगी—यह भी विधान की स्प्रिट के खिलाफ़ बात है—हिन्दी पर किसी भी प्रकार की पाबन्दी लगाना, विधान के खिलाफ़ होगा । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव और यह बिल दोनों मेरे ख्याल से संविधान के खिलाफ़ हैं ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि कौन से सवालों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं । यदि हम यह समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि जो सवाल माननीय शास्त्री जी ने उठाया है—उस पर तो आपने अभी कोई निर्णय नहीं दिया । श्री कंवर लाल जी ने जो सवाल उठाया है, मैं उसके महत्व को जानता हूं, मगर जब तक एक सवाल का फैसला नहीं हो जाता, आप उस पर अपना फैसला नहीं दे देते, तब तक दूसरा सवाल नहीं उठाया जा सकता—मेरा अनुरोध है कि आप उस को अपने ध्यान में रखने की कोशिश कीजिये ।

अब जहां तक इस सवाल का सम्बन्ध है जोकि शास्त्री जी ने उठाया है—मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं न उस का समर्थन करना चाहता हूं और न विरोध करना चाहता हूं, परन्तु थोड़ा-कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं । मैं उसके गुण व दोषों की चर्चा करना चाहता हूं

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : प्रकाश तो वे स्वयं हैं।

श्री नाथ पाई : मगर फिर भी कुछ अन्धेरा है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : कुछ अन्धेरा आप को दिखता है ।

श्री नाथ पाई : हां, इसीलिए इस पर रोशनी डालना चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : When a point of order has been raised, he can either support it, sponsor it or oppose it. There is no neutral position which can be adopted so far as procedure is concerned.

SHRI CHANDRA JEET YADAV (Azamgarh) : It will help the chair.

श्री नाथ पाई : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो बात आपके सामने रखी है, उस पर जैसा मेरे अन्य साथियों नें कहा है, मुझे भी कुछ मोह हो रहा है कि वे भी उस पर अपने विचार प्रस्तुत करूं, मगर मैं इस मोह को टालना चाहता हूं । अब जहां तक हिन्दी का सवाल है, हमारी राय जाहिर है—इस देश में रानी की हैसियत पर सिर्फ हिन्दी रहेगी, दूसरी भाषाएं नहीं रहेंगी । अंग्रेजी रहेगी तो दासी के रूप में रहेगी, रानी के रूप में नहीं रहेगी और यह फैसला तो हो चुका है । मैं यह जानता हूं कि कई लोग रानी से दासी को ज्यादा पसन्द करते हैं· · · · · ·

श्री रामसेवक यादव : समाजवाद में दासी नहीं होती है ।

श्री नाथ पाई : हमारी पसन्दी की मोहर हमारे स्वाधीनता संग्राम के काल में ही लग गई थी । हिन्दी का आज का जो हमारे जीवन में स्थान है, वह कानून के द्वारा नहीं बनाया गया है, हमारे लोगों के प्रेम और मोहब्बत के द्वारा बनाया गया है और वह नहीं भुलाया जा सकता है ।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : What do you prefer ?

श्री नाथ पाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी के साथ इस देश में हमारी जो अन्य भाषाएं हैं, जिनको प्रादेशिक भाषायें कहा जाता है, मगर जो प्रादेशिक नहीं राष्ट्रीय भाषायें हैं, ये भाषायें और हिन्दी—ये रानी के पद पर रहेंगी, अंग्रेजी रहेगी तो नौकरानी के रूप में, इन भाषाओं की सेवा और खिदमत के लिये रहेगी । मुझे आशा है कि अब तो आप इससे सहमत हो जायेंगे ।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : Not all India. We do not accept it.

श्री नाथ पाई : अभी शास्त्री जी ने जो बात उठाई है—चूंकि कोई गलतफहमी न हो जाय, इस लिये मैंने इस बात का जिक्र किया—उन्होंने "शल रिमेन" की तरफ़ ध्यान खींचा है । मैं बड़ी नम्रता से उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि "शल रिमेन" हिन्दी के हक में है । अंग्रेज के "शल" का अर्थ आज्ञा है, जिस का उलंघन नहीं किया जा सकता है, यह आज्ञा है, शिरोधार्य है, बाध्य है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, सदा के लिये रहेगी—यह इसका अर्थ है ।
अंग्रेजी के "शल" में जितनी सामर्थ्य है, वे कृपया इस को समझें—इस का अर्थ है, कि यह हमेशा के लिये रहेगी । मगर यह ठीक है कि हिन्दी में जो उस का अनुवाद "होगी" किया गया है, उस में उतनी ताकत नहीं है, इस लिये मेरा सुझाव है कि हिन्दी में "सदा के लिये रहेगी" होना चाहिये । मैं आप जैसा पंडित तो नहीं हूं, परन्तु मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि हिन्दी में इस का अनुवाद "सदा के लिये रहेगी" होना चाहिये· · · · · · · ·

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : "सदा के लिये रहेगी" हो तो मैं उस को स्वीकार करता हूं ।

श्री नाथ पाई : यदि हम इस चीज को मान लें, तो इस व्यवस्था के सवाल पर आप कुछ निर्णय ले सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे विचार प्रकट करने के लिये मौका दिया ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : A point of order was originally raised by Shri Prakash Vir Shastri. That is in my mind, it has not been disposed of, but some members were on their legs already when we adjourned.

Shri Nath Pai has tried to interpret "shall". I will keep that in mind, but I may submit to the House that ultimately, whether it is right or wrong I am stating a fact, the Constitution of this land is in English, and we will have to interpret it as it is in English. Unfortunately it is so, but it is there. I have to interpret that Constitution which is accepted by the Constituent Assembly and finally accepted by the people.

I have followed what Mr. Nath Pai has tried to explain in very lucid Hindi.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : My point of order is that these two things cannot be discussed together. There is the Bill and there is a resolution. The Bill has got its amendments, and the Bill has to be discussed as per the procedure laid down by the Speaker under rule 75, which says :

> (1) On the day on which any motion referred to in rule 74 is made.. the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally, but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles.
>
> (2) At this stage no amendments to the Bill may be moved."

With regard to the resolution, the procedure is quite different. It is governed by rule 173. On the question whether this resolution is in order, constitutional or unconstitutional, I am prepared to agree with my Hindi propagandists.... (*Interruptions*). —they are propagandists—that this resolution is out of order. My point is that this resolution is out of order not only because of the objection raised by Shri Prakash Vir Shastri, because rule 173 says :

> "In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely :—
>
> (i) it shall be clearly and precisely expressed;
>
> (ii) it shall raise substantially one definite issue;
>
> (iii) it shall not contain arguments, inferences...."

But this resolution contains four parts. The first part speaks about the propagation of Hindi, the second part about the development of the 14 languages, the third part about the three language formula and the fourth part about examinations to be held by UPSC. These are four different subjects and there are arguments also in the resolution. For instance, in the first part, the argument is this :

> "WHEREAS under article 343 of the Constitution Hindi shall be the official language of the Unionand under article 351 thereof it is the duty of the Union.".

"The House, therefore, resolves." It first gives the argument and then gives the resolution. It goes on repeating in all the four items. Therefore, even under rule 173 the resolution is not admissible. Granting that, for argument's sake, you are pleased to admit the resolution, even then it cannot be discussed along with the Bill, because rule 177 says clearly that after a resolution has been moved, any Member may, "subject to the rules relating to resolutions, move an amendment to the resolution." There are amendments to the resolution. Any number of amendments are there. There are amendments to the Bill. And there are motions to refer the Bill to a Select Committee. So many things are there.

Now, what happens ? If you allow the Bill to be moved today—as it is being moved—and when the amendments are there, and along with it, the resolution is also moved for which also there are many amendments, what are we to discuss and how can we discuss both ? Under rule 75, the preliminary discussion of a Bill can only be on general terms and not beyond that. Now, if the resolution is also discussed along with the Bill, the resolution is such a big one comprising so many facts—those who discuss the Bill will refer to this point also which is against rule 75. Therefore, these two things cannot go together. I do not find anywhere whether this was the practice. I searched and searched and found nothing to substantiate this procedure, that the Bill and the resolution could go together. I can only request you to see that the Bill be discussed first and the resolution be discussed next; if the resolution is admissible, it may be taken up. If it is not admissible, you can amend or change or do whatever you can. I am not going into the merit of the question at issue, the language question. Though my friends have done it, I am not going into that. I shall reserve my right to discuss it when the question comes up.

Therefore, I say that these two things cannot be discussed together. Kindly dislodge the resolution from the Bill and let the Bill be taken up and discussed as it is introduced. That is my humble submission.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हाउस लंच के लिए उठ रहा था तो मैं खड़ा हो रहा था इसलिए मेरी बात आप सुन लिजीये ।

[श्री शिव नारायण]

केवल एक लफ्ज का झगड़ा है। कांस्टीट्यूशन में 26 जनवरी सन् 1950 को लिखा गया :

"The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script."

मानें कि हमेशा रहेगी, शाश्वत तक रहेगी लेकिन यह जो शब्द "होगी" है इस से संदेह उत्पन्न होता है और मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि यह शब्द "होगी" एक संदेहात्मक शब्द है और उस से एक संशय पैदा होता है। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आप के महकमे में आप के डिपार्टमेंट के लोगों में कितनी बड़ी काबिलियत है कि यह शब्द "होगी" रख कर सब को धोखे और डार्कनैस में रखना चाहते हैं। यह शब्द "होगी" ग़लत है, संदेहात्मक है और होगी के बजाय शब्द "रहेगा, रहेगी" रखना चाहिये जो कि शाश्वत शब्द हैं। मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री का समर्थन करता हूं और साथ ही सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि उन का ट्रान्सलेशन डिपार्टमैंट कितना निकमा है और इस तरह का "होगी" शब्द रख कर वह सब को धोखा देते हैं और लोगों को डार्कनैस में रखते हैं इसलिये मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री का समर्थन करता हूं कि यह शब्द "होगी" को वह वापस ले लें और शब्द "रही है और रहेगी" रक्खा जाये।

SHRI AMIYANATH BOSE (Arambagh) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, under rule 173 of the Rules of Procedure, it is stated that for a resolution to be admissible, one of the conditions to be fulfilled is that "it shall be clearly and precisely expressed." If you come to the operative part of the resolution, you will find that this is how it reads. I am reading clause 4(a) of the resolution :

> "that compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts...."

Up to this, it is clear and it is precisely expressed. Let me proceed further.

> "excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi knowledge may be considered essential"—by whom ?—"for the satisfactory performance of the duties of the service or post."

I submit that in the way it has been framed, it is so ambiguous. Firstly, there is no definition anywhere in the resolution as to what "special services" or "special posts" are. There is no definition as to who should be satisfied that special knowledge of Hindi is required for a particular service or post. Therefore, this is not an admissible resolution.

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated—Anglo-Indians) : So far as the consideration stage—general discussion—is concerned it may be permissible to join the discussion of the resolution with the amending Bill. But I am quite clear very respectfully in my own mind that there is no possible way of joining the discussion on the amendments of the resolution with the discussion on the amendments to the Bill. You will have to separate the two.

एक माननीय सदस्य : इन की राय की कोई क़ीमत नहीं है.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are not following what he says.

SHRI FRANK ANTHONY : That is the trouble.

एक माननीय सदस्य : उन को ही पता नहीं है कि वह क्या कह रहे हैं।

SHRI FRANK ANTHONY : So far as the resolution is concerned, one particular part of it to my mind is *ex-facie* unconstitutional, *i.e.*, the part dealing with the proposal to implement the three language formula. I will read it :

> "Whereas it is necessary for promoting the sense of unity and facilitating communication between people in different parts of the country that effective steps should be taken for implementing fully in all States the three-language formula ...." etc.

Secondary and higher secondary education is a State subject. You cannot purport to arrogate to yourself the power to tell any State whether it should have a two or three-language formula *ex-facie* it is beyond the jurisdiction of this House to come to any purported decision on the three-

language formula with regard to secondary and higher secondary stage. That part of the resolution would be *ex-facie* untenable and outside the jurisdiction of the House.

SHRI NATH PAI : How many points of order are we considering, Sir ? There is first Mr. Prakash Vir Shastri's point of order which is undisposed of. Then there is Mr. K. L. Gupta's point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What I suggest is, first let us dispose of Mr. Shastri's and Mr. Gupta's points of order, because they are more or less similar.

SHRI NATH PAI : The point raised by Shri Anandan Nambiar is *prima facie* a substantial one. That brings us into the problem of procedure to be followed. Today's agenda says that both the Bill and their resolution are to be discussed together. That is perhaps a practical arrangement because the arguments are likely to be repetitive and overlapping, the substance of the resolution and of the Bill more or less converging on the same subject. But the point of order raised by Mr. Nambiar, which draws attention to the rules of procedure here as to how a Bill is to be disposed of and how a resolution is to be disposed of, is a meaningful point. But before we dispose of that, I would like to know what is your guidance and ruling regarding the limited point first raised by Mr. Prakash Vir Shastri. We are getting into a mess.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has partially supported Shri Nambiar, in the first part of his observations, and in the second part he has raised a new point of order.

SHRI NATH PAI : Sir, I have unlimited regard for your ability to grasp so many points at a time, but mine is a limited one and I am getting confused. Will you help me, Sir, by just disposing of one point at a time ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Thank you for this compliment. When I permitted several hon. Members here, on this side and that side, I felt they were either supporting or disapproving the point of order raised by Shri Prakash Vir Shastri. I fully realise that there are now three distinct points of order. I do not think the point raised by Shri Shastri and the point raised by Shri Gupta are two distinct ones. There was a second point of order raised by Shri Nambiar and the third one was raised by Shri Frank Anthony. I want to dispose them of one by one. Let us take the first one, the point raised by Shri Shastri and Shri Gupta. I will now allow only those who want to speak on this point. Does Shri Vikramchand Mahajan want to say something on this point ?

SHRI VIKRAMCHAND MAHAJAN (Chamba) : Yes, Sir, a point of order has been raised that the Bill and the Resolution cannot be discussed together. My submission is that they can be discussed together.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are not on that point now. Shri Prakash Vir Shastri has raised a point of order concerning some sort of contradiction between the article of the Constitution and the Resolution. The hon. Member may confine his remarks to that.

SHRI VIKRAMCHAND MAHAJAN : Sir, my point of order is that the Bill and the resolution can be discussed together.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may resume his seat. That is not the question before us. I have said specifically that I want to dispose of the first point of order about contradiction between the Constitution and the Resolution.

श्री मधु लिमये : मेरी प्रार्थना है कि एक-एक करके आप खत्म करें । इनकी और शास्त्री जी की आपत्ति वैधानिक है । उसका पहले फैसला हो । बाद में प्रक्रिया के बारे में हो ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall call him later on.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : 'Later on' means when ? Last time twice I got up but I was not permitted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He will get his opportunity. I cannot say when. After some time I will call him.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मुझे आप क्षमा करें अगर मैं यह कहूं कि जो शोर मचाता है उसको सुना जाता है । मैं कभी शोर नहीं

मचाता हूं । मैं खड़ा हो रहा हूं और आप देखते ही नहीं हैं .....

MR. DEPUTY-SPEAKER : From your group also *shor machathe hain.* He is not one of them. I am now disposing of the first one. I put him a specific question whether he is supporting or elaborating the point of order raised by Shri Shastri and Shri Gupta.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : आप मुझे आश्वासन दें कि दोनों के बाद आप मुझे समय देंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am now confining to the first point of order wherein it was pleaded that some portions of the resolution contravenes some article of the Constitution.

SHRI MANOHARAN : Please give your ruling and dispose it of.

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, the point of order raised by Shri Prakash Vir Shastri in substance means that only because this part of the Resolution says that, in its Hindi translation "*hogi*" therefore it contravenes the very article of the Constitution. I entirely agree with Shri A. K. Sen and Shri Nath Pai as far as the English part of it is concerned, because 'shall be' really speaking means a continuous process. It is a thing which will stay there permanently, that is the connotation of the word. A difficulty was raised about translation. I have no objection in accepting the amendment. But I would like to make one point clear. Some people did say that it was a careless translation. I may say for the information of the House that if they see the Hindi translation of the Constitution itself, which was done under the Resolution of the Constituent Assembly under the Chairmanship of Dr. Rajendra Prasad, there article 343 is translated in Hindi as :

संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।

श्री नाथपाई : होगी के बजाय रहेगी ।

SHRI Y. B. CHAVAN : I am not opposing the suggestion that is made here. The point I am making out here is that when this translation in Hindi of this Resolution was made, it was not carelessly made; it was based on something. Now, if you think that some of the Hindi words in the original translation are imprecise and that now in Hindi the precise connotation will have to be used..... (*interruptions*) So, I am prepared to accept the suggestion made by hon. friend.

होगी के बजाय रहेगी, सदा के लिये रहेगी ।

I have no objection for that. Therefore, my main point is that the point of order that the Resolution is against the Constitution is not valid. That is the first thing. Secondly, some hon. Members raised the point whether the two resolutions can be discussed together etc.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That we will take up later. One point he raised in continuation of the point on translation was that the Resolution contravenes some section of the Bill.

SHRI Y. B. CHAVAN : About the Bill itself. I would say that the same point of order was raised by the hon. Member, Shri Limaye, when the Bill was being introduced. That point was discussed at that stage and I think a ruling came from you that it is not a valid point of order. Because, really speaking, the Constitution says that it should be specifically indicated as to for what purposes English should be used. Here we have specifically stated for what all purposes it would be used. So, it satisfies the provisions of the Constitution.

श्री कंवरलाल गुप्त : आप हिन्दी पर कैसे पाबन्दी लगा सकते हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पूर्व इसके कि आप व्यवस्था दें मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । गृह मंत्री जी ने कहा और श्री नाथ पाई ने भी कहा कि शब्द अगर हिन्दी में इस प्रकार रहें कि सदा रहेगी तो मुझे उस में कोई आपत्ति नहीं होगी । उसका अनुवाद इस प्रकार का कर लिया जाये । दूसरी आपत्ति यह थी कि शायद व्यवस्था देने के पहले आप भूल रहे हैं और गृह मंत्री जी भी शायद उस बात को भूल गए कि हिन्दी प्रमुख भाषा होने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में जो आपने कहा है कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी, क्या यह संविधान की

भावनाओं के विपरीत नहीं है ? आपको व्यवस्था इन दोनों प्रश्न पर देनी है और गृह मंत्री को भी स्पष्टीकरण इन दोनों पर देना है ।

SHRI Y. B. CHAVAN : Certainly, I will answer it. I thought only one point of order should be answered.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I said only one procedure.

SHRI Y. B. CHAVAN : What is proposed to be done in that stage is, really speaking, a matter of procedure. At what stage Hindi should be compulsory ? The very purpose of the Bill and the Resolution is to facilitate the growth of Hindi and acceptance of Hindi by non-Hindi people. Really speaking, that is the basic concept of it. What is done is, they will have to learn Hindi, even after they are recruited, within a year or so; they will have to take some Hindi examination. Really speaking, we are facilitating them to appear for the examination. It is only at that stage that Hindi is not made compulsory. It is absolutely a procedural matter for the holding of the examination. There is no restriction.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप इसको यों कर लें कि यदि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी तो अंग्रेजी भी अनिवार्य नहीं होगी । अगर यों कर लें तो भी कुछ समाधान हो सकता है । हिन्दी प्रमुख राज भाषा बन चुकी है, वह तो अनिवार्य नहीं होगी और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी अनिवार्य होगी ?

SHRI Y. B. CHAVAN : No, I can assure the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri, that this question of accepting amendments to the Resolution will certainly be examined and considered when we reach that stage. I am not opposing that at this stage. But his fundamental point was that it is against the Constitution and, therefore, it is out of order. I am opposing only that part.

SHRI R. K. SINHA (Faizabad) : The language fanatics have said that Hindi is a primitive language. What right have they to say that ? Every Indian language is a national language and no language is primitive. This anglophile wants to say that Hindi is a primitive language. He is primitive.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : I will say it. It is a primitive language. It has no capacity.....(*Interruption*).

श्री मधु लिमये : यह गुलाम मनोवृत्ति के आदमी हैं । गुलाम लोग हमेशा ऐसा कहते हैं ।

श्री रामसेवक यादव : श्री सिन्हा ने इन को अंग्रेजी में "प्रिमिटिव" कहा है, इस लिए इन को बुरा नहीं मानना चाहिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : While hon. Members are within their rights to say anything about a particular clause of the Bill or the Resolution, they should not use language regarding other, sister languages, because all are national languages, which is derogatory.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर किसी ने भी मलयालम या तामिल या बंगला के बारे में नहीं कहा है । यह गुलामों की मनोवृत्ति व्यक्त कर रहे हैं ।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : I come from Dravidian stock.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको क्यों रोक रहे हैं ? वह गुलाम है और वह इस बात को दिखा रहे हैं । किसी ने भी मलयालम या तामिल के बारे में नहीं कहा है । वह गुलाम मनोवृत्ति के आदमी हैं । आप उनको छोड़ दीजिये ।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : He is talking rot.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Derogatory language should not be used. He has used it. I am warning him.

So far as the point of order raised by Shri Shastri is concerned, I made a casual observation. I will have to make it very clear. Shri Nath Pai has made it clear, that is, regarding the translation part of it. As I said, the law of the land or the Constitution is in English today and though it was translated then it is not an authoritative translation. As the Home Minister has said, if there is any objection so far as the translation is concerned, it is for the Home Minister to see how to accommodate your point of view while placing that particular

[Mr. Deputy Speaker]

clause before the House. Therefore, there is nothing left so far as your point of order is concerned.

So far as Shri Gupta's point of order is concerned, when the Bill was first introduced a ruling was given at that stage. But he has made an additional point there, that it contravenes the spirit. I have gone through the Bill and the Resolution. He read out certain sections. I do not want to repeat them. I may tell him very plainly that it must be admitted that if at all it is something for which the whole House has to take the responsibility. When the Resolution says, "shall"—if you read all the sections—there is a certain obligatory responsibility taken by the Government to implement it. You referred to 15 years and all that. The House was perhaps not vigilant. You cannot blame the Government. We were here or your predecessors were there. So, if it is not implemented, certainly language is a thing where "Let there be light and lo and behold there was light" that sort of a miracle does not happen. His Resolution is a determination to give effect to this. Therefore I feel that your point of order also is not valid. You are pointing out a failure. If there is a failure, it is of all of us. Therefore it is not valid.

So far as the procedure is concerned, Shri Nambiar has raised a point of order.

SHRI NAMBIAR : I have raised two specific points. One is that the Resolution is out of order and the other is that these two things cannot be discussed together.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : On a point of clarification. In the course of your ruling you have said that there is no authoritative version of the Constitution in Hindi. I want to know from you whether after 17 years of having our Constitution there is any authoritative version or Hindi translation of our Constitution.

MR. DEPUTY-SPEAKER : So far as I know, there is a translation which is an approved one but not, in that sense, authoritative that can be quoted. That is not there, so far as I know.

SHRI SAMAR GUHA : But here are the people who want to throw out English when even after 17 years, they could not have an authoritative version of the Constitution in Hindi. ....(*Interruptions*).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस तरह के शब्द कह कर बड़ी ग़लतफ़हमी पैदा कर रहे हैं। आपको शायद स्मरण हो कि इसी संविधान में भाषा के सम्बन्ध में जो अनुच्छेद है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1947 से पहले जिन कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग होता था, उनमें 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा। 1947 से पहले स्वतंत्र भारत का संविधान नहीं था, इस लिये 1947 के बाद यह संविधान बनाया गया और उसका जो हिन्दी अनुवाद किया गया, वह अधिकृत अनुवाद है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने हिन्दी अनुवाद पर ही अपने हस्ताक्षर किये थे। उसकी प्रामाणिकता के बारे में सन्देह पैदा करके आप देश को ग़लतफ़हमी में न डालें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He asked, in terms of law, can it be contended that it is an authoritative translation ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यह विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है।

श्री रामगोपाल शालवाले (चांदनी चौक) : आप इन शब्दों को वापस लीजिए।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let the hon. Home Minister clarify the position.

SHRI Y. B. CHAVAN : For me, it is very clear that the translation was done by the resolution of the Constituent Assembly—the President was the Chairman of the Committee—and, I think, it is an authorised version.

श्री ओ० प्र० त्यागी (मुरादाबाद) : आप ने कहा है कि हिन्दी का वर्शन अधिकृत नहीं है। उस का क्या हुआ ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, so far as the point of order raised by Mr. Nambiar is concerned....(*Interruptions*)

SHRI SAMAR GUHA : On a point of information. Is it not a fact that there have been six Hindi translations of our Constitution but none of the Hindi versions has been accepted as an authoritative one ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Home Minister has clarified the position and the House has accepted it. There is no question of that.... (*Interruptions*) Whatever the hon. Home Minister has said regarding the Hindi version stands and it is accepted by the House.

SHRI HIREN MUKERJEE *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, I am on Mr. Nambiar's point of order.

SHRI S. XAVIER (Tirunelveli) : May I know whether the Hindi version of the Constitution has been signed by all the Members of the Constituent Assembly ?

SHRI HIREN MUKHERJEE *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is not the question. Shri Mukerjee.

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री जोशी, कितनी देर से अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप ने उनको अवसर न दे कर श्री मुकर्जी को बुला लिया है । आप यह क्या कर रहे हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has something to say on the statement of the Home Minister. Therefore, I have called Shri Mukherjee.

SHRI J. H. PATEL (Shimoga) : *spoke a few words in Kannada* (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : What the Home Minister has stated has been accepted by the House and that stands.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East) : You are pleased to say earlier that the only authoritative text of the Constitution in the sense that it can be interpreted by the Supreme Court or by any High Court in this country is the Constitution, rightly or wrongly, happily or unhappily, as it is formulated in English.

DR. GOVIND DAS : No.

SHRI H. N. MUKERJEE : You were pleased to say that we do have a translation in Hindi of the Constitution, but for purposes of judicial interpretation of the articles of the Constitution, what is acceptable to the court is the English version, rightly or wrongly, happily or unhappily.. (*Interruption*) That is a different problem. Now you have also been pleased to observe, after the Home Minister's intervention, that this is an authoritative statement. I do not understand this. An authoritative text of the Hindi translation, if it is really authoritative, cannot be altered with impunity, as the Home Minister suggested that it could be, by the words "Sadha ke liye rahegi" instead of "Hogi". It was an authoritative text, it could not be altered authoritatively by a pronouncement *ex-cathedra* of the Home Minister.

Therefore, quite apart from the merits of the matter, it may be a matter of shame for us that we have to have our Constitution in the English language, but the fact of the matter is that the law of the country being as it is, the only text of the Constitution which is authoritatively acceptable to the judicial authorities for interpretation is unfortunately the English text. Since changes in the Hindi translation are suggested perhaps very intelligently by Mr. Prakash Vir Shastri and accepted with alacrity by Mr. Chavan, since changes in the authoritative text can be accepted and offered just like that, it cannot be the authoritative text. Therefore, as far as the authoritative text is concerned, let us not forget the law of the land; rightly or wrongly, the only text is the English one.

15.00 Hrs.

SHRI NATH PAI : I first want to know what is the point that we are discussing....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Mukerjee has raised a point of objection.

श्री नाथ पाई : मैं आपकी इजाजत चाहता हूं । यह आप का प्रथम कर्त्तव्य है,

It is your duty first to bring the point of order and then allow. I think, you once disposed it of when the question was raised होगी या रहेगी, यह तो काम खत्म हो गया । इसके बाद सवाल आया कि जो हिन्दी अनुवाद है वह प्रमाणित है या नहीं, इस पर

[श्री नाथ पाई]

यह कहा गया है कि हमारा जो संविधान है वह पहले अंग्रेजी भाषा में आया, फिर उसका जो अनुवाद उपलब्ध है वह प्रमाणित है, यह हमारा दावा है। यह बात बदली नहीं जा सकती ।.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have said that it stands. The only thing that he has raised is a point of objection. He has already explained it.... (*Interruptions*)

SHRI NATH PAI : First I want to know a very simple thing from you, Sir. What is the question before the House now ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Nambiar's point of order.

SHRI NATH PAI : It is you who are drifting from the point of order. There were three different points of order and you tried to give a ruling on the first point about the word 'shall'; instead of 'Hogi', I had suggested 'Rahegi' and the Home Minister agreed. I thought that that particular part ended there. Now we have come to another point raised by Mr. Mukerjee about the authenticity of the translation and your *ex-cathedra* remark. It is true that our Constitution was drafted in English. But where is the corollary to it, that the Hindi translation is an authoritative translation ? Now let us not get confused. The Constitution as adopted was in English. (*Interruption*)

SHRI MANOHARAN : That is not authoritative.

SHRI NATH PAI : You do not understand, Mr. Manoharan. Under the Constitution . . .

THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Sir, I may clarify...

SHRI NATH PAI : Are you improving or confusing ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सवाल यह है कि बात दूसरी तरफ क्यों जा रही है ? इस वक्त यह बहस कांस्टीट्यूशन पर तो है नहीं । जो भी कांस्टीट्यूशन की बात उठी थी वह अब खत्म हो गई । कांस्टीट्यूशन को कोई बदल नहीं रहा है चाहे जिस भाषा में भी है । इसलिए उस पर अब बहस करने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी में है या हिन्दी में है..... (**व्यवधान**)..... यही मैं कह रही हूं। माननीय सदस्यों से मैं विनती करती हूं कि अब इस बात को छोड़ दें। अब हम अगली बात जो कुछ भी है उस पर चलें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : When he explained the position, I have accepted it. Mr. Nambiar.

SHRI J. B. KRIPALANI—*rose*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Nambiar.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : As a person who was present all the time when the Constitution was being made, I can say that after we framed the Constitution in English, we said that an authoritative translation of it must be produced and it was produced. Now to say that it was not an authoritative version of the Constitution is altogether wrong. It is authoritative.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is accepted.

डा० गोविन्द दास : उपाध्यक्ष जी, मैं स्वयं संविधान सभा का एक सदस्य था । यह प्रश्न जब एक दफा हमारे गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया तो फिर हीरेन्द्र मुखर्जी साहब को उठाने की क्या आवश्यकता थी। राजेन्द्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे और हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे उन्होंने यही कहा था । जो हिन्दी का हमारा संविधान है वह ऐसे ही मुकम्मिल है जैसे अंग्रेजी का है । इस मामले को अब समाप्त करें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have accepted that. (*Interruptions*)

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : You have said by way of your ruling that the Hindi version of the Constitution is not an authoritative version.

SHRI J. H. PATEL *spoke in Kannada.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : I cannot follow your language. (*Interruptions*)

SHRI N. SREEKANTAN NAIR *spoke in Malayalam.*

SHRI J. H. PATEL—*rose*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Either you speak in Hindi or English.

श्री मधु लिमये : हम उसका अनुवाद करेंगे । ..... (**व्यवधान**) .....

SHRI RAM SEWAK YADAV, SHRI RABI RAY AND SHRI J. H. PATEL—*rose*

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय अनुवाद हो जायेगा । इनको अपनी मातृभाषा में बोलने का हक है । जार्ज फर्नेन्डीज उसका अनुवाद कर देंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Last time I have permitted.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह तय हो चुका है कि हर एक को यहां अपनी भाषा में बोलने की आजादी होनी चाहिये ।

SHRI J. H. PATEL *spoke in Kannada.*

SHRI N. SREEKANTAN NAIR *spoke in Malayalam.* (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Can you follow him and communicate to me what he says ? Do you realise how much time will it take ?

श्री मधु लिमये : उसका अनुवाद हो जाएगा ···· (**व्यवधान**)

MR. DEPUTY-SPEAKER : On procedural matters that was never permitted, only speeches I have permitted.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न का अनुवाद हुआ है इसी सदन में । जब अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर थे तो पूरक प्रश्न का अनुवाद हुआ है और उसका उत्तर दिया गया है ।

SHRI J. H. PATEL :* Though our Constitution has given us equality of status and opportunity as well as libert 'yof thought and expression, I now find that in the Lok Sabha itself, we do not have the freedom of speech and thought. I would like to speak on a point of order relating to the Official Languages (Amendment) Bill. The Constitution provides Hindi as our official language. English was to continue for a period of 15 years *i.e.* till 1965. The enactment of Official Languages Act in 1963 was a method of perpetuate the use of English as an official language on one pretext or the other, not only in Delhi but in all the States. The present Bill is another device to continue English as official language. This is against the provisions of the Constitution.

My next point is regarding the resolution accompanying the Bill. Introduction of the resolution on the same topic as that of the Bill simultaneously is against the provisions of rules. The resolution should be withdrawn. Only the Bill should be discussed in the House after preliminary consultation with the leaders of all the opposition parties of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I cannot translate it; let some Member translate it for me.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, पटेल साहब यह कह रहे हैं कि हमें हमारी भाषा बोलनें की आजादी है, उस आजादी को आप हमें बोलनें की इजाजत न दे कर छीन रहे हैं, यह अधिकार हमें सविधान ने दिया है ....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I had called Shri Madhu Limaye. I had not called Shri J. H. Patel at all but he got up in between. I am not going to follow the procedure that Shri George Fernandes has suggested. I have called only Shri Madhu Limaye. (*Interruptions*).

Now, I shall give my ruling on the point of order raised by Shri Nambiar. Rule 174 reads thus :

> The Speaker shall decide whether a resolution or a part thereof is or is not admissible under these rules . . .

So, so far as the admissibility question is concerned, the Speaker has admitted both the things, the discussion on the Bill and also the discussion on the resolution. As some hon. Member pointed out rightly, to save time, a common discussion has been permitted. But in order to facilitate the debate and to have a full-throated debate,

*Tanslation of the speech delivered in Kannada.

[Mr. Deputy-Speaker]

the question of amendment was raised. After the general discussion, the amendments can be moved.

SHRI HEM BARUA: What is full-throated discussion?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I said so because Members wanted to waste time by raising points of order etc.

So, so far as the point of order raised by Shri Nambiar is concerned, I have overruled it. We shall carry on the debate now.

SHRI J. H. PATEL *spoke a few words in Kannada.*

SHRI AMIYANATH BOSE: On a point of order.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let not these things be taken down. Now, let the Home Minister speak. (*Interruptions*)**

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, वह अनुवाद करेंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I must tell Shri Madhu Limaye that this is a matter on which certain light must be thrown. I cannot follow Shri J. H. Patel.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, अनुवाद आप नहीं करेंगे, वह उसका अनुवाद करेंगे ।

श्री रामसेवक यादव: उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह व्यवस्था दी जा चुकी है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I had neither called him nor permitted him. He may write to me.

SHRI Y. B. CHAVAN: This Bill relates to a subject which tends to arouse passions and about which there have been misapprehensions in the past.... (*Interruptions*) Language is a subject which touches the feelings and sentiments of people, and this is not so only in India.... (*Interruptions*). It is, therefore, all the more necessary that we in this august House to which the whole country looks up, consider the matter coolly and dispassionately, take a long view of things and enact a legislation which would promote harmony and understanding among people and strengthen the unity of the country.

The framers of our Constitution recognised the needs of our multilingual society in which while the States must have the freedom to use for their purposes their own respective languages, there should be a language for the Union which is widely used and which can serve also as a channel of communication between the Union and the States and between one State and another with different official languages. This recognition is reflected in the relevant provisions of our Constitution. Under article 345 it is for the State Legislature to adopt one or more of the language in use in the State or Hindi to be used for all or any of the purposes of the State. Hindi has been made by the Constitution itself as the official language of the Union. There is no conflict between Hindi and our other major languages. They must develop side by side, enriching one another in the process, providing opportunity to all our people for fullest cultural development and self-expression, and in the field of governmental administration to serve their purposes in their respective spheres.

श्री जार्ज फरनेंडीज : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may write to me; he may translate it and write to me, and I shall consider it. (*Interruptions*)

SHRI Y. B. CHAVAN: While making Hindi the official language of the Union, our Constitution-makers recognised that the period of 15 years provided for the continued use of English for the official purposes of the Union might not be sufficient for dispensing with English language, and they, therefore, empowered Parliament to provide by law for the use of English beyond that period. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let Shri Patel write to me.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : ऐसा कैसे हो सकता है, वह लिख कर कैसे देंगे । उनको पहले से क्या पता कि कौन सा मसला यहां पर आने वाला है ।

श्री मधु लिमये : आप उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनियें, उसका अनुवाद होगा, तब आप उसका फैसला दीजियें और तब आप बढ़ियें ।

**Not recorded.

SHRI Y. B. CHAVAN : The Official Language Commission, and later on the Committee of Parliament on Official Language, which went into the recommendations made by the Commission, recommended, with virtual unanimity, that the use of English should be continued beyond 26 January, 1965 (*Interruptions*).

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : On a point of order. We cannot hear anything of what the Minister is reading (*Interruptions*).

SHRI NATH PAI : Don't we have orderly proceedings ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The Official Languages Act passed by Parliament in 1963 gave effect to those recommendations.

It was hoped that with English having been given the status of an associate official language of the Union without any time-limit, the non-Hindi-speaking people would have no apprehensions that they would have any difficulties or handicaps (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have not permitted Shri Patel to raise his point of order. I do not follow him. Let him write to me.

श्री मधु लिमये : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, एक मिनट में उनका प्वाइंट आफ़ आर्डर हो जायेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने आपके सामने एक मोशन रखा है, आपको वह मोशन लेना होगा ।

SHRI Y. B. CHAVAN : Subsequent events, however, showed that their apprehensions had continued and that there were misgivings, which for the happiness of people in all parts of the country, and in the national interest, must be removed. Pandit Jawaharlal Nehru had given assurances in Parliament to the non-Hindi-speaking people that English would continue as an associate official language of the Union till those people themselves agreed to a change. These assurances were repeated by Shri Lal Bahadur Shastri early in 1965. The present Bill was accordingly drafted. It represents a broad national consensus. Every provision of the Bill may not satisfy everyone. But it does represent a workable scheme in which, to the utmost extent possible, different points of view have been sought to be harmonised. The essence of this legislation is bilingualism in the conduct of the affairs of the Union (*Interruptions*).

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : The Deputy Speaker is saying something. The Minister is reading something else. He has ignored even you.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Will the hon. Minister yield for a moment. Shri Nath Pai wants to raise a point.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am not yielding.... (*Interruptions*).

We are anxious that Hindi should spread and more and more of the employees of the Central Government should acquire proficiency in that language and use it for official work (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । मैं नियम सं० 340 के अन्दर स्थगन प्रस्ताव रखना चाहता हूं, आप मुझे उसकी अनुमति दीजिये । मैं नियम 340 के अन्तर्गत किसी भी समय यह प्रस्ताव रख सकता हूं, इस लिये मैं प्रक्रिया के अनुसार बोल रहा हूं, आप मुझे अनुमति दीजिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि बैठक की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाये । मैं इस सम्बन्ध में आपको मोशन लिख कर दे चुका हूं ।

SHRI Y. B. CHAVAN : But I would appeal for patience. Any impatience in this matter would revive the fears and suspicions which we wish to allay through this legislation. Any step which is likely to create difficulties for those who do not know Hindi, or even a demand that such a step should be taken, would be unwise and do harm. Goodwill and co-operation of the non-Hindi speaking people are necessary for Hindi coming into its own as the official language of the Union, and as a link language. It should be remembered that not only in the offices of the Central Government but for the continued smooth functioning of our higher judiciary, and of the All India Services, as unifying factors

[Shri Y. B. Chavan]

a long period of bilingualism is necessary (*Interruptions*).

(*Shri Vajpayee and some other hon. Members left the House*).

A link language is meant for uniting the country, not dividing it. We have kept this in mind while preparing this Bill. I would like my friends from the Hindi-speaking areas to remember that those whose mother-tongue is not Hindi have to make special efforts to learnt that language, acquire proficiency in it for official purposes. Some sacrifice on their part is involved, and we must take their difficulties and susceptibilities into account. We must carry them along with us. To the people from non-Hindi speaking areas, I would say that we have taken their views and problems fully into consideration while evolving this legislation. It represents a consensus, and it seeks to synthesise as far as possible different views, and to accommodate various interests. It is in the nature of a compromise, and every compromise is exposed to criticism from both sides. And yet compromise and mutual accommodation are the essence of the democratic way of functioning.

With these words, I appeal to all sections of the House to give their support to the Bill (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : The motion and the Resolution are now before the House.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 340 के तहत इस वक्त इस कार्यवाही को स्थगित रखने का प्रस्ताव कर रहा हूं । नियम 340 इस प्रकार है :

"At any time after a motion has been made, a member may move that the debate on the motion be adjourned."

इस वक्त हमारे सामने दो चीजों पर बहस हो रही है । एक तो यह कि विधेयक पर विचार किया जाये । एक प्रस्ताव तो यह हुआ । दूसरे इनके द्वारा जो तजवीज रक्खी गई है, जो प्रस्ताव रक्खा गया है उसके ऊपर विचार किया जाये इसके ऊपर भी बहस चल रही है । इसलिये नियम 340 और 109 में जहां तक विधेयक का सवाल है वह मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं .....

एक माननीय सदस्य : 341 भी पढ़ दीजिये ।

श्री मधु लिमये : हां, हां सब पढ़ूंगा आप घबड़ाइए नहीं । 109 इस प्रकार है :

"At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may me moved with the consent of the Speaker."

इसमें आपकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी लेकिन मेरे दो प्रस्ताव हैं । इस संकल्प पर रेजोलूशन पर जो बहस चल रही है उसको भी मैं स्थगित करना चाहता हूं और जो विधेयक पर बहस चल रही है उसको भी मैं मुल्तवी करना चाहता हूं । विधेयक के लिये आपकी अनुमति की जरूरत है लेकिन जहां तक इस प्रस्ताव का सवाल है रेजोलूशन का सवाल है उसमें आपकी अनुमति का सवाल नहीं है और उस पर सदन फैसला कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव क्यों रक्खा है उसके बार में मैं दो मिनट में खत्म करूंगा ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रस्ताव को और इस विधेयक को लेकर काफ़ी गर्मी इस सदन में और बाहर पैदा हुई है इसलिये इन से मेरी प्रार्थना है कि इन्होंने जो इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रक्खा है उसको स्थगित कर उसकी जगह पर इस विधेयक को संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेज दिया जाये । अगर उसमें भेजने का यह प्रस्ताव करते हैं तो मेरा खयाल है कि कोई रास्ता निकल सकता है ऐसा रास्ता कि जिससे गैर हिन्दी इलाक़ों पर हिन्दी लादी न जाये और हिन्दी को स्वीकार करने वाले इलाक़ों पर अंग्रेजी न लादी जाये । इसके आधार पर, मेरा खयाल है, रास्ता निकल सकता है । लेकिन अगर मेरे इस प्रस्ताव को यह ठुकरा

देंगे तो देश को आग लगाने का काम गृह-मंत्री जी कर रहे हैं यह आरोप मैं कर सकूंगा। आज मैं समझौते के लिये एक रास्ता खोल रहा हूं इसलिये यह स्थगन प्रस्ताव मैं ला रहा हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : On this I am not permitting anyone. He has moved, but before that, according to the rules, Mr. Vajpayee approached me and gave in writing that I should adjourn the House. I said I would consider it, I did not immediately give any reply.

So far as rule 340 is concerned, there are two aspects. If you want to make a motion that the Bill be referred to a Joint Committee, you have every right. That is a different motion altogether.

Then, there is rule 341 :

"If the Speaker is of opinion....

SHRI S. A. DANGE (Bombay Central South) : What I want to propose, without reference to the rules, is this. You know in what state we are now. We are almost atomised into linguistic, sub-linguistic groups. The reflection outside also is there now. In fact, all party divisions are finished, all loyalties of this kind or that kind are overcome, by this linguistic question. So, I would propose to the Government and to all the parties, whether we could not adjourn for sometime and see if a common solution can be found. (*Interruptions*)

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : We also represent the country.

SHRI S. A. DANGE : Nobody.... (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order.

SHRI S. A. DANGE : The point that I am making is, nobody.... (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have permitted Shri Dange to speak.

SHRI S. A. DANGE : Nobody wants to suppress Hindi; nobody wants to suppress any language. I only suggest that the Leader of the House may call a meeting to come to a common understanding on this issue. I submit that this suggestion may be considered. (*Interruption*)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने आपके सामने प्रस्ताव रक्खा है । यह इस सदन में कौन सी प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am giving my ruling.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस मोशन का क्या हुआ ?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Sir, excuse me. I want to submit one thing. Now the House is in tension. We must follow certain procedures and then all these difficulties about the points of order would be over. If you want to overrule it or give any ruling on it, you might dispose of it. But we should proceed with the Bill. There should be no other question now before the House; the Home Minister has already moved it. We should all place our points of view before the House. Let us not waste the time of the House.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : So far as the adjournment is concerned...

SOME HON. MEMBERS : No, no.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am giving my ruling. I will call Mr. Dwivedy again to speak.

SHRI P. K. DEO (Kendrapara) : We want our point of view to be heard.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डिबेट कैसे हो सकता है ? गृह-मंत्री जी क्या बोले मैंने एक शब्द भी नहीं सुना तब मैं इस डिबेट में कैसे भाग ले सकता हूं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Whose fault ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारी ग़लती नहीं है । दरअसल आप इस सदन को बिलकुल कंट्रोल नहीं कर सकते ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is difficult for you to control your own people.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : It has already started. Arson and stone-throwing and beating of students in the English-medium schools have already started.

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये । इस तरीक़े से बार-बार उठ कर विघ्न डालना यह बर्दाश्त नहीं होगा । इनको बाहर निकालिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Sreekantan Nair, is it proper ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आप के साथ सहयोग करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर ठीक तरीक़े से बहस हो लेकिन अगर इस सदन के सभी लोग सहयोग के लिये तैयार नहीं हैं तो इस तरीक़े से राजभाषा विधेयक पर बहस ठीक नहीं है । गृह-मंत्री जी हम चाहते थे कि बोलें मगर वह क्या बोले मेरे कान में एक अक्षर भी नहीं पड़ा । मेरा निवेदन है कि आप मेरा प्रस्ताव लें । देखिये भावना उभरी हुई है । अगर हम चाहें तो थोड़ी देर में मिल सकते हैं। इस विधेयक पर बड़ी शान्ति व गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिये ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : I fully support the suggestion made by Shri Surendranath Dwivedy and I oppose the motion moved by Shri Madhu Limaye as also the suggestion given by Shri Vajpayee, because the Bill has already been moved and the hon. Minister has spoken on the motion. Therefore, the discussion should be allowed to proceed.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आप ज़रा मेरी मदद करिये । मंत्री महोदय क्या बोले आपने सुना ?

ऐसा आरोप मेरे ऊपर आप नहीं लगा सकते हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You would not allow me to listen. What can I do ? (*Interruptions*). So far as the request for the adjournment of the debate is concerned, I am not prepared to adjourn it. I will request the Home Minister to repeat his speech, provided he is listened to, with silence.

श्री मधु लिमये : एक बात बताइये । मेरे स्थगन प्रस्ताव को क्या आपने ठुकरा दिया है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have overruled it. I am not allowing it. (*Interruptions*).

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप कैसे ठुकरा सकते हैं । सदन के सामनें रखना चाहिये ।

DR. RAM SUBHAG SINGH : If they agree to be silent, the Home Minister will repeat his speech.

SHRI J. H. PATEL *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : After the Home Minister gets a hearing from the House, I will hear the hon. Member.

श्री राम सेवक यादव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ····

श्री मधु लिमये : उनका भाषण हम सुनेंगे । साथ-साथ इसका भी व्यवस्था का प्रश्न सुना जाए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes, if you translate it.

Now, the Home Minister may repeat his speech.

श्री मधु लिमये : बाद में सुनेंगे न आप ।

(*The Home Minister then repeated his speech made earlier*—vide *Cols.* 5447—51.)

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह बड़ा महत्व का विधेयक है और इस सदन के एक सदस्य के नाते मैं यह जरूर चाहूंगा कि मुझे बोलने की अनुमति मिले । किन्तु आज की जो व्यवस्था चल रही है उसको आप देखें । अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि इसके ऊपर बारह घंटे का समय दिया गया है । कई लोगों ने संशोधन दिये हैं । मैं ने भी दिया है । लेकिन होता क्या रहा है । मैंने महाजन कमिशन की रिपोर्ट के बारे में सवाल किया था । मुझे जवाब आया—

I was told there will be a debate on the 6th, please refer to that.

मैंने तब सुबह दस बजे नोटिस दिया ।

Then I said I would like to participate in the debate.

किन्तु फिर बैलट हुआ । बैलट में मेरा नाम नहीं निकला । मैं चुप रह गया । अब जिन लोगों ने इस विधेयक पर संशोधन दिये हैं । उनके संशोधनों का चयन होगा

उस चयन में यदि मेरा नाम नहीं निकलेगा तो क्या मुझे बोलने नहीं दिया जायेगा ? ऐसे हम सदन में बैठे रहें यह तो हो नहीं सकता है । एक सदस्य के नाते मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा अपनी बात कहने का और अपने संशोधन पर बोलने का ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have followed his point. This morning this point was raised and the Speaker, before he left—because there were several suggestions for extension of time—observed that at 4.45 P.M. today the Business Advisory Committee was meeting where all leaders would be present I can assure you, Shri Joshi, that you will get an opportunity. You should get it. You will not be forced to watch the debate silently.

SHRI J. H. PATEL *spoke in Kannada.*

15.40 Hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI YASHPAL SINGH (Dehra Dun) : I beg to move :

"This House is of opinion that the Official Languages (Amendment) Bill, 1967, be referred to the President for obtaining the opinion of the Supreme Court under Article 143 of the Constitution on the question of constitutional validity of the Bill." (1)

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 29th June, 1968." (2)

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th March, 1968." (3)

DR. GOVIND DAS : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 2nd March, 1968." (4)

SHRI YAJNA DATT SHARMA : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st May, 1968." (5)

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : I beg to move .

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 12th February, 1968." (6)

SHRI ONKAR LAL BERWA (Kota) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th February, 1968."

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI (Bhagpat) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th March, 1968." (8)

SHRI SHARDA NAND (Sitapur) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 28th June, 1968." (9)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : I beg to move :

"That the Bill to amend the Official Languages Act, 1963, be referred to a Joint Committee of the House consisting of 37 members, 25 from this House, namely :—

(1) Shri Bibhuti Mishra
(2) Shri Y. B. Chavan
(3) Shri Valmiki Choudhury
H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo
(5) Shri Hem Barua
(6) Shri S. M. Joshi
(7) Shri Liladhar Kotoki
(8) Shri J. B. Kripalani
(9) Shrimati Sucheta Kripalani
(10) Shri V. Krishnamoorthi
(11) Shri Madhu Limaye
(12) Dr. Sarojini Mahishi
(13) Shri Bakar Ali Mirza
(14) Shri H. N. Mukerjee
(15) Shri Nath Pai
(16) Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit
(17) Shri Mrityunjay Prasad
(18) Shri S. R. Rane
(19) Shri S. C. Samanta
(20) Shri A. K. Sen
(21) Shrimati Jayaben Shah
(22) Shri Vidya Charan Shukla
(23) Dr. Ram Subhag Singh
(24) Shri Atal Behari Vajpayee, and
(25) Shri Prakash Vir Shastri;

and 12 from Rajya Sabha.

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

[Prakash Vir Shastri]

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 12 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee (10)

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore) : He has included my name; I am not at all a party to this.

SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH (Gorakhpur) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of elicting opinion thereon by the 16th March, 1968." (80)

SHRI RAM SEWAK YADAV : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 28th June, 1968." (90)

SHRI HARDAYAL DEVGUN (East Delhi) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st April, 1968." (95)

SHRI LAKHAN LAL KAPOOR (Kishanganj) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th March, 1968." (129)

SHRI MRITYUNJAY PRASAD (Maharajganj) : I beg to move :

That in the resolution,—

in first part of para 1, —

for "Hindi shall be the official language of the Union"

substitute "Hindi is the official language of the Union" (1)

SHRI SEQUEIRA (Marmagoa) : I beg to move :

That in the resolution,—

for first part of para 2, *substitute*—

"2. WHEREAS the Eighth Schedule to the Constitution specifies to date only 15 of one languages in use in India, and this House is of the opinion that all remaining languages should be placed on this Schedule, and that concerted measures should be taken for the full development of all these languages;" (2)

That in the resolution,—

after para 2, *insert*—

"2A. WHEREAS for improved national integration it is essential that the large non-ambulatory sections of our people should be able to communicate with each other, and have easier access to knowledge disseminated through the other languages;

This House resolves that a common script for all languages in use in the country be evolved, adopted and vigorously propagated. (3)

SHRI YASHPAL SINGH : I beg to move :

That in the resolution,—

omit paras 3 and 4. (4)

SHRI MRITYUNJAY PRASAD : I beg to move :

That in the resolution,—

in first part of para 4,—

after "non-Hindi speaking" *insert*—

"or Hindi speaking". (5)

SHRI AMRIT NANATA : I beg to move :

That in the resolution, —

for Part (a) of para 4, *substitute*—

(a) that compulsory knowledge of Hindi for non-Hindi speaking people and of English for Hindi speaking people shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi or English knowledge may be considered essential for the satisfactory performance of the duties of the service or post; and (6)

SHRI MRITYUNJAY PRASAD : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "that compulsory knowledge of Hindi"

insert "or English" (7)

SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL (Samastipur) : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "shall not be required" *substitute*

—"(minimum standard) shall be required" (8)

SHRI FRANK ANTHONY : I beg to move :

That for the original resolution the following be *substituted,* namely :—

"This House resolves :—

(i) That any programme for accelerating the development of Hindi undertaken by the Central Government shall be met to the extent of half the total cost by the Hindi States;

(ii) That a programme shall be prepared and implemented by the Government of India in collaboration with the State Governments for coordinating the development of the languages of the Eight Schedule of the constitution and any language that may be the official language of a State;

(iii) That a compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection, confirmation or promotion of candidates recruited to the Union services or posts except any special post for which a high standard of Hindi is essential."

SHRI NAMBIAR : I beg to move :

That in the resolution,—

(i) in first part of para 1,—

(a) *after* "official language" *insert* "ultimately"

(b) *after* "Hindi language" *insert*— "voluntarily"

(c) *after* "India" *insert*— "and with the full consent of all the non-Hindi speaking States";

(ii) in second part of para 1,—

after "for accelerating the" *insert* "voluntary" (10)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part 2 of para 1,—

for "shall be" *substitute* "be" (11)

That in the resolution :—

in first part of para 2,—

for "concerted measures should be taken"

substitute "concerted measures be taken" (12)

That in the resolution,—

in part 2 of para 2,—

for "a programme shall be prepared and implemented"

substitute "a programme be prepared and implemented" (13)

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : I beg to move :

That in the resolution,—

in part 2 of para 2,—

for "alongside Hindi" *substitute* "alongside Sanskrit" (14)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

in first part of para 3,—

for "should be taken" *substitute* "be taken" (15)

SHRI N. S. SHARMA (Dowasiganj) : I beg to move :

That in the resolution,—

in part 2 of para 3,—

omit 'preferably one of the Southern languages" (16)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part 2 of para 3,—

for "of Hindi along with the regional languages and English in the non-Hindi speaking areas"

substitute "of Hindi along with the regional languages in the non-Hindi speaking areas and in case there are at least 10 students in any one section." (17)

SHRI SRINIBAS MISRA :

That in the resolution,—

for part (a) of para 4, *substitute*—

(a) that except for services/posts directly connected with propagation or teaching of Hindi, compulsory knowledge of Hindi, elementary or otherwise, shall not be required at the stage of recruitment to Union Services/posts; nor shall such knowledge be required at the stage of promotion except an elementary knowledge of Hindi for promotions to posts requiring public contact; and" (18)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection of candidates"

substitute "compulsory general knowledge of Hindi shall be required at the stage of selection of candidates". (19)

SHRI N. S. SHARMA : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

(i) *after* "that compulsory knowledge of Hindi *insert* "or English"

(ii) *after* "for which a high standard of Hindi" *insert* "or English" (20)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I beg to move.

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "that compulsory knowledge of Hindi" *insert* "or English" (21)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "and English" (22)

SHRI N. S. SHARMA : I beg to move :

That in the resolution,—

after part (b) of para 4, *insert*—

(c) Hindi and English shall be permitted as the alternative media for examination for recruitment to posts of class II, class III and class IV of the Central services to be conducted on or after April 1, 1968 :

Provided that where the recruitment is in respect of posts sanctioned for an office situated in a particular State, the language or languages adopted by that State as its official language or languages will also be permitted to be used by the examinees in addition to Hindi or English." (23)

SHRI YAJNA DATT SHARMA : I beg to move:

That in the resolution,—

omit para 3. (24)

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

for para 3, *substitute*—

"With a view to promote the sense of unity it is necessary to make arrangements for the study of any of the South Indian languages in the Hindi-speaking areas in addition to Hindi and of Hindi along with the regional languages in the non-Hindi speaking areas;" (25)

SHRI RAM SEWAK YADAV : I beg to move :

That in the resolution,—

for part 2 of para 3, *substitute*—

"This House resolves that arrangement should be made in accordance with that formula for the study of a modern Indian language, preferably one of the Southern languages apart from Hindi in the Hindi-speaking areas, and of Hindi along with the regional languages in the non-Hindi speaking areas." (26)

SHRI HARDAYAL DEVGUN : I beg to move :

That in the resolution,—

in part 2 of para 3,—

omit "preferably one of the Southern languages" (27)

SHRI YAJNA DATT SHARMA : I beg to move :

That in the resolution,—

for first part of para 4, *substitute*—

"4. And, whereas it is necessary to ensure that the just claims and interests of persons belonging to non-Hindi speaking areas and Hindi-speaking areas in regard to the public services of the Union are fully safeguarded;" (28)

That in the resolution,—

for part (a) of para 4, *substitute*—

"(a) that compulsory knowledge of Hindi for non-Hindi-speaking people and of English for Hindi-speaking people shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi or English knowledge may be considered essential for the satisfactory performance of the duties of the service or post; and (29)

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

for part (a) of para 4,— *substitute*—

"(a) that compulsory knowledge of Hindi shall be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts; and" (30)

SHRI HARDAYAL DEVGUN : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "compulsory knowledge of Hindi"

substitute—

"compulsory knowledge of Hindi or English" (31)

SHRI RAM SEWAK YADAV : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

add at the end

"but non-Hindi speaking persons having knowledge of Hindi would be given preference over Hindi-speaking persons" (32)

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "and English" (33)

SHRI RAM SEWAK YADAV : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

add at the end

"but knowledge of Hindi would be compulsory for non-Hindi-speaking persons although not for the purposes of competition" (34)

SHRI DEORAO PATIL (Yeotmal) : I beg to move :

That in the resolution,—

in first part of para 1,—

for "shall be" *substitute* "is". (35)

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad) : I beg to move:

That in the resolution,—

in first part of para 3 *add* at the end—

"to make this more effective, and to bring about greater appreciation and understanding, and purposeful mingling of people especially teachers, from different regions, it is further necessary, that those whose mother-tongue, is one of the Aryan Group of languages, should choose one of the Dravidian languages in the three language formula and *vice versa;*" (36)

That in the resolution,—

in part 2 of para 3,—

for 'one of the Southern languages"

substitute "one of the South Indian Dravidian languages" (37)

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : I beg to move :

That in the resolution,—

In part 2 of para 3, *add* at the end—

"and that the arrangements should be so directed as to expedite the spread of Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression all over the country within a reasonably limited period;" (38)

SHRI DEORAO PATIL : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "that compulsory knowledge of Hindi" *insert*—

"or English" (39)

SHRI HEM RAJ (Kangra) : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4, —

(i) *after* "that compulsory knowledge of Hindi" *insert*—"or English"

(ii) *after* "high standard of Hindi" *insert* "or English" (40)

SHRI BAKAR ALI MIRZA : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4, *add* at the end—

"but all other things being equal preference in the matter of selection will be given to a candidate, who is proficient in another Indian language besides his regional language;' (41)

SHRI DEORAO PATIL : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing." (42)

SHRI MADHU LIMAYE : I beg to move :

That in the resolution,—

for para 3, *substitute*—

"WHEREAS it is necessary for promoting a climate of tolerance and unity and also mutual understanding between people in different parts of the country.

This House resolves that neither English nor Hindi shall be a compulsory subject of study nor a compulsory medium of instruction or examination throughout the country and that the State Governments and the students in the non-Hindi speaking States shall have the freedom to choose between Hindi and English as an additional language;" (43)

That in the resolution,—

for parts (a) and (b) of para 4 *substitute*—

"(a) that compulsory knowledge of Hindi or English shall not be required from the candidates for the Union Services or posts excepting the post of translators and interpreters for which a high standard of Hindi and English knowledge may be considered essential from the non-Hindi speaking and Hindi-speaking States respectively; and

(b) that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution shall be the media for all the All India and Higher Central Services examinations within a year from the passing of this resolution." (44)

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4.—

for "compulsory knowledge of Hindi shall not be required" *substitute*—

"compulsory knowledge of Hindi or English and preferably of both shall be required" (45)

"That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "and English" (46)

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): I beg to move :—

"That for the original resolution, the following be substituted, namely :—

"WHEREAS India is a polyglot country with many national languages spoken by millions of people in well-defined regions and States.

WHEREAS any attempt to impose or give priority to a particular regional language with a view to bring in a linguistic uniformity will cut at the very roots of democracy and the unity of the country;

This House resolves that a re-thinking is necessary on the whole question of the official language policy of the Union and that a re-appraisal of the constitutional position be made with a view to provide equal status and opportunity for development to all linguistic groups in the country." (47)

SHRI S. M. BANERJEE *rose*—

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैंने भी सशोधन दिया है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : मैंने भी संशोधन दिया है ।

श्री न० प्र० यादव : मैंने भी संशोधन दिया है ।

MR. SPEAKER : These are all the things which I have received. Even if it comes after one hour, I will read it again. You need not be worried about it.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Yesterday after 3.30 myself and Shri Vasudevan Nair ....

MR. SPEAKER : I do not mind it being moved. I will give your names also, Shri Banerjee and Shri Vasudevan Nair.

SHRI MANUBHAI PATEL (Dabhoi) I beg to move :—

That in the resolution,—

in part 2 of para 1,—

after "development of Hindi", *insert*

—"and make it more simple". (48)

SHRI R. RAMAMURTI (Madurai) : I beg to move :—

That in the resolution,—

omit para 3. (49)

SHRI MEETHA LAL MEENA : I beg to move :—

That in the resolution,—

in part 2 of para 3,—

add at the end

"ultimately with a view to see that the Hindi Language is developed and introduced to serve as a medium of instruction and expression in the country within a limited period'. (50)

SHRI S. M. BANERJEE : I beg to move :—

That in the resolution,—

for part (a) and (b) of para 4,—

Substitute—

"(a) that compulsory knowledge of Hindi or English shall not be needed from the candidates for the services under the Union Government or posts excepting the posts of translators and interpreters for which a higher standard of Hindi and English knowledge may be considered essential from the non-Hindi speaking and Hindi speaking States respectively; and

(b) that all the language included in the Eighth Schedule to the Constitution shall become the media for all All-India and higher Central Services examinations within year from the adoption of this resolution." (51)

SHRI MANUBHAI PATEL : I beg to move :—

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "that compulsory knowledge of Hindi"

insert—

"or English". (52)

SHRI DEORAO PATIL : I beg to move :—

That in the resolution,—

in part (a) of para 4

after "a high standard of Hindi"

insert—

"or English" (53)

SHRI MANUBHAI PATEL : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "the future scheme of the examinations." (54)

SHRI VALMIKI CHOUDHURY (Hajipur): I beg to move :

"That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "that compulsory knowledge of Hindi shall not be required".

substitute—

"That compulsory knowledge of Hindi shall be essential." (55)

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "that compulsory knowledge of Hindi shall not be required".

Substitute—

"that knowledge of either Hindi or English shall be essential." (56)

SHRI BIBHUTI MISHRA : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

(i) *after* "that compulsory knowledge of Hindi"

insert—

"or English"

(ii) *after* "that compulsory knowledge of Hindi shall"

omit "not" (57)

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

omit "excepting any special services /posts for which a high standard of Hindi knowledge may be con-

[Shrimati Sucheta Kripalani]

sidered essential for the satisfactory performance of the duties of the service or post". (58)

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada) : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "a high standard of Hindi" *insert*— .. ..

"or English". (59)

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing". (60)

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि संकल्प में,—

पैरा १ के पहले भाग में—

संघ की राजभाषा हिन्दी होगी

के स्थान पर

"संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी"

रखा जाये । (६१)

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट वाइज मौका दिया जाय ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि विधेयक के ऊपर जो संशोधन दिए गए थे जिस में कहा गया था कि जनमत जानने के लिये प्रचारित किया जाये या संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय क्या वह नहीं लिए गये हैं ?

MR. SPEAKER : All of them have been moved.

श्री कंवर लाल गुप्त : वह जनमत के लिए भेजा जायें यह मेरी उसमें एक तरमीम थी ।

MR. SPEAKER : Even if you give it after one hour, it will be considered as moved. The office will verify it. If anybody's amendment is missing now and we find it, we will include that also. We are having the discussion for three or four days. There is nothing wrong in that.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : Not so many of you; one by one.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने नाम पढ़े हैं यह केवल रेजोल्यूशन पर पढ़े हैं या बिल पर भी ?

अध्यक्ष महोदय : बिल पर पहले या बाद में रजोल्यूशन पर ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : बिल पर तो हमारा भी है ।

MR. SPEAKER : All that will be verified by the office. I am also giving you some time.

श्री राम सेवक यादव : यह जो विधेयक पर ऐसे संशोधन आये हैं कि विधेयक जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय उस के ऊपर जब चर्चा कराएंगे तो क्या जो प्रस्तावक हैं उन्हें आप समय देंगे ?

MR. SPEAKER : May be so.

SHRI K. LAKKAPPA (Tomkur) : On a point of order, Sir. Article 348 of the Constitution is regarding the language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc. The point for consideration here is this. Some amendments have been moved in Hindi. I want to know whether the Constitution has conferred any right on the Members to move their amendments in Hindi. That is not so because the Constitution does not provide that. Article 348 of the Constitution says :

"(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,

(b) the authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of

Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor of a State, and

(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,

shall be in the English language."

MR. SPEAKER : You need not read the whole thing. I have followed it.

SHRI K. LAKKAPPA : Sir, some of the amendments have been moved in Hindi and, therefore, they are not valid. The Constitution does not confer such a right on the Members to move any amendment in Hindi. I feel that Article 348 of the Constitution is thereby vitiated. They are not entitled to do so. So, all those amendments moved in Hindi should be rejected unless those amendments are moved in English. I want a clear ruling on this point.

MR. SPEAKER : Shri Surendranath Dwivedy.

AN HON. MEMBER : What is the ruling ?

MR. SPEAKER : While discussing all these things, it will come up. Mr. Lakkappa can again talk on this and can explain it more clearly.

Mr. Surendranath Dwivedy.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से चूंकि राजभाषा विधेयक पर विचार हो रहा है, मैं अपनी टूटी-फूटी हिन्दी में कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने है इस में कुछ नई बात नहीं है। जहां तक हमारी राजभाषा का संबंध है 1950 से जब से संविधान मंजूर हुआ और चालू हुआ हम यह तय कर चुके हैं कि हमारे देश में हिन्दी ही हमारी राजभाषा होगी और हिन्दी में ही देश की भाषा के रूप में कार्य होगा। अब उस के बाद हमारे विधान में यह भी था कि 15 साल के बाद 1965 साल से हिन्दी ही चालू हो जायगी और 15 साल तक अंग्रेजी हमारे देश में चले। यह बदनसीबी है कि 15 साल के बाद इस देश में, बल्कि 15 साल पूरा होने के पहले ही यह झगड़ा शुरू हो गया कि हिन्दी को चालू करना है या नहीं। अगर यह शुरू हुआ तो इस की क्या वजह है? यह बिल्कुल साफ है कि अगर हिन्दी के लिए आज देश के इतने इलाकों में विरोध है तो उस विरोध की एक ही वजह कि हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि हिन्दी भाषा को डेवलप करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे कि जिससे कि यह भाषा सर्वसम्मत हो, सारा देश इस को मंजूर कर सके, मान कर चले, वह काम कुछ किया नहीं गया। 15 साल तक हमारी सरकार ने हिन्दी को बिलकुल सीरिअसली नहीं लिया और कुछ काम नहीं किया। आगे नहीं बढ़ाया। मैं यहां याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारा स्वतन्त्रता का संग्राम चल रहा था तो जो नारे हम देश में लगा रहे थे उस में एक नारा हमारा था कि राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी। यह नारा चारों तरफ था। मद्रास में भी था। देश के कोने-कोने में, गैर-हिन्दी इलाकों में भी था। कहीं पर विरोध नहीं हुआ था कि यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज यह क्यों हुआ? उसके दो कारण मैं समझता हूं। एक कारण है कि हमारी सरकार ने संविधान को लागू करने के लिए जो उस का कर्त्तव्य था वह नहीं किया। और दूसरा मैं ज्यादातर दोष देना चाहता हूं हमारे जो हिन्दी भाषी भाई हैं उन को कि हिन्दी के विरोध में कुछ आवाज उठी है। मैं बहुत विचार कर के इस राय पर पहुंचा हूं कि हमारे देश में हिन्दी हमारी भाषा है, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, लेकिन अगर हमारी भाषा चालू करने के लिए विरोध

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

उठता है तो वह विरोध इसीलिए है कि जो लोग हिन्दी भाषी बोले जाते हैं उन की कार्यवाही की वजह से देश में यह विरोध हो गया। यह जो अंग्रेजी हटाओ नारा देश में उठा इस नारे की वजह से दूसरी तरफ से इस के विरोध का भी नारा शुरू हुआ। कभी इस देश में हिन्दी और अंग्रेजी का झगड़ा नहीं था। अगर लोग हिन्दी का कभी विरोध करते थे तो इसी खयाल से करते थे कि जो गैर-हिन्दी इलाके हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अगर हिन्दी चलती है तो उन रीजनल लैंग्वेजेज को डेवलप करने के लिए कोई मौका नहीं रहेगा। और इस से वे लोग नुक्सान में रहेंगे, सर्विसिज में नुक्सान में रहेंगे, रीजनल लैंग्वेज से केवल इसीलिये पहले हिन्दी का विरोध था। लेकिन कभी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में विरोध नहीं था।

16 Hrs.

हिन्दी वालों को आज भी इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये, जो हिन्दी-हिन्दी कहते हैं, उन को जरा भी विरोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि हिन्दी, आप को मालूम है, सब को मालूम है, कोई इतनी बड़ी अच्छी भाषा नहीं है, जिसका आदर कर के सब उस को ग्रहण कर लें। बंगला, तमिल के मुकाबले हिन्दी कुछ नहीं है, हिन्दी एक रिजनल लैंग्वेज है, इस को अगर हम सारे हिन्दुस्तान की लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो धीरज से काम लेना चाहिए और इस को उस जगह पर लाना पड़ेगा, जिससे कि वह सारे हिन्दुस्तान की भाषा हो सके। इस के लिये थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी सहिष्णुता रखनी पड़ेगी। आज जो यह नारा उठ रहा है—हिन्दी चाहिये, हिन्दी चाहिये—यह कहां से उठ रहा है? हिन्दी भाषा-भाषी इलाकों से, यू० पी० से, दिल्ली से, इन इलाकों से यह नारा उठता है। लोग पब्लिक प्रापर्टी को नष्ट कर रहे हैं—आखिर किस लिये? जहां पर कोई अंग्रेजी साइन-बोर्ड देखते हैं—कहते हैं हटा दो। मैं कहता हूं कि अगर हिन्दी वालों को हिन्दी चालू करनी है तो जो हिन्दी के राज्य हैं, वहां इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, वहां पर आन्दोलन करने की क्या जरूरत है। वे नान-हिन्दी इलाकों में जाएं, वहां पर जा कर कहें कि अंग्रेजी हटाओ—यहां पर क्यों कह रहे हैं?

श्री मधु लिमये: पहले यहां तो हटायें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी: यहां तो हट गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से हिन्दी राज्य हैं, जो हिन्दी का विरोध कर रहे हैं। कोई हिन्दी राज्य ऐसा नहीं है जो हिन्दी का विरोध कर रहा है। तो यह मूवमन्ट किस लिये है? यह मूवमेन्ट है—इम्पोजीशन के लिये, जदरबस्ती के लिये, जो नहीं मानते हैं उन पर जबरदस्ती लादी जाए—यह स्प्रिट इस के अन्दर है और जब तक यह जबरदस्ती रहेगी, मैं साफ कह देना चाहता हूं—हमारी पार्टी की तरफ से भी कई दफा साफ कहा गया है—हम मानते हैं कि हमारी राज भाषा हिन्दी होगी, इस में कोई शक नहीं है, लेकिन जब ऐसी मांग आती है कि कांस्टीट्यूशन में अमेण्डमेंट कर के अंग्रेजी को चालू रखो, तो आपको देखना होगा कि यह मांग कहां से आती है—मद्रास से आती है, दूसरी जगहों से आती है—तो आप को सोचना होगा कि नान-हिन्दी इलाके, जो कि इस देश का दो-तिहाई भाग हैं, हमारे देश का एक-तिहाई भाग हिन्दी इलाके हैं, अगर उन के साथ आप ऐसा बर्ताव करेंगे, तो सारे नान-हिन्दी इलाके इस का विरोध करेंगे और तब हम देखेंगे कि आप कैसे हिन्दी चलायेंगे।

हम हिन्दी का विरोध नहीं करते हैं और न करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह जो काम है सब को साथ ले कर किया जाय। मैं मानता हूं कि यह हमारी पहले से गलती है—सारी दुनिया में कोई कांस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है, जिसमें यह लिखा हो या इस प्रकार का

कोई प्रोवीजन हो कि भाषा कौन-सी होगी। हमारा जो इतिहास रहा है, उस में पहले से यह रहा है कि माइनोरिटी को देखो—इन्डीपेन्डेंस से पहले भी यह झगड़ा उठा था कि उर्दू को रखें या हिन्दी को रखें। सन् 1928 में आपको याद होगा—पं० मोती लाल नेहरू के सभापतित्व में जो एक आल पार्टी कान्फ्रेंस हुई थी वहां पर भी यह सवाल उठा था कि हिन्दुस्तान की हमारी भाषा क्या हो, उस वक्त शायद हिन्दुस्तानी को रखा गया था — ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि शुरू से हम माइनोरिटी को खुश रखना चाहते थे और वही बात हमारे कांस्टीट्यूशन मेकर्स के दिल में भी पैदा हुई थी कि इस बारे में हम को कुछ करना चाहिये। जब विरोध हुआ तो हिन्दुस्तानी निकाल दी गई और हिन्दी को रखा गया, जोकि नहीं होना चाहिये था। मेरे विचार में तो संविधान में ऐसा कोई प्रोवीजन ही नहीं होना चाहिये था कि हमारी भाषा क्या है। इसीलिये यह सब झगड़ा होता है। हमारी भाषा भारतीय भाषायें हैं और वही भाषायें रहेंगीं। इस देश में दूसरी भाषा नहीं चल सकती है—इसलिये इस को रखने की क्या जरूरत है, इस के लिये झगड़ा पैदा करने की क्या जरूरत है, इस तरह से यह कभी नहीं हो सकेगा।

आज क्या हालत है? आज इस बात को मानना पड़ेगा, सब को मानना पड़ेगा कि बदकिस्मती से हमारे देश में कई इलाकों के लोग हिन्दी को अभी मन्जूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं हैं—उनका कारण वाजिब है। वह समझते हैं कि हम हिन्दी सीखेंगे, तो इतनी दूर तक जो हम आये हैं, जितनी अंग्रेजी हमने पढ़ी है, जितना हमारा कारोबार है, उस हद तक हिन्दी सीखने में, हिन्दी को अपनाने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन यदि देर तक इस को चलाया जाय. तो धीरे-धीरे अंग्रेजी हट जायेगी, इससे हम को मुश्किल भी कम होगी। इस लिए इस को फौरन लाकर इम्पोजीशन नहीं करना चाहिये। अब प्रश्न यह है कि हम उन लोगों को किस तरह से साथ ले कर चलें। अब यहां एशोरेन्स की बात आई है—हम एशोरेन्स को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, वह तो एक पौलिटीकल चाल थी। प्रधान मंत्री ने लोगों को सन्तुष्ट करने के लिये कह दिया कि हम एशोरेन्स देते हैं कि जब तक सारे अहिन्दी भाषी लोग राजी नहीं होते हैं, अंग्रेजी रहेगी। उस एशोरेन्स को पूरा करने के लिये हम पार्लियामेंन्ट में विधेयक पेश करते हैं—लेकिन उसके कोई मायने नहीं हैं। कल वह विधेयक हम बदल भी सकते हैं। इसलिये उस एशोरेन्स का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक बात हम को ज़रूर देखनी पड़ेगी कि जो लोग हिन्दी लाने के लिये बाध्य कर रहे हैं उन हिन्दी वालों के दिलों में एक शक आया हुआ है कि ये लोग हिन्दी नहीं सीखेंगे, क्योंकि यह सरकार कांस्टीट्यूशन के उस प्रावीजन को पूरा करने के लिये कोई ठोस कदम उठाने वाली नहीं है। जब 20 साल तक उस ने नहीं किया, तो आगे भी करने वाली नहीं है—इसीलिये उनके मन में शक है। जिस तरीके से यह विधेयक आया है, उस से यही जाहिर होता है कि यहां पर अंग्रेजी को कुछ दिनों तक रखेंगे। मैं मानता हूं कि प्रोलौंग्ड बाइलिंगुलिज्म इस देश में कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन हम को देखना चाहिये कि अंग्रेजी भाषा क्यों जरूरी है? मैं यह मानता हूं कि जिस देश में दो प्रतिशत लोग भी अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते, उस देश में अंग्रेजी भाषा ज्यादा दिन तक चलेगी — यह सम्भव नहीं है। लेकिन उन लोगों को राजी करने के लिये यह ज़रूरी है कि हम ऐसे कुछ कदम उठायें, ऐसा प्रावीजन रखें कि उनके दिल में जो यह शक पैदा हो गया है कि हिन्दी हम पर लादी जा रही है, यह शक दूर हो जाए।

जहां तक मैंने इस बिल को पढ़ा है, इसमें इधर-उधर कोई परिवर्तन होना चाहिए तो वह संशोधन कर लें, लेकिन वैसे यह बिल हिन्दी का विरोधी नहीं है। हिन्दी किस तरह

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

से सर्वसम्मति से चालू होगी, इस के लिये कुछ रास्ता इस में सुझाया गया है, रास्ता निकाला गया है । इसीलिये जो रेजोल्यूशन आया है, मैं उस को भी बहुत महत्व देता हूं । यह रेजोल्यूशन पहले से आना चाहिये था । यह गवर्नमेन्ट का फर्ज था कि कांस्टीट्यूशन में 343 से 348 तक जो धारायें रखी गई हैं, उनको काम में लेती, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया, अब इस विधेयक के साथ उस को लाये हैं । हम जानते हैं कि इस सरकार ने इस कांस्टीट्यूशन के अनुसार प्राइमरी एजूकेशन के लिये क्या किया, प्राहिविशन के लिये क्या किया, डिस्पैरिटी हटाने के लिये क्या किया, कांस्टीट्यूशन के इन सारे प्रावीजन्ज को काम में लाने के लिये क्या किया— कुछ काम नहीं किया है । यह निकम्मी सरकार है इस को हटाओ ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विधेयक हिन्दी के खिलाफ़ नहीं है, इस विधेयक में केवल देश के अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिये व्यवस्था की गई है । मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यदि हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम अपने देश के दो-तिहाई लोगों को क्या तसल्ली देंगे, उनमें सिर्फ मद्रास के डी०एम० के० वाले भाई नहीं हैं, मैं खुद भी आपके सामने खड़ा हूं मैं भी हिन्दी भाषी नहीं हूं— इसलिये हम ऐसी चीजों के पीछे नहीं जायेंगे, जिसमें झगड़ा हो, हम उस रास्ते को कभी अख्तियार नहीं करेंगे जिसमें हमारी एकता भंग हो । ये जो हमारे भाई हैं, जो अहिन्दी भाषी हैं, जो सारे देश में फैले हुए हैं, उन की अवज्ञा कर के, उन को छोड़ कर, क्या हम आगे बढ़ सकेंगे । यह बात आज हम को पार्लियामेन्ट में विचार करनी है । इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो यह जो विधेयक आया है इस में जो प्रावीजन किया गया है, वही ठीक है ।

16·09 HRS.

[SHRI G. S. DHILLON *in the Chair.*]

एक मांग है कि हिन्दी पूरी तरह अमल में लाने के लिए एक टाइम लिमिट कर दी जाय कि पांच साल के अन्दर हिन्दी चालू हो जाएगी तो वह भी इस तरीके से हिन्दी लादने की ही बात होगी क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि अभी इस को लाने में कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे? हिन्दी पांच साल की अवधि में लाने के लिए आप ने क्या प्रबन्ध किया है आप ने अहिन्दी भाषी प्रान्तों में, कि वहां पर पांच साल के अन्दर उन को इतनी दक्षता हो जाएगी कि वह सब काम-काज हिन्दी में भली-भांति चला सकें? क्या प्रबन्ध आप ने इस के लिए किया है कि पांच साल के अन्दर जैसे मैं आज अंग्रेजी में बोल सकता हूं वैसे ही मैं हिन्दी में भी बोल पाऊंगा? मेरी समझ में ऐसी दक्षता नहीं हो पायेगी । इसलिए इस बारे में कोई टाइम लिमिट करना और वह भी आज के हालात में जब कि इतनी मुखालफ़त हो, उचित नहीं है और अगर वैसा हम करते हैं तो जिस उद्देश्य से हम यह विधेयक पास करना चाहते हैं वह उद्देश्य बिलकुल बर्बाद हो जायगा, नष्ट हो जायगा । वह उद्देश्य काम में नहीं आयेगा । मैं नहीं समझता हूं कि आज की हालत में इस तरह की कोई टाइम लिमिट फिक्स करनी जरूरी है । आज जो लोग कहते हैं कि इस तरह का विधेयक लाना बिलकुल अनकांस्टीट्यूशनल है, यह संविधान के विपरीत है तो मेरा कहना है कि वह तो जिस रोज 1963 में हम ने यह विधेयक ग्रहण किया उसी दिन से हम ने अनकांस्टीट्यूशनल काम करना शुरू कर दिया । सन् 1965 की जो अवधि हम ने रक्खी थी हिन्दी को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए, वह लानी सम्भव नहीं दिखाई दे रही थी इसलिए सन् 1963 में ही कांस्टीट्यूशन को तोड़ कर और विधेयक करके यह कर दिया कि अंग्रेजी हिन्दी के साथ रहेगी : इसलिए जो इस संशोधन विधेयक को अनकांस्टीट्यूशनल होने की बात करते हैं तो वह तो उस तरह से पहले से ही सन्

1963 ने ही अनकांस्टीट्यूशनल था इसलिए यह अनकांस्टीट्यूशनल होने की बात आज नहीं उठती है । मेरी समझ में हमारे जो हिन्दी भाषी लोग हैं उन का इस बारे में अपेक्षाकृत अधिक कर्त्तव्य व दायित्व है कि वह प्रेम से अपने साथ अहिन्दी भाइयों को हिन्दी की दिशा में ले चलने का धीरे-धीरे प्रयास करें। इस चीज में सेंटीमैंट की बात आ गई है, कुछ पालिटिक्स की भी बात आ गई है और अगर हम इस पालिटिक्स को छोड़ कर विचार करें तो मैं समझता हूं कि हिन्दी देश में चालू होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हम जरूरत से ज्यादा अगर इसी को दुहरायेंगे, इसी पर इम्फैसिस देंगे तब मैं समझता हूं कि यह देश टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। आखिर कैनाडा एक छोटा सा देश है लेकिन उस में कई भाषाएं हैं, इजरायल में भी इसी तरह २-३ भाषाएं हैं तो हमारे इतने विशाल देश में अगर कुछ दिन तक एक से अधिक भाषा चले तो इस में हमें घबड़ाना नहीं चाहिए । हमारा देश मल्टीलिंग्वल है, काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेज यहां पर हैं और हम ने कांस्टीट्यूशन में उन के लिए प्राविजन किया है और कांस्टीट्यूशन में फिर अमैंडमेंट आता है कि अमुक प्रादेशिक भाषा को भी उस सूची में शामिल करो। कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में काफ़ी प्रादेशिक भाषाएं हैं और संविधान ने उन्हें मान्यता भी प्रदान की हुई है ऐसी हालत में क्या बिगड़ता है। अगर कुछ दिन तक हमारे देश में दो भाषाएं चलें? आखिर देश की एकता हम सब के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए । अब अगर कोई मुझ से पूछे कि तुम देश की एकता चाहते हो या हिन्दी चाहते हो तो मैं फौरन जवाब दे दूंगा कि भाई हिन्दी ५, १०, या २० साल के अन्दर भले ही आवे उस से कुछ विशेष नहीं बिगड़ने वाला है लेकिन देश की एकता का खतरा हम एक क्षण के लिए भी नहीं मोल ले सकते। आज हमारे सामने प्रश्न देश की एकता, इंटैग्रिटी और यूनिटी की रक्षा करने का है और उस की रक्षा करने का रास्ता सिर्फ यही है, अन्य कोई रास्ता नहीं है कि हमें सब को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मैं फिर एक दफा यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर से जो आन्दोलन होता है और भीतर हम जिस तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं उस पर हम जरा गम्भीरता से विचार करके देखें कि इसके परिणामस्वरूप कहीं हम देश की एकता को तो कमजोर नहीं कर रहे हैं। अभी भी देश में कहीं से यह मांग उठ रही है कि इस कांस्टीट्यूशन को बदलो, कांस्टीट्यूशन को हटा दो और अगर देश में इसी प्रकार का बर्ताव चलता रहा तो यह प्रवृत्ति घटने वाली नहीं है बढ़ने ही वाली है और देश की एकता छिन्न-भिन्न हो जायगी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो भाषा सम्बन्धी संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उस को हम सब को मंजूर कर लेना चाहिए क्योंकि इस में मैं एकता को कायम रख सकने की आशा देखता हूं।

भाषा सम्बन्धी डिबेट जो सन् 1963 में सदन में हुआ था उस का मैं अध्ययन कर रहा था तो उस समय डी० एम० के० के जो यहां नेता होते थे श्री मनोहरन, उन का उस वक्त यह कहना था कि जब तक हम एग्री न हो जायें। तब तक इसको मत करो। अब एग्री करने का दायित्व किस का है? मैं आशा करता हूं कि वह लोग भी आज नहीं तो कल, वह दिन आने वाला है, जब इस के लिए एग्री हो जायेंगे, क्योंकि अगर उन को तामिल के प्रति श्रद्धा है, तामिल भाषा के लिए श्रद्धा है तो मैं समझता हूं कि उसी तरीके से उन को और भी भारतीय भाषाओं के लिए श्रद्धा होगी। अब जाहिर है कि भारतीय भाषाओं के लिए श्रद्धा होनी है तो देश में हिन्दी के सिवाय और कोई भी अन्य भारतीय भाषा इस देश की लिंक लैंग्वेज नहीं हो सकती है। वह भी कुछ दिन के बाद इसे मंजूर करेंगे।

आज करीब-करीब हमारा फैसला हो गया है कि युनिवरसिटीज में एजूकेशन का मीडियम रीजनल भाषा होगी और वहां पर पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में चलेगी और अगर यह चलती

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

है तो यह मानी हुई बात है कि अंग्रजी का आज जो स्थान है वह और कमजोर हो जायगा। जब अंग्रेजी कमजोर हो जाती है, रीजनल लैंग्वैज युनिवरसिटीज में होती है तो भारतीय प्रादेशिक भाषाओं का निश्चित रूप से प्राधान्य बढ़ता है। साथ ही यह भी मानी हुई बात है कि जब उन के बीच कोई एक लिंक लैंग्वैज की बात होगी तो वह किसी भारतीय भाषा को ही पसन्द करेंगे, अंग्रेजी को नहीं पसन्द करेंगे और जैसा मैंने अभी कहा वह भारतीय भाषा हिन्दी ही हो सकती है।

आज लोग पूछते हैं कि कैसे यहां पर काम चल सकेगा क्योंकि हिन्दी सारे लोग समझते नहीं हैं तो मेरा उन से कहना है कि अगर कोई भाव प्रकट करना है तो उस के लिए यह जरूरी नहीं है कि कोई एक भाषा हो ही। जब शंकराचार्य महाराज केरल से आये और वह कश्मीर तक गये तो उन्होंने किस भाषा में लोगों को अपना संदेश व उपदेश दिया? इसलिए हमें देश की एकता का मूलाधार क्या है उस को समझना चाहिए। पहली जरूरत इस बात की है कि हम देश में हिन्दी के लिए अनुकूल हवा व वातावरण पैदा करें, लोगों को प्रेम से उस दिशा में चलाने का प्रयास करें क्योंकि हम देश की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि जिस दिन तक हमारे दूसरे अहिन्दी भाई हिन्दी को अमल में लाने के लिए राजी नहीं होते हैं उस दिन तक हमारे देश में दो भाषायें चलें हम को कोई ऐतराज नहीं है।

इस विधेयक के द्वारा अलबत्ता एक बात उठती है और वह है कि किसी भी स्टेट को एक वीटो पावर मिल जायगी और उस के लिए हमें देखना चाहिए और आवश्यक संशोधन के लिए विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आप को बतलाऊं कि नागालैंड एक छोटी सी स्टेट बन गई है भले ही वह कुछ भल के कारण बनी हो लेकिन वह बन गयी है। अब उन के लिए हमारे मन में पहले से यह विचार है कि वह एक क्रिश्चियन स्टेट होगी और वह अपनी राजभाषा अंग्रेजी को करेंगे। अब अगर दूसरे भाषा-भाषियों को आप यह अधिकार देते हैं कि वह अपनी-अपनी स्टेट में अपनी खुशी के मुताबिक जो लैंग्वैज चाहें उसे चलावें तो नागालैंड वाले चूंकि समझते हैं कि उन के लिए अंग्रेजी चलाने में सहूलियत है इसलिए वह अंग्रेजी चला रहे हैं लेकिन यह गलत बात होगी। विधेयक में अभी जो प्राविजन रहता है कि नागालैंड जो एक स्टेट है वहां अंग्रेजी चलती है क्योंकि वहां के लोग ऐसा चाहते हैं तो सारे देश में अगर मेजारिटी कहती है कि हिन्दी चालू करना है लेकिन चूंकि युनेनिमिटी नहीं है तो वह नहीं चालू की जा सकती है तो यह बात गलत होगी। वह देश के लिए भी गलत होगी। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि यह जो अभी कहा गया है उस का यह मतलब है कि सारी की सारी स्टेट राजी होगीं तभी हिन्दी को चालू किया जा सकेगा। अगर मेजारिटी स्टेट्स इस को चालू करने के लिए राजी हो जायेंगी तो उसे अमल में ले आया जायेगा। अगर एक उस के खिलाफ़ होगी तो एक के लिए पार्लियामेंट बैठी नहीं रहेगी और उसे वीटो पावर नहीं होगी और न होनी ही चाहिए। प्राविजन आप कुछ भी करें जैसा मैंने कहा अगर समूचे देश में आप हिन्दी के लिए प्रेम से व्यवहार करके अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं, देश में इस बारे में तमाम झगड़े और प्रदर्शन आदि बन्द हो जाते हैं और उस समय अगर हर एक नौन-हिन्दी स्टेट हिन्दी को अमल में लाने के लिए राजी हो जाती है तब मेरे दिल में जरा भी शक नहीं है कि वह क्यों न समूचे देश में आ सके। भले ही उस समय एक टुकड़ा नागालैंड हो या इर्दगिर्द और कोई भाई हों जोकि इसके विरुद्ध हों तो वह उसे अमल में आने से रोक नहीं सकेंगे और सारे देश में हिन्दी चालू होगी, इसलिए हमें इस बारे में धीरज से काम लेना चाहिए।

यह बिल एक अच्छी आबहवा पैदा करता है और अगर लोगों के दिलों में इस तरह से एक

गलतफ़हमी न पैदा कर दी जाती, लोगों के अन्दर इस तरह का भ्रामक प्रचार न कर दिया जाता तो सभी लोग इस का स्वागत करते। यह मैं साफ दिल से कहता हूं कि यह जो आबहवा अब फैल गई है उस में मालूम ऐसा देता है मानों यह संशोधन विधेयक हिन्दी के विरुद्ध हो। मैं कहता हूं कि यह हिन्दी को बढ़ाने वाला बिल है, हिन्दी की अभिवृद्धि का बिल है। इस बिल द्वारा सभी देशवासियों को साथ लेकर हिन्दी को चलाने की दिशा में एक प्रयास है लेकिन अभाग्यवश आबहवा ऐसी पैदा की जाती है कि यह हिन्दी के विरुद्ध है और इस को लेकर देश में गड़बड़ी मच गई है।

सभापति महोदय, मुझे इस अवसर पर और अधिक नहीं कहना है क्योंकि जब इस पर धारा-वार विचार होगा तब जो मैंने इस पर संशोधन दिये हैं उन की रोशनी में मैं इस विधेयक पर विस्तारपूर्वक कहूंगा। मेरी समझ में एक-आध संशोधन इस में अपेक्षित हैं जैसे कि मैंने एक संशोधन इस पर दिया भी है कि अगर एक हिन्दी भाषा-भाषी स्टेट है और वह एक अहिन्दी भाषा-भाषी स्टेट से हिन्दी में वार्तालाप करना चाहती है और इस बारे में अगर उन में परस्पर राजीनामा हो जाय तो यह हो सकता है। बिल में यह प्राविजन हो। अगर नान-हिन्दी वाले हिन्दी भाषा में हिन्दी वालों से बात करना चाहते हैं या यूनियन के साथ करना चाहते हैं तो वे भी कर सकते हैं लेकिन यह काम रजामन्दी से ही हो सकता है। इस में एक बात की सफाई नहीं है। अगर हिन्दी में लिखा जाता है तो हिन्दी में जवाब आएगा और साथ में अंग्रेजी ट्रांस्लेशन आएगा। जो नान-हिन्दी वाले लिखेंगे वे अपनी भाषा में और अंग्रेजी में लिखेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास यहां से हिन्दी में जवाब जाएगा? मुझे मालूम है कि शायद नन्दा जी जब होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने कोई सर्क्युलर निकाला था कि जहां से जिस भाषा में पत्र आएगा उसी भाषा में उसका जवाब भी जाएगा। लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि इस चीज को लागू किया जाए। मैं चाहता हूं कि केन्द्र के पास अगर हिन्दी में या किसी अन्य भारतीय भाषा में या अंग्रेजी में पत्र आता है तो उस पत्र का उत्तर उसी भाषा में उनके पास पहुंचना चाहिये। इस चीज को साफ कर दिया जाए तो अच्छा होगा। तब किसी के दिल में जरा भी शक नहीं रह जाएगा कि उस पर कोई भाषा थोपी जा रही है।

यह जो रेजोल्यूशन है इस में कहा गया है कि पब्लिक सर्विस कमिशन की जो परीक्षाएं होती हैं उन में हिन्दी का ज्ञान रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। यह कह कर अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं कहना गलत होगा।

हिन्दी को लाने के लिए छोटे-मोटे इधर-उधर जो संशोधन करने की आवश्यकता है उन के बारे में हम बैठ कर सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो विधेयक है इसको सब मंजूर करें। यह कहा गया है कि एक नैशनल कंसैंसस के आधार पर इसको तैयार किया गया है। मैं कहूंगा कि इसको हम अमल में लाएं। अगर अमल में लाते वक्त कोई दिक्कत दिखाई दी तो हाउस सुप्रीम है और वह फिर से इसमें संशोधन कर सकता है। पहले भी हम कर चुके हैं और बाद में 1968 में या 1969 में अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर भी हम संशोधन कर सकते हैं, फिर भी हम इसको एमेंड कर सकते हैं। अगर हिन्दी को बढ़ाने के रास्ते में मुश्किलात पेश आती हैं और उसके साथ-साथ अंग्रेजी भाषा-भाषियों को या अहिन्दी भाषा-भाषियों को कोई दिक्कत महसूस होती है तो हम फिर इस में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो देश की हालत है और जिस तरह से भांति-भांति की मनोभावना बनी है, मनोवृत्ति बनी है और जिस तरह से झगड़े पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से टैंशन पैदा हो रहा है और लगता है कि हिन्दुस्तान जैसे टुकड़े-टुकड़े होने वाला है, इसको अगर रोकना है तो मैं निवेदन

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

करूंगा कि अभी हम इस विधेयक को मंजूर कर लें और इसको आगे बढ़ाने में हम सब मदद दें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : सभापति महोदय, सदन में कुछ समय पहले जिस तरह का तनाव का वातावरण हो गया था उसमें श्री द्विवेदी जी के भाषण ने मरहम का काम किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देती हूं। कुछ लोगों की जुबान के कोड़े से हिन्दुस्तान की पीठ छीली जा रही थी और द्विवेदी जी ने मरहम लगा कर उस घाव को ठंडा करने की कोशिश की है।

यहां पर आध घंटा पहले कुछ लोगों ने जो वातावरण बनाया चाहे वे हिन्दी भाषी हों और चाहे अहिन्दी भाषी, मैं कहना चाहती हूं कि उन लोगों ने देश के साथ बड़ा अन्याय किया। इसको देख कर मुझे यह शेर याद आया और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि होश में भी हैं या नहीं।

जनू का दौर है किस-किस को जायें समझाने,
इधर भी अक्ल के दुश्मन, उधर भी दीवाने।

आखिर किया क्या जाए? लोगों को समझना चाहिये कि एक शब्द जो तीर की तरह जबान से निकल जाता है तो फिर वह लौट कर जबान पर नहीं आता है और न जानें कहां-कहां कितने गहरे घाव करता है। जब उनकी समझ में नहीं आता है यह तो मैं उनके लिए क्या कहूं। क्या मैं यह कहूं कि उनको पागलपन का दौर है। श्री श्रीकंठन नायर साहब ने क्या.....

एक माननीय सदस्य : दौड़ या दौर।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : दौर।

एक माननीय सदस्य : हमने समझा था दौड़।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मुझे दुख हुआ उस सब पर जो कुछ श्री श्रीकंठन नायर जी ने और श्री कछवाय जी ने किया। उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिये थी। हिन्दी को अगर गाली दी जाती है तो यही नहीं कि यह उचित नहीं है बल्कि आप यह भी देखें कि इससे देश में इस प्रकार की हवा बनेगी कि जिस की कोई दवा नहीं होगी। साथ-साथ आप यह भी देखें कि अगर अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के मन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पैदा होते हैं और वे समझते हैं कि हम उनकी बात की कद्र नहीं करते हैं तो जो नुक्सान इससे पहुंचता है, उसकी भी कोई दवा नहीं हो सकेगी।

हम जब बच्चे थे तो इसी संसद् की उन दिनों की याद आज भी हमारे दिलों में ताजा है। यहां की एक-एक आवाज को सुन कर देश उठ पड़ता था और जाग जाता था। उस समय हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वह जंग हमने इसलिए नहीं लड़ी कि बिहार या उत्तर प्रदेश में आजादी आएगी और देश के दूसरे भागों में आजादी नहीं आएगी। इसलिए वह जंग हमने लड़ी कि देश के कोने-कोने में आजादी आएगी, हम सब लोगों ने खून-पसीना बहाया था इसलिए कि हमारा देश आजाद हो। उस वक्त हम सब ने साथ जीने की और साथ मरने की कसम खाई थी।

उन दिनों की बात को सोच कर ऐसा लगता है जो कि संसद् एक आवाज पर सारे देश को जगा सकता था वही संसद् आज एक आवाज बन कर देश में विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम इस बात को माने कि हम जो यहां बैठ कर बात करते हैं, हम लाखों-लाखों आदमियों की जबान और लाखों-लाखों आदमियों के कान और आंख से हम बात करते हैं। चाहे हिन्दी भाषी हों या अहिन्दी भाषी। हम इस को महसूस करें कि कहीं की भी कोई ऐसी चीज न हो जिससे हिन्दुस्तान की एकता भंग हो, हिन्दुस्तान की एकता को हम किसी तरह से खंडित करने में सहायक हों। और यही काफी नहीं है कि हम इस चीज को अपने मुंह से कहें। हमें चाहिए कि हमारे दिलों की धड़कनें भी इस बात को महसूस करें।

अगर आज दक्षिण भारत का, पूर्वी भारत का या उत्तरी भारत का एक कोना भी खंडित होता है तो हमारी पार्टी के लोग खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेफा और लद्दाख में जो कुछ हुआ, बिहार का आदमी शायद न गया होगा वहां, परंतु जब उन इलाकों को अलग करने की कोशिश हुई उससे हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। अगर कोई हिन्दुस्तान के सुनहरे नाम पर धब्बा भी लगाने की कोशिश करता है, कारण चाहे जो हो तो, हम सब एक हो कर उसका मुकाबला करते हैं। कौन दावा कर सकता है कि वह हिन्दुस्तान से अलग हो कर कहेगा। मैं समझती हूं कि हिंदुस्तान का इतिहास हिन्दुस्तान की यथार्थता, हिन्दुस्तान की जमीन कभी हिन्दुस्तान का आसमान अलगाव, नहीं मांगेगा और न वह इसको बरदाश्त करेगा।

इस बात को मैं मानती हूं कि हिन्दी मेरी मातृभाषा है। लेकिन किन लोगों ने इस को राज भाषा माना है और किन लोगों ने इस को राज भाषा का पद दिया है? क्यों हमारे ऊपर आप इस बात की तोहमत लगाते हैं कि हम ने इसको राज भाषा बनाया है। अहिन्दी भाषियों ने ही तो इसको राज भाषा के रूप में माना है। हम यहां उस समय कहां थे इस संसद् में। हमारे बच्चे कहां थे संसद् में और पार्लिमेंट में जब आपने राज भाषा हिन्दी को माना था? क्या आपने हमारे कंधों पर हिन्दी को राज भाषा का स्थान दिलाने की जिम्मेदारी नहीं डाली थी, अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली थी? जब हम सब के कंधों पर बराबर का बोझ डाला गया है तो ये कंधे कह सकते हैं कि हिन्दी को राज भाषा बनाने की जिम्मेवारी सिर्फ हिन्दी वालों की है और अहिन्दी भाषा-भाषियों की नहीं है? आज यह कहना कि हिन्दी गलत भाषा है, आज यह कहना कि हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है, आज यह कहना कि हिन्दी कुछ नहीं है, यह अपने प्रति आप गद्दारी कर रहे हैं, राज भाषा के प्रति आप गद्दारी कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के प्रति आप गद्दारी कर रहे हैं, अपनी उस संविधान सभा के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, जिस संविधान सभा में आपके पूर्वजों ने, आपके बुजुर्गों ने, अहिन्दी भाषा भाषी लोगों ने हमारे लिए यह तोहफा दिया था और इस तोहफे को वे हमारी झोली में दे कर चले गय थे। हमारी गोदी में आज हिन्दी आई है तो क्या हम इसको जबर्दस्ती ले आए हैं? हमारी गोदी में हिन्दी आई है इसलिए कि अहिन्दी भाषी लीगों ने उस हिन्दी का नाम लिया और उसको राजभाषा बनाया। उत्तर प्रदेश और बिहार की आवाज उस समय नहीं गूजती थी। आवाज गूंजती थी तो केरल की, मद्रास की, आंध्र की, और जैसा कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने उस दिन हमारी सभा में कहा था कि खादी और हिन्दी देश की स्वतन्त्रता की एक अनुभूत बन गए थे, देश की स्वतन्त्रता में ऐसे लिपट गये थे कि हम जब खादी की आवाज उठाते थे तो देश की स्वतन्त्रता की दुंदुबी बज जाती थी, जब हिन्दी की आवाज उठाते थे तो हर जगह जनता के हाथ उठ जाते थे, देश की आजादी के लिए। गांधी जी ने इस भाषा के लिए जो एक सद्भाव पैदा किया था उस सद्भाव के में जबर्दस्ती वाली कोई बात नहीं थी बल्कि आप लोगों का अपना प्यार था, अपना स्नेह था। आज भी यह हिन्दी वही हिन्दी है। इस वास्ते अगर कुछ लोग इस बात की तोहमत लगाते हैं, अगर आज कुछ लोग इस तरह से गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हिन्दी अहिन्दी भाषी लीगों पर हम लादना चाहते हैं तो इस बात को मैं बिल्कुल निरर्थक समझती हूं। परन्तु मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। और कोई कह दे कि हमारी नाक नहीं है तो हम पहले अपनी नाक को देखें या दूसरों की बात को मान कर इस बात का फैसला कर लेंगे कि हमारे मुंह पर हमारी नाक नहीं है। अगर किसी ने कह दिया कि हम हिन्दी को लादना चाहते हैं, तो अहिन्दी-भाषी राज्यों ने इस बात को क्यों मान लिया, यह मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंने यह क्यों नहीं सोचा कि जब हिन्दी आई थी, तो उस को लाने वाले वे थे, हम नहीं।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

हिन्दी को वे लाए थे और हम ने उनका साथ दिया था और इस प्रकार हिन्दी को यह स्थान दिया गया । कब किसी ने कहा है कि हिन्दी बहुत बड़ी है ? कब किसी ने कहा है कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय भाषाओं में सिर्फ हिन्दी ही इस स्थान के लिए दावा कर सकती है, और भाषाएं नहीं ?

हिन्दुस्तान के बारे में सोचने वाले लोग उन दिनों को याद रखें, जबकि हजारों बरस पहले ये भाषाएं भी नहीं थीं, रेलगाड़ियां नहीं थीं और आने-जाने के रास्ते नहीं थे । तब भी अगर बिहार का एक आदमी सेतु-रामेश्वरम् में पूजा कर के आता था, तो बिहार के गांवों में उस की पूजा होती थी, उसका चरणामृत लिया जाता था । हिन्दू शास्त्र के अनुसार चार धामों की जो इतनी महिमा थी, उस का कोई और मतलब नहीं था, उस का मतलब सिर्फ यह था कि हिन्दुस्तान की संस्कृति के जरिये हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांध कर रखा जाये ।

वे चार धाम कहां-कहां थे : पूर्व में वैद्यनाथ था जहां बंगला बोली जाती थी । पश्चिम में द्वारिका था, जहां गुजराती बोली जाती थी । दक्षिण में सेतु रामेश्वरम् था, जहां तामिल बोली जाती थी और उत्तर में बदरीनाथ था, जहां पहाड़ी भाषायें और संस्कृत बोली जाती थी । इन चारों धामों की यात्रा करने वाला आदमी देवता-तुल्य हो जाता था और लोग उस के चरण धो कर उस की पूजा करते थे । उस समय हिन्दुस्तान को एक-सूत्र में बांधने के लिए न तो यह संविधान था और न ही यह पार्लियामेंट थी । वह हमारे राष्ट्र की संस्कृति, उस की एकता, यहां के लोगों का परस्पर प्यार और स्नेह था, जिस ने शंकराचार्य बुद्ध और महावीर को पैदा किया । वह थी हमारी असलियत, जिस को आज हम सब भूलते जा रहे हैं ।

कुछ लोग हिन्दुस्तान से अलग होने की बात करते हैं । वे कहां जा कर रहेंगे हिन्दुस्तान से अलग होकर ? हिन्दुस्तान के सब लोगों को सोचना चाहिए कि वे इसी मिट्टी और इसी जमीन पर घर बना सकते हैं, यहां ही अपनेपन की बात पैदा कर सकते हैं और यहां ही अपने कहला सकते हैं । उन को और कहां चिराग ले कर ढूंढ़ने पर भीपनाह नहीं मिलेगी और वे तरसते-तरसते लौट कर फिर इसी ठिकाने पर चले आयेंगे । कौन है जो हिन्दुस्तान को खंडित करने की बात करता है ? हिन्दुस्तान को न तो भाषा खंडित कर सकती है और ऐसी पार्टियां कर सकेंगी, जिस के नुमायन्दे बनकर श्री श्रीकान्तन नायर आए हैं और न वे कर सकेंगे, जिन की नुमायंदगी डी० एम० के० वाले कर रहे हैं ।

मैं इस संसद् में 1952 से आई हूं । डी० एम०के० आज हिन्दुस्तान की एकता की बात करता है । मैं उन के जीवन का पहला पन्ना खोल कर दिखाना चाहती हूं । उन्होंने कहा था कि हम हिन्दुस्तान से अलग हो जायेंगे । जिस मुंह से यह बात निकली थी, उस मुंह से आज हिन्दुस्तान की एकता की बात सुन कर मुझे यह महसूस होने लगा कि अगर कोई दिन भर का भूला-भटका आदमी शाम को घर चला जाता है, तो हमें उस को भूला-भटका नहीं कहना चाहिए । हम माफ कर देने के लिए तैयार हैं उन लोगों की उस भावना को, कि हम अपने को हिन्दुस्तान के अलग करना चाहते हैं—जिस को उन्होंने बरसों तक अपनी विचार-धारा के रूप में अपनाये रखा । लेकिन आज वे एकता की बात कर के हम को सबक देने की कोशिश न करें । एकता की भावना को हम ने उस समय देखा था, जब कि राजाजी के नेतृत्व में 1937 में मद्रास की विधान सभा ने हिन्दी के बारे में प्रस्ताव पास किया था । मद्रास को हम ने उस समय भी देखा था, मद्रास हमारे जीवन का हिस्सा है । किसने इन लोगों को हक दिया है कि ये मद्रास को अपनी थाती बना लें । पूरा हिन्दुस्तान हमारी थाती है, केवल बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं । मद्रास और आन्ध्र प्रदेश पर हमारा भी उतना ही हक है, जितना कि वहां के लोगों का हो सकता है । उसी तरह

डी०एम०के० के सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि देश का एक हिस्सा होने के नाते बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी उन का उतना ही हक है, जितना कि उन का अपनी जमीन और आस्मान पर हक है।

इसलिए इस गलतफहमी को मैं दूर करना चाहती हूं कि हम हिन्दी को लादना चाहते हैं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, कुछ बातों के साथ मैं इस का समर्थन करना चाहती हूं। हम ने हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया और उस को उस स्थान से हटाने का किसी का इरादा नहीं है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो प्रदेश हिन्दी में काम करना चाहें, चाहे वह उनकी मातृभाषा हो या न हो,—शायद आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार आदि के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और आसाम ने भी यह फैसला किया है कि वे हिन्दी में अपने सब कामों को करने की कोशिश करेंगे—उन पर अंग्रेजी न लादी जाये।

मैं आप को याद दिलाना चाहती हूं कि एक महाराष्ट्रियन होते हुये भी तिलक ने गीता का जो भाष्य लिखा था, उतना अच्छा भाष्य हिन्दी के किसी भाष्यकार या टीकाकार ने भी नहीं लिखा। उस किताब को केवल हिन्दी वाले ही नहीं, बल्कि अहिन्दी-भाषी भी पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दी-भाषी लोगों में ऐसे लोग पैदा हों, जो हमारे साहित्य में एकता लायें। हम यह भी चाहते हैं तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाओं के अच्छे शब्द हिन्दी में समाविष्ट हों और हिन्दी में उन का प्रयोग हो। अगर हमारे देश की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषायें हम पर लादी जायें, तो हम उस को सिर आंखों पर बिठाएंगे। अहिन्दी-भाषी लोग अपने आप को हम पर लादें, हम उन को कलेजे से लगा कर रखेंगे। परन्तु अंग्रेजी को हम पर लादने की कोशिश न की जाए। मैं कहना चाहती हूं कि अंग्रेजी हमारे लिए ऐसी चीज हो गई थी जिस के खिलाफ हमने आन्दोलन किया। अंग्रेज और अंग्रेजी में हम ने कोई फर्क नहीं किया। इसलिए अंग्रेजी कभी भी हमारी अपनी भाषा नहीं बनी और न कभी बनेंगी। जैसा कि श्री द्विवेदी ने कहा है, जब अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी को उन लोगों पर न लादा जाए, जिन्हों ने हिन्दी में अपना काम करने का निश्चय किया है।

माननीय सदस्य यह भी मानें कि इस बिल की ताईद करने से पहले हम ने उन लोगों की बड़ी मिन्नत की है, जो काफी आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, कहते हैं कि किसी को वीटो पावर नहीं दी जानी चाहिए। मैं उन से भी मिन्नत कर के कहना चाहती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम को यह कोशिश करनी चाहिए कि अहिन्दी भाषी प्रदेशों पर हिन्दी भी लादने की कोशिश न की जाए।

श्री मधु लिमये : कौन कर रहा है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इसलिए मैं श्री द्विवेदी की इस बात की ताईद करती हूं कि हम को अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के लिए पांच या दस बरस का समय निर्धारित करने की बात यहां नहीं लानी चाहिए। परन्तु यह भी फैसला हो जाए कि हिन्दीभाषी प्रदेशों में अंग्रेजी में काम नहीं किया जाएगा। उस के बाद जैसा कि श्री द्विवेदी ने कहा है, हमें दो-तिहाई आदि की बात नहीं करनी चाहिए। हम उस को छोड़ देते हैं। किसी ने खूब कहा है, "न हंस कर सीखा है, न हम ने रो कर सीखा है, जो कुछ भी सीखा है, किसी का हो कर सीखा है।" आज हम जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी पायेंगे, वह हम एक दूसरे के हो कर पाएंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ा कर या एक दूसरे के प्रति रोना रोकर नहीं पायेंगे। जिन लोगों को बिना बात, बिना मौसम, हंसी आती है, उन से मैं यह बात कहना चाहती हूं कि एक दूसरे पर हंस कर, मजाक उड़ा कर, रो कर और गाली दे कर अपनापन नहीं आने वाला है और नहीं आयेगा। अगर अपनेपन की

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

भावना लानी है, तो वह एक दूसरे का हो कर ही लानी होगी। इसलिए मैं श्री वाजपेयी, श्री मधु लिमये, कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों और डी० एम० के० के सदस्यों से अदब के साथ यह अपील करना चाहती हूं कि—"उन को आता है मेरे प्यार पर गुस्सा, हम को गुस्से पर प्यार आता है"—वे एकता की भावना के साथ और एकता की भाषा में बोलने की कोशिश करें। कम से कम मजाक न उड़ायें। कम से कम एक बात का तो फैसला कर लें कि हिन्दी की बात आए और हिन्दी के विरोध में कोई बात बोली जाए तो आप तालियां बजाना बन्द कर दें। आप ताली बजाते हैं तो लाखों और हजारों लोगों के कलेजे पर छुरी चलती है। इस बात का एहसास करें। एक बात का फैसला और आप करें। हिन्दुस्तान की एकता को कसम खाने वाले लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि अगर हम से आप उम्मीद करते हैं कि हम आप के जख्मों पर मरहम लगाएं, हम आपको समझने की कोशिश करें तो मेहरबानी कर के हम को समझने की कोशिश कीजिए।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी जी ने दिए हैं और जो अमेंडमेंट्स सुचेता जी ने दिए हैं, उनका यही एक विचार है कि उस में यह साफ हो जाय कि अंग्रेजी-हिन्दी पर नहीं लादी जायगी और हिन्दी अहिन्दी-भाषियों पर तब तक नहीं लादी जाएगी जब तक वह न चाहें। इस की मान्यता सरकार को माननी चाहिए। इस के साथ-साथ मैं एक बात और भी कहती हूं उन लोगों के लिए जो आज इस बात को समझते नहीं हैं। हमारे बच्चे जो आन्दोलन कर रहे हैं शायद वह इस बात को नहीं समझते हैं अध्यक्ष महोदय। परन्तु मैं यहां पर एक बात आप के सामने रखना चाहती हूं। वह यह कि हमारे देश में हम ने मान्यता दे दी क्षेत्रीय भाषाओं को। तमिल मद्रास में पढ़ायी जाएगी। बिहार में हिन्दी पढ़ायी जाएगी। आन्ध्र में तेलुगू पढ़ायी जाएगी। पंजाब में पंजाबी पढ़ायी जाएगी। बंगाल में बंगाली पढ़ायी जाएगी। सारे हिन्दुस्तान की सीमाओं को हम ने एक माना है अपनी नौकरियों के लिए। मैं आप के सामने कहती हूं इस बात को, एक मद्रासी नवजवान अफसर या एक तेलुगू प्रदेश का अफसर हमारे बिहार में आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जातीयता, प्रान्तीयता आदि से ऊपर उठकर वह काम करता है। हम तो चाहते हैं कि इस तरह की एकता हमारे देश में आए। परन्तु मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं जिन्हों ने इस बात को मान लिया कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो, उस के बाद क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होने के बाद जब हम सीमा में बंध जाएंगे, जब तमिलनाड की भाषा तमिल होगी, तेलुगू प्रदेश की भाषा तेलुगू होगी, मैसूर की भाषा कन्नड़ होगी, पंजाब की भाषा पंजाबी होगी, तो कौनसी भाषा में तामिलनाड का आदमी महाराष्ट्र में जाएगा और महाराष्ट्र का आदमी बंगाल में जाएगा तो बात करेगा? कौन सी भाषा में बात करेगा? इस बात का मुझे जवाब दें?

SHRI NAMBIAR : We will learn Hindi when we go to Bengal but do not impose it on us.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं मानती हूं इस बात को। मैं भी सिर्फ यही चाहती हूं कि दस वर्षों के अन्दर आप इस बात को महसूस करें कि आपको करना है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहती हूं, आप एक उदाहरण के लिए ले लें कि एक तामिलनाड के लड़के ने तामिल में शिक्षा पाई, हिन्दुस्तान की नौकरी में उसको चुन लिया गया और अखिल भारतीय सरकार का वह मुलाजिम हो गया। उसके बाद जो भी आल इंडिया सर्विसेज के लिए आए उससे कहा जाता है कि आप अपने प्रदेश में नही जाएंगे, आप दूसरे किस प्रदेश में

में जाना चाहते हैं लिख कर दे दीजिए। वह लड़का या लड़की लिख कर दे देते हैं कि हम इन प्रदेशों में जाएंगे। उस समय भी वही प्रथा रहेगी और हिन्दुस्तान को आप को एक में रखना है। तो जब उन प्रदेशों में वह लड़का या लड़की जाएगा, मान लीजिए मद्रास के किसी नवजवान लड़के ने यह कहा कि मैं महाराष्ट्र जाऊंगा तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि जब वह महाराष्ट्र जाएगा तो उस के लिए जरूरी होगा या नहीं कि भाषा ऐसी जाने जिससे कि महाराष्ट्र के लोगों से आदान प्रदान कर सके। उस के बाद वह हो सकता है कि गुजरात जाए, बंगाल जाए। तो उस के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सीखना तो मुश्किल होगा। इसीलिए उस के लिए जरूरत इस बात की होगी कि एक ऐसी भाषा वह जाने जिससे वह कम से कम हिन्दुस्तान के हर कोने में उस को लोग समझ सकें और वह लोगों को समझ सके। और हिन्दी.....(**व्यवधान**).....यह आप के चाहने या न चाहने से नहीं, बल्कि यह सत्य है, यथार्थ है, इससे आप आंखें बन्द नहीं कर सकते कि हिन्दी जान कर कन्याकुमारी जा कर के भी लोगों को हम पाते हैं जिनसे बातचीत कर सकें। मैं तो अभी मद्रास गई पब्लिक एकाउंटस कमेटी की मीटिंग थी। मद्रास के गेस्ट हाउस का जो बेयरा था मैं उससे अंग्रेजी में बात करूं वह हिन्दी में जवाब दे। मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने कहा कि भइया, मैं तो समझती थी कि तुम हिन्दी नहीं जानते, पर तुम तो इतनी अच्छी हिन्दी बोलने लगे तो मैं तो हिन्दी में ही तुम्हारे साथ बात करूंगी। अभी भी डी०एम०के० के लोग हमें हमेशा कहते हैं कि तारकेश्वरी जी, हिन्दी में बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। तो ऐसी बात तो है न कि चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे हिमालय हो, चाहे पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो चाहे महाराष्ट्र में सांगली हो, हिन्दी जानने वाला आदमी कहीं भी अपने को समझा सकता है और दूसरे की बातें समझ सकता है। इसलिए इस बात की जरूरत है.....

SHRI NAMBIAR : Go slow with Hindi.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : परन्तु मैं नम्बियार साहब से यही कहना चाहती हूं कि कोट-पैंट पहन लेने के बाद और फाउंटेन पेन लगा लेनेके बाद इस बात का एहसास रखें कि आप के बच्चों को भी कोट-पैंट पहनने और फाउंटेन पेन लगाने की सुविधा हो जाये। मैं यही कहना चाहती हूं। यह लड़के तो तामिलनाड वालों ने कहा कि हम हिन्दी नहीं पढ़ायेंगे, मैं कहती हूं कि तामिलनाड ने अपने बच्चों के साथ अन्याय किया है। हिन्दी नहीं पढ़ायेंगे तो जायेंगे कहां ?

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore) : Don't bother about that. We know how to protect our children.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जरूर बादर करेंगे। जरूर कहेंगे क्योंकि मद्रास हमारे देश का हिस्सा है। आप को नहीं जरूरत है लेकिन देश ने आप को वकालत नहीं करने को कहा है मद्रास की। मद्रास की वकालत हम को भी करने को कहा है। इस बात की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप न बात कीजिये और आप नहीं चाहते हैं। लेकिन यह अगर आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही हैं जो मद्रास के बारे में बात कर सकते हैं तो यह बात नहीं है। हम लोगों को हक है सारे देश के बारे में बात करनें का। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि उन बच्चों के लिए इस बात का इन्तजाम कीजिये कि कम से कम वह हिन्दी पढ़ें, वह दूसरी भारतीय भाषा पढ़ें, मराठी पढ़ें, पंजाबी पढ़ें, गुजराती पढ़ें, बंगाली पढ़ें, तेलुगू पढ़ें, कन्नड़ पढ़ें, जिससे कि उन का रास्ता थोड़ा फैलाव का हो जाये, खुल जाय सारे हिन्दुस्तान में भ्रमण करने के लिए। उन को रेगिस्तान में मत चलाइए। वह बच्चे नासमझ हैं। उन बच्चों को समझाने की जरूरत है। परन्तु आप उन बच्चों के साथ इतने बच्चे न बन जाइए कि अपने को भी ले डूबिए और उन बच्चों को भी ले डूबिये।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए फिर से अपील कर के बैठती हूं कि यह सदन इस भाषा विधेयक को पास करेगा संशोधन के साथ जो संशोधन मुख्यत: इस बात

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

का है कि हिन्दी अहिन्दी-भाषी प्रान्तों पर नहीं लादी जायेगी और अंग्रेजी हिन्दी भाषी प्रान्तों पर नहीं लादी जायगी। इस संशोधन के साथ भाषा विधेयक पास हो। और एक खूबसूरती से, एकता की भावना से हम आठ दिन के बाद इस संसद भवन के बाहर निकलें तो हम हिन्दुस्तान की एकता के नाम पर सिर उठा कर चल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कह कर बैठना चाहती हूं कि हम एक हैं, एक हो कर रहेंगे। सिर्फ ऐसे लोगों को जरा समझा दीजिए कि उस एकता पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश न करें। अगर कुल्हाड़ी चलाने का ढंग नहीं आता हो तो कुल्हाड़ी हाथ में नहीं पकड़नी चाहिए। मैं इतना ही कह कर बैठती हूं।

SHRI R. R. SINGH DEO (Bolangir): Mr. Chairman, Sir, even though the Official Language (Amendment) Bill, 1967 is not what I should have wished it to be I intend to support it.

The purpose of the Bill is very clearly mentioned in the Statement of Objects and Reasons. It is in accordance with the assurances given by the Prime Ministers from time to time that Hindi will not be imposed on any non-Hindi speaking State which is not prepared to accept it. I appreciate this stand fully because in a federal democratic country like India, we have to take the views of every State into consideration and nothing can be imposed against the will of the people, and more so a language.

A great amount of heat is generated by the Hindi protagonists about this Bill. They forget the basic fact that over-enthusiasm and over-doing are very often misunderstood and, therefore, resented. Even a just cause might evoke resentment if it is overdone. Their love for their mother-tongue is perfectly justified....

श्री रामसेवक यादव : यह उच्चारण ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय।

SHRI R. R. SINGH DEO: You keep quiet. (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN: Don't interrupt him.

SHRI R. R. SINGH DEO: But their mother-tongue is not the mother-tongue of everybody in India. If that was so there would have been no problem. But India being a multi-lingual country, the lovers of Hindi must learn to respect the other people's mother-tongue. Hindi has already got the official recognition and to that extent they must feel happy. No other language has received so much official patronage and till now, the other languages have developed on their own.

There is an opinion expressed now to do away with English. It seems that those who say this cannot see the realities. If every State develops its own language, how would they communicate with their neighbours? No State would understand the other and it would lead to utter confusion. We must develop a common link before such a step could be taken. Do they want the Indians to become foreigners in their own country?

At a time when each Indian should strive for national integration, regionalism and unhealthy attempts to impose Hindi would be a great blow. We have provincialism, casteism, and communalism, which have hindered the progress of national integration substantially. If we add to all these another disturbing element known as linguism, it would lead to further weakening of national integration. Country comes above everything else. No sacrifice is great enough for the preservation of the country. We had an unfortunate Partition for political reasons. Having become wiser after that Partition, nothing should be done to further weaken India.

Hindi protagonists do not know the feelings of the non-Hindi-speaking States. They are all mobilising public opinion in Hindi-speaking States only where it is easy to gather support on a popular issue like this. If they are so confident about their cause, why do they not go to the non-Hindi-speaking States to popularise Hindi? If they succeed in convincing the non-Hindi-speaking States that the panacea is the acceptance of Hindi by them and if they accept it, the problem would be solved. But instead of that, mobilising public opinion in a place which gets benefited, only isolates the area from others and does no good to it.

I know of certain areas in Bihar where linguistic minorities are forced to learn Hindi. Even the minimum concessions provided in the Constitution are not made available to them. There is a systematic and regular attempt to abolish the Oriya language, culture and tradition from that area by the use of all official machinery and when that does not yield results, schools are closed, Oriya teachers are re-trenched and even hooliganism is used to intimidate the Oriya-speaking population to learn Hindi. But is that possible all over India ?

Political parties are trying to draw their strength from this means. It is a wrong move for any political party to gain strength by weakening India. Sir, if India lives, they live. Therefore, they would be well advised not to try to play up people's sentiments for partisan ends at the risk of the disintegration of the country.

16.55 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

The Bill offers all facilities to Hindi for those who accept it. In fact it has a better status than English. Time is given to lovers of Hindi to convince more and more people to accept it and until it is accepted, use of English is permitted. Therefore, there is nothing wrong in allowing more time for persuasion.

I do not want to repeat whatever has been said about English before, but the point which needs reiteration is that English is the international language, understood all over, developed in literature, science and technology. Those of them who are educated in English can make the best use of it. Sir, world has become much smaller after scientific advancement and we can now cover months' distance in hours. So, what is the idea in trying to insulate ourselves in the world which is growing smaller and smaller, by refusing an advantage we enjoy ?

Hindi language needs a lot of development to come to the level of languages like Bengali and Tamil. Even with spoon-feeding by this Government that has not been achieved. Original literature in Hindi is still lacking. Efforts must be made by Hindi writers to make the Hindi language more attractive. I know of people learning Bengali just to read Rabindranath in original, not because Bengali is a national language. So it is the quality of literature which attracts people of other languages to it.

In conclusion, Sir, I would appeal that no attempt should be made to oppose this Bill, which gives only the minimum facilities to non-Hindi speaking areas. The tolerance shown by non-Hindi speaking States should be appreciated by the Hindi-speaking States. According to the three-language formula, non-Hindi States seriously and sincerely started learning Hindi, but it is a matter of great regret that no South Indian language could make any headway in the north. Sir, unless the people of the north follow the maxim of give-and-take, they should not expect the same from others.

SHRI NAMBIAR : We will start Tamil classes for M.Ps. here.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : We have already started Tamil classes in U.P.

SHR R. R. SINGH DEO : In the end I would again appeal to the Hindi lovers to make our country their first love and then their language.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री द्विवेदी तथा माननीय सदस्या श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का आदर करता हूं और उन का समर्थन करता हूं ।

श्रीमन्, आज हमारे देश में सब से बड़ी जरूरत राष्ट्रीय एकता की है, मैं राष्ट्रीय एकता को सब से अधिक महत्व देता हूं । आखिर भाषा हमें किस लिये चाहिये, हमें हिन्दी चाहिए राष्ट्र की एकता के लिये, लेकिन यदि हम ने भाषा के प्रश्न को लेकर राष्ट्र की एकता को कमजोर किया तो न हम राष्ट्र की सेवा करेंगे न भाषा की सेवा करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजों की गुलामी फिर से मंजूर कर लो ।

श्री अमृत नाहाटा : अगर इसी आजादी से देश के टुकड़े होते हों तो मैं निश्चय ही

[श्री अमृत नाहाटा]

गुलामी पसन्द करूंगा बनिस्बत इसके कि देश के टुकड़े हो जायें... (**व्यवधान**)।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज प्रश्न हिन्दी का है, राजभाषा का है लेकिन मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर क्या करेंगे ? कौन से राष्ट्र की भाषा हम बोलेंगे ?

एक माननीय सदस्य : प्रश्न अंग्रेजी के हटाने का है हिन्दी लाने का नहीं है।

17 hrs.

श्री अमृत नाहाटा : यहां मैं उस के साथ सहमत हूं।

एक माननीय सदस्य : आप राष्ट्र के माने समझते हैं ? राष्ट्र के माने कांग्रेस नहीं है।

श्री अमृत नाहाटा : मैं राष्ट्र के माने आप से अधिक समझता हूं बाक़ी मैं इस समय उलझना नहीं चाहता।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज भाषा के प्रश्न को लेकर जिस प्रकार की हिंसा, जिस प्रकार की भावनाओं को उभारने का, जिस प्रकार के उद्वेगों को उद्वेलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है मैं इन के साथ अपने आप को सहमत होता हुआ नहीं पाता हूं। गैल्सवर्थी ने अपने 'लायलटीज' नामक नाटक में एक जगह लिखा है :

"People take sides quite outside the issue."

मेरी यह निश्चित मान्यता है कि आज उत्तर-प्रदेश में, दिल्ली में, लखनऊ में या आगरे में जो विद्यार्थी आज फरनीचर तोड़ रहे हैं, या कांच तोड़ रहे हैं या आग लगा रहे हैं वह अनुचित व गलत काम कर रहे हैं और देश की एकता के लिए वह नुक्सानदेह बात है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन को गलत तरीक़े से भड़काया गया है और इस बिल के विरुद्ध उन में भ्रामक प्रचार किया गया है, सही तौर से इस बिल के बारे में विद्यार्थियों को बताया नहीं गया है। केवल उन की भावनाओं को उभारने के लिए कहा गया है कि इस प्रकार से अंग्रेजी लादी जा रही है और हिन्दी को खत्म किया जा रहा है। इस प्रकार का ग़लत प्रतिनिधित्व करके गलत किस्म के भावनाओं को उभार कर हम हिन्दी की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत नहीं कर रहे हैं। इस बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में लोगों को चाहे वह जयपुर के हों, चाहे जोधपुर के हों और चाहे वे जैसलमेर के हों उन के दिलों में हिन्दी के लिए वही प्यार है, हिन्दी के लिए वही उत्साह है जैसे कि अन्य हिन्दी भाषा भाषी लोगों के दिलों में है। हिन्दी को वह अपनी राजभाषा मानते हैं। वह चाहते हैं कि हिन्दी समूचे देश की भाषा हो और सारे देश में हिन्दी बोली जाये लेकिन यदि कोई दल वहां ग़लत तरीक़े से प्रचार करके उन को भड़काने की कोशिश करेंगे तो हम उन के सामने सीना तान कर खड़े हो जायेंगे।

मेरा यह मत है कि जो बिल और प्रस्ताव आज सदन के सामने आया है वह हिन्दी की अभिवृद्धि के लिए है, हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिए है, हिन्दी की वह सेवा करने के लिए है न कि हिन्दी के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए है। मैं उन का सामना करने को तैयार हूं मैं उन्हें समझाऊंगा और मुझे विश्वास है कि वह इस बात को मानेंगे। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जब हम इतनी गम्भीर समस्या पर विचार करते हैं तो ज़रा संयम से, ज़रा संजीदगी से और ज़रा भावनाओं से ऊपर उठ कर इस विधेयक और इस प्रस्ताव को बहुत ही औबजैक्टिव ढंग से देखें कि आया वह आज की परिस्थिति में हमारी आशाओं की पूर्ति करता है अथवा नहीं करता है ? इसी दृष्टिकोण से उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं।

मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जो त्रिभाषी फारमूला बनाया गया वह बहुत ही संजीदगी से, बहुत गम्भीर विचार विमर्श

करने के बाद और बहुत दृढ़ता के साथ बनाया गया और मैं उस का तहेदिल से समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही मेरी निश्चित मान्यता है और मुझे अफसोस इस बात का है कि इस त्रिभाषी फारमूले को अपनाने के बाद ईमानदारी से, दृढ़ता के साथ और संकल्प के साथ इस त्रिभाषी फारमूले को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। मुश्किल यही है कि जब कुछ सही निश्चय लिया जाता है और जब उस सही निश्चय को कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो तरह तरह की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, तरह तरह की गलतफहमियां उठ खड़ी होती हैं और फिर हम उन में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन यह केवल त्रिभाषी फारमूले की ही बात नहीं है हमारी सरकार के बारे में अक्सर यह राय है कि वह बहुत अच्छी नीतियां निर्धारित करती है, बहुत अच्छा फारमूला निर्धारित करती है, बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाती है लेकिन उनका क्रियान्वन नहीं होता। यह कम से कम जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है, जो विधेयक हमारे सामने आया है एक आशा बंधती है कि भविष्य में कम से कम बहुत दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ इस त्रिभाषी फारमूले पर अमल किया जायगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं अभी दो महीने पहले करीब करीब देश के सभी राज्यों का दौरा करके आया हूं और मुझे इस बात की खुशी हुई यह देख कर कि तामिलनाड में, मैसूर में, आंध्र में बड़ी तेजी के साथ विद्यार्थी लोग हिन्दी सीख रहे हैं। आंध्र और मैसूर में मिडिल स्कूलों तक हिन्दी विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही है। वह हिन्दी पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे अफसोस है और मैं शर्म से अपना माथा झुकाता हूं यह देख कर कि हमारे जो हिन्दी समर्थक लोग हैं, जो हिन्दी भाषा भाषी लोग हैं और जोकि हिन्दी को अपनी राजभाषा बनाना चाहते हैं उन्होंने हिन्दी के प्रचार के लिए, हिन्दी के सृजन के लिए और हिन्दी के विकास के लिए उतना कार्य नहीं किया है जितना कि करना चाहिए था। केवल राजनीतिक प्रश्न बना कर हम ने हिन्दी को देश के सामने रक्खा। इसी के साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह निश्चित बात है कि हम ने किसी भी दक्षिण भारत की भाषा को उतना सम्मान और प्यार नहीं दिया जितना कि हमें देना चाहिए था। आज मैं मानता हूं कि पिछले 10-15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, बिहार में और राजस्थान में दक्षिण भारत की किसी भी भाषा को प्रोत्साहन दिया होता, हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया होता तो आज दक्षिण के लोग बड़ी खुशी से हिन्दी को अपनाते और हिन्दी के प्रयोग का कोई विरोध नहीं होता। दक्षिण के लोगों की भी मेरी समझ में यह गलती है कि जो वह ऐसा समझते हैं मानों हिन्दी कोई पराई भाषा हो और वह हिन्दी के मुकाबले में अंग्रेजी को अपना लेते हैं और हिन्दी को वह पराई भाषा मानते हैं। जहां दक्षिण भारत के लोगों की यह गलती है वहां हम भी इस अपराध से बरी नहीं हो सकते कि हम ने भी दक्षिण के लोगों को यह प्यार नहीं दिया, वह बंधुत्व नहीं दिया। उन के दिलों में यह विश्वास नहीं बैठाया कि हम भी उन की भाषाओं का उतना ही आदर करते हैं जितना कि हम अपनी भाषा के लिए उन के आदर की अपेक्षा करते हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि भविष्य में कम से कम सरकार की ओर से, हम सभी हिन्दी भाषा भाषी लोगों की ओर से बराबर इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि हम त्रिभाषी फारमूले को बहुत ईमानदारी के साथ और सही मायनों में कार्यान्वित करें ताकि हम जल्दी ही इस सारे देश में हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिला सकें।

इस त्रिभाषी फारमूले का अर्थ क्या था वह मैं जरा स्पष्ट करना चाहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह मंशा कभी नहीं थी कि त्रिभाषी फारमूले के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए अनन्त काल तक के लिए अंग्रेजी को हिन्दु-

[श्री अमृत नाहाटा]

स्तान के अन्दर रहने दिया जाय । मैं जहां तक इस त्रिभाषी फारमूले का अर्थ समझा हूं और जिसको काफ़ी हद तक हमारे इस विधेयक में और इस प्रस्ताव में प्रतिबिम्बित किया गया है और वह यह है कि अंग्रेजी को शनैः शनैः रोकना क्यों जरूरी है ? मैं उसे इस प्रकार समझता हूं कि एक स्थिति है जिसमें अंग्रेजी हमारे देश में छाई हुई है एक ऐसी स्थिति थी जब हम ने त्रिभाषी फारमूला अपनाने की बात की थी उस समय यह स्थिति थी । हम इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं जहां हम अंग्रेजी से हट कर हिन्दी पर आना चाहते हैं । यह संक्रमण काल जो होगा यह एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता । यह समय की सीमा बांध कर भी नहीं हो सकता । इंग्लैण्ड में अंग्रेजी भाषा कैसे प्रभुत्व में आई ? कहां पर अंग्रेजी को युनिवरसिटी में मान्यता प्राप्त करने के लिए 600 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा था । इसलिए अगर आप यह समझें कि एक दिन में या एक सप्ताह में या एक साल में यह संक्रमण काल समाप्त हो जायगा और अंग्रेजी देश से चली जायगी और उस का स्थान हिन्दी ग्रहण कर लेगी तो यह सम्भव नहीं है । अब वह संक्रमण काल कितना हो हम कोशिश कर रहे हैं कि वह कम से कम हो, 5 साल हो, 4 साल हो, 2 साल हो, हमें उसे यथासम्भव कम करने के लिए प्रयत्न करना है और उस में हमें अंग्रेजी को अपदस्थ करना है और उस के स्थान पर हिन्दी को आसीन करना है । उस संक्रमण काल के लिए त्रिभाषी फारमूला हम ने अख्तयार किया है जिसका कि अर्थ यह है कि शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर ले । शनैः शनैः हम एक ऐसी स्थिति में आयें कि जब हम हिन्दी को सारे देश में राजभाषा बना सकें और अंग्रेजी को वह स्थान न रहे जोकि इस देश में उसे प्राप्त रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह दृष्टिकोण हमारे सामने है, यदि यह दिशा हमारे सामने है कि हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और हमें भले ही धीरे धीरे क्यों न हो लेकिन निश्चित रूप से उस के लिए प्रयत्न करना है तो हमें अवश्य अपने उद्देश्य में कामयाबी मिलेगी । यह तो ठीक है कि हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और एकदम से हिन्दी अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती लेकिन इसके साथ साथ यह तय हो जाना चाहिए कि हमें निश्चित रूप से हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर बिठाना है भले ही यह कल हो, पांच वर्ष बाद हो, 10 वर्ष बाद हो, भले ही 50 वर्ष बाद क्यों न हो हम उस समय तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं लेकिन यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एक न एक दिन अन्ततोगत्वा हिन्दी इस समूचे राष्ट्र की राजभाषा बनेगी और अंग्रेजी के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा । दृष्टिकोण हमारा यह होना चाहिये, दिशा हमारी यह होनी चाहिए कि इस संक्रमण काल में हम शनैः शनैः इस दिशा की ओर अग्रसर हों ताकि अंग्रेजी को उसके वर्तमान स्थान से अपदस्थ करके हिन्दी को उसके स्थान पर आसीन कर सकें । उस दिशा की ओर अगर हमें बढ़ना है तो हमें इस संशोधन में और इस बिल में उस स्थिति को प्रतिबिम्बित करना होगा ।

चव्हाण साहब ने कहा है कि यह विधेयक और यह प्रस्ताव प्रतिबिम्बित करता है एक राष्ट्रीय कंसैंस को । एक बहुत ही नाजुक समझौते के आधार पर यह बना है । यदि हमें आज के संक्रमण काल की स्थिति में अभी समझौता करना है तो उस समझौते का केवल एक ही आधार हो सकता है और वह आधार यह हो सकता है कि अहिन्दी भाषी लोगों पर अगर हम हिन्दी न थोपें तो हिन्दी भाषी लोगों पर अंग्रेजी भी न थोपें । एक बार फिर मैं दौहराना चाहता हूं कि संक्रमण काल की दिशा यह होनी चाहिए कि शनैः शनैः अंग्रेजी को अपदस्थ कर हिन्दी को हम पदासीन करने की कोशिश करें । यदि इस दिशा की ओर हमें जाना है और इस दिशा की ओर बराबर बढ़ते जाना है और इस संक्रमण काल में

समझौता करना है तो समझौते का एक मात्र यही आधार हो सकता है कि हम दक्षिण के लोगों पर, अहिन्दी भाषा भाषी लोगों पर हिन्दी न थोपें तो हिन्दी भाषी लोगों पर भी हम अंग्रेजी को न थोपें। आज जो यह सोचते हैं कि हम हिन्दी नहीं चाहते हैं और हम इस त्रिभाषा फार्मुले को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमें यह मान कर चलना होगा कि आज नहीं तो कल हिन्दी लानी है और अंग्रेजी के स्थान को हमें हिन्दी को देना होगा और इसके लिए हम को यथोचित प्रयत्न भी करने होंगे। इसलिए मेरी यह निश्चित मान्यता है कि हमें इस बिल और इस संकल्प को इस समझौते का आधार मानना पड़ेगा, इस समझौते की बुनियाद मानना पड़ेगा।

यह कहा गया है कि इस विधेयक में एक राज्य तक को वीटो का अधिकार दिया गया है और कहा गया है कि वह चाहे तो हिन्दी को देश की राज भाषा बनने से रोक सकता है। अलग अलग इसके बारे में सुझाव दिए जाते हैं। कोई कहता है कि बहुमत के अहिन्दी राज्य, कोई कहता है कि दो तिहाई अहिन्दी राज्यों में से राज्य अगर हिन्दी को अपना लें तो फिर सारे राज्यों पर हिन्दी लागू कर दी जाए। मैं इस तरह के जो संशोधन हैं इनकी भावना का आदर करता हूं। लेकिन श्रीमन्, हम यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि अगर कुछ समय बाद देश के अधिकांश राज्य हिन्दी राज्य और अहिन्दी राज्य भी, हिन्दी को अपना लेते हैं तो क्या उस हालत में चाहे वह नागालैंड हो और चाहे मद्रास हो इस स्थिति में रह सकेगा कि वह हिन्दी को मानने से इन्कार करे ? कदापि नहीं रह सकेगा। उनको देश में प्रवाहित हो रही धारा के साथ चलना पड़ेगा और उनको भी हिन्दी माननी पड़ेगी। लेकिन आज अगर हम यह कहते हैं कि सब राज्यों के बजाय दो तिहाई या एक तिहाई राज्य भी जो आज हिन्दी का विरोध करते हैं, वे कल को विरोध करना बन्द कर दें तो हिन्दी को लागू कर दिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि उनके विरोध को हम और अधिक दृढ़ बनाते हैं, उनको और अधिक अपने से दूर हम फैंकते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक राज्य हिन्दी को अपना लें तो यह दृष्टिकोण हमारा सही है कि अपनी तरफ से हम कहें कि जब तक सारे के सारे अहिन्दी राज्य हिन्दी को नहीं अपना लेंगे तब तक अंग्रेजी भी हिन्दी के साथ साथ चलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि यह वीटो का अधिकार नहीं है। यह एक व्यावहारिक पक्ष है।

यदि हम इसको मानते हैं कि हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान लेना है और अंग्रेजी को शनैः शनैः हटना है तो कुछ इस प्रकार की धारायें इस विधेयक में और इस प्रस्ताव में हैं कि जो इस समझौते के आधार के अनुरूप नहीं हैं, जो इस समझौते के आधार के प्रतिकूल हैं। जो इस त्रिभाषा फारमूले की भावना के प्रतिकूल हैं, जो दिशा आपके सामने मैंने रखी है उसके प्रतिकूल हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि यदि केन्द्रीय विभाग का एक हिस्सा हिन्दी में पत्र लिखेगा तो साथ में अंग्रेजी का अनुवाद भी नत्थी करना पड़ेगा, तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, उसको निरुत्साहित कर रहे हैं, उसके ऊपर अंग्रेजी की मुहर लगा रहे हैं। इस प्रकार आप वास्तव में जिस दिशा में हमें आना चाहिये उस दिशा में आने से रोक रहे हैं। उस दिशा की ओर अग्रसर आप नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के जहां-जहां बन्धन हिन्दी के प्रयोग पर लगाये गये हैं, जो जो रुकावटें हिन्दी के प्रयोग पर डाली गई हैं उन रुकावटों को आप हटायें, अविच्छिन्न रूप से हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें ताकि जो हिन्दी में लिखना चाहें वे हिन्दी में लिख सकें और लोग मजबूर भी हों कि वे हिन्दी सीखें, हिन्दी पढ़ें। जो हिन्दी नहीं पढ़े हुए हैं उनको हिन्दी पढ़ने पर मजबूर भी तब आप कर सकते हैं।

[श्री अमृत नाहाटा]

जब तक हमारे देश की जनपदीय भाषाओं को, हमारे देश की क्षेत्रीय भाषाओं को, हमारे देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं को उनका पूरा तथा वांछित स्थान नहीं दिलायेंगे, उन्हें पूरी तरह से प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक हम सही मानों में राष्ट्रीय एकता की समस्या को हल नहीं कर सकेंगे । मैं बधाई देना चाहता हूं शिक्षा मंत्री को जिन्होंने यह निश्चय किया है कि हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा क्षेत्री भाषाओं के माध्यम से दी जाएंगी । इसके साथ साथ मैं यह भी चाहूंगा कि यू० पी० एस० सी० के बारे में जो प्रस्ताव में कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षायें होंगी, उसके बारे में कोई निश्चित तिथि तय की जानी चाहिये । यह कह देना कि हम यू० पी० एस० सी० से सलाह करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, काफी नहीं है । मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं को यू० पी० एस० सी० की परीक्षाओं का माध्यम बनाने के लिए दो साल के भीतर भीतर अवधि निश्चित की जानी चाहिये और उसके बाद हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि यू० पी० एस० सी० में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षायें हो सकें । कहा जाता है कि इससे देश विच्छिन्न होगा । मेरी निश्चित मान्यता है कि एक रूपता एकता नहीं है और विविधता विच्छिन्नता नहीं है । जिस रोज हम क्षेत्रीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलायेंगे स्वतः ही अंग्रेजी अपने वर्तमान स्थान से गिर जाएगी और इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि अंग्रेजी हटने के बाद उसका एक मात्र स्थान लेने वाली भाषा जो इस देश में है वह हिन्दी है । पिछले दरवाजे से लाने की यह बात नहीं है । असल बात यह है कि अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है, इस धरती में उसकी जड़ें नहीं हैं, यहां की जनता अंग्रेजी को अपनी भावनाओं के साथ एकरूप कर नहीं सकती है । इसलिए जो क्षेत्रीय भाषायें हैं, जो मातृभाषायें हैं उनको आप प्रोत्साहन दें, उनको आप यू० पी० एस० सी० परीक्षाओं का माध्यम बनायें, विश्वविद्यालयों में उनको आप शिक्षा का माध्यम बनायें । अगर आपने ऐसा किया तो अपने आप हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा बन जाएगी । मैं चाहता हूं कि एक निश्चित अवधि इसके लिए तय कर दी जानी चाहिये, एक निश्चित तारीख तय कर दी जानी चाहिये, एक सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिये कि जब यू० पी० एस० सी० परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षाओं का माध्यम बनाया जाएगा ।

असल में सारे झगड़े की जड़ क्या है ? यहां कहा गया है कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी परीक्षाओं के लिए । यह एक अजीब बात है । हिन्दी हमारे देश की राज भाषा है और हम कहते हैं कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी परीक्षाओं के लिए । यह बात किसी को मान्य नहीं हो सकती । अगर हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिए तो हिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिए अंग्रेजी भी अनिवार्य नहीं हो सकती है । लेकिन यह झगड़ा होता क्यों है ? इसलिए होता है कि डर है दक्षिण भारत के लोगों को कि फिर उत्तर भारत वाले, जिन की हिन्दी मातृभाषा है, वे लोग सेवाओं में अधिक चले जायेंगे । आज हकीकत यह है कि क्योंकि सब से पहले अंग्रेजी भाषा को दक्षिण वालों ने अपनाया और क्योंकि अंग्रेजी भाषा को उन्होंने अपने गले का हार बनाया, इस वास्ते आज अंग्रेजी भाषा के बल पर ही वे आगे बढ़ गए हैं और केन्द्रीय सेवाओं में उनका आज बहुमत है, उनका आज प्रभुत्व है, उन पर वे छाए हुए हैं । जो दक्षिण भारत के लोगों को डर है कि हिन्दी आएगी तो उत्तर भारत वाले नौकरियों में छा जायेंगे और उत्तर भारत वाले सोचते हैं कि अंग्रेजी रहेगी तो दक्षिण भारत वाले छा जायेंगे तो इस डर को दूर करने के लिए इसका एक मात्र हल यह है कि चूंकि प्रतिभा का ठेका, प्रतिभा की बपौती, प्रतिभा की इजारेदारी किसी एक प्रान्त वालों की नहीं है, सभी प्रान्तों में लोग हैं जो प्रतिभाशाली हैं और उन्हें

अवसर मिलना चाहिये, इस वास्ते हर प्रान्त की जनसंख्या के अनुपात में सेवाओं में उन प्रान्तों के लोगों के लिए स्थान निश्चित कर दिये जायें, उन का कोटा निर्धारित कर दिया जाए। जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाषा की बहुत सी गलतफहमी, बहुत से झगड़े खत्म हो जायेंगे और हम देखेंगे कि हर राज्य अपनी-अपनी भाषा में आगे बढ़ेगा और हिन्दी सभी राज्यों को मान्य हो जाएगी।

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए हमें यह दिशा निर्धारित कर लेनी चाहिये और इस दिशा की ओर हमें तेजी से बढ़ना चाहिए। त्रिभाषा फार्मुले को बहुत दृढ़ता के साथ लागू करते हुए हिन्दी को बहुत तेजी से बढ़ाते हुए हिन्दी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाते हुए, शनैः शनैः हम एक ऐसा वातावरण बनायें, एक ऐसा जल वायु देश में निर्मित करें कि जो हमारे सारे संशय हैं, सारे मतभेद हैं, सारी गलतफहमियां हैं, वे मिट सकें। भावनाओं से ऊपर उठ कर और बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत संजीदगी और संयम के साथ हम इन तमाम प्रश्नों पर विचार करें तो मुझे विश्वास है कि हम हिन्दी की बहुत बड़ी सेवा करेंगे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाएंगे।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (मेडक) : उपाध्यक्ष महोदय, समय मुकर्रर कर दीजिये ताकि हमें भी बोलने का अवसर मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : सब को मौका मिलेगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : बीस साल के बाद इस दिन में यह एक ऐसा विधेयक उपस्थित हुआ है जो मैं देश के लिए बड़ा भारी दुर्भाग्य समझता हूं। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, पढ़ाई मराठी में हुई है और बोलता मैं हिन्दी हूं। जिन्होंने संविधान बनाया उनके सामने भी एक कल्पना थी और इसलिए उन्होंने समय को बांधा था कि पंद्रह साल के अन्दर हम एक ऐसा कार्यक्रम बनाएं ताकि देश में 26 जनवरी 1965 के पश्चात हिन्दी राज भाषा बन जाए। किन्तु आज पंद्रह साल के बाद फिर दुबारा यह विधेयक पेश किया गया है। इसके पहले भी एक बार इस विषय में एक कानून बना था लेकिन उस में भी कोई अवधि नहीं रखी गई थी। 1963 में जो एक संशोधन आया था, उस में भी अवधि का कोई उल्लेख नहीं था, हालांकि संविधान में पंद्रह साल की जो व्यवस्था की गई थी, उस का कोई एक अर्थ था।

स्वराज्य के कुछ तकाजे होते हैं। स्वराज्य के पश्चात् माउंटबेटन केवल एक साल के लिए हमारा गवर्नर जेनरल रहा। लेकिन यदि कोई यह तुलना करे कि स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और माउंटबेटन में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, तो यह सवाल खड़ा नहीं होता है। स्वराज्य का यह तकाजा है कि देश का राष्ट्रपति इसी देश का होना चाहिए। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। माउंटबेटन बहुत अच्छा है, लेकिन वह इंग्लैण्ड में किसी पद पर रह सकता है।

वैसे ही हमारी सेना का प्रमुख आज सर क्लाड आचिन्लेक नहीं रह सकता है। यह सवाल तो खड़ा ही नहीं होता है कि जेनरल चौधरी, जेनरल करिआप्पा और सर कलाड आचिन्लेक में से गुणवत्ता किस में ज्यादा है। यह स्वाराज्य का तकाजा है कि अब इस देश का सेनापति कोई जेनरल करिआप्पा या जेनरल चौधरी या जेनरल थोरट हो। इस के लिए कोई पर्याय नहीं होता है।

वैसे ही यह स्वराज्य का तकाजा है कि देश का व्यवहार स्वभाषा में हो। इस के लिए कोई पर्याय नहीं होता है। अब हिन्दी कोई बड़ी विकसित, बड़ी समृद्ध और साहित्यिक दृष्टि से मौलिक भाषा है, इस कारण वह स्वभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं हुई। सब का मूल स्रोत संस्कृत होने के नाते काश्मीरी से ले कर मलयालम तक हर भारतीय भाषा उतनी ही समृद्ध हो सकती है और है। हिन्दी

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

को इसलिए स्वीकार किया गया कि अपने इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग हिन्दी भाषा को समझते हैं। मुझे अनुभव है कि 1930-31 के दिनों में जब मैं स्वयं प्रभात-फेरी में जाया करता था, तो कन्नड़-भाषी होने पर भी हम लोग ये हिन्दी गीत गाते थे, "विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा" और चरखा चला-चला कर लेंगे, स्वराज्य लेंगे। उस समय हमारे मन में यह भाव पैदा नहीं हुआ कि कन्नड़ भाषी होते हुए हम हिन्दी का गीत क्यों गायें। हम को लगता था कि टूटी-फूटी ही क्यों न हो, हिन्दी बोलना ही देश-भक्ति है। वह कपड़ा चाहे कितना भी मोटा या घटिया क्यों न हो, खद्दर पहनना देश भक्ति है; देश के बारे में गीत गाना देशभक्ति है। बचपन में, पाठशाला में पढ़ते समय भी, हमारा यह जो भाव था मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी आने के पश्चात् इन बीस सालों में हम लोगों ने इस के सम्बन्ध में जो कुछ किया, आज का यह विधेयक उस में हमारी असफलता का परिचायक है।

क्या इन बीस सालों में हम हिन्दी को प्रचलित करने और लोकप्रिय बनाने का जिम्मा केवल चलचित्र-पट पर नहीं छोड़ बैठे? अर्थात् देश भर में हिन्दी के चलचित्र, फ़िल्म्ज़ बनें और उन को देख कर लोग हिन्दी सीखें? क्या इस के आगे जाने की हमने कोशिश की? खैर कमीशन की रिपोर्ट में कुछ अच्छे सुझाव दिये गये थे जैसे तंत्रकी और शासकीय पारिभाषिक शब्दावली एक हो, हम ने उन पर अमल नहीं किया। आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे दिल में, मन में, हृदय में अपने देश के बारे में एक उत्कट भावना नहीं होगी, तो वह प्रत्यक्षतः प्रकट व्यवहार में नहीं आ सकती है। जब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लैंड में जा कर पढ़ें, तो कहना पड़ता है कि विद्या का मतलब हमारी समझ में नहीं आया।

भारतीय विचारधारा के अनुसार "सा विद्या या विमुक्तये"। मुक्ति इस देश का ध्येय है। किसी का बंधन, किसी की दासता, यह विद्या वाले का लक्षण नहीं हो सकता है। विद्यावान् वही है, जो इस से मुक्त है। मैं कहना चाहता हूं कि जितेन्द्रिय होना इस देश का ध्येय है। रसना और वासना तक का भी जो गुलाम नहीं बनना चाहता, रसना और वासना को भी काबू में रख कर जो मुक्ति पाना चाहता है, वह अंग्रेजी की दासता और गुलामी सहन करे, यह नहीं हो सकता है। अंग्रेजी अच्छी है या बुरी, यह सवाल नहीं है। इस में तुलना की बात आती ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में कोई भाषा है या नहीं।

हमारी हर भाषा को समृद्ध करने वाला संस्कृत का बड़ा विशाल महासागर देश हमारे में है। इसके बल-बूते पर हम हजारों वर्षों से हिन्दुस्तान में एक सुसंस्कृत दर्शन दे कर जीवन का आदर्श खड़ा कर के रहते आये हैं। हमारे कई कांग्रेसी मित्रों ने देश की एकता की बात कही। मैं उस का स्वागत करता हूं। देश बहुत बड़ा है, किन्तु इस देश में भाषायें भी कई चलती हैं, इस देश में कई जातियां हैं, इस देश में कई पन्थ हैं। इतना होने के बाद भी एक हजार साल पहले केरल में कालड़ी में पैदा हुए आचार्य श्री शंकराचार्य को कभी यह नहीं लगा कि पूरे देश भर में स्थान-स्थान पर मठों की स्थापना करने में दिक्कतें या अड़चनें आयेंगी। वे नहीं आईं। इन को यह नहीं लगा कि मैं यहां से वहां कैसे जाऊं, वहां से यहां कैसे जाऊं।

मुझे आप क्षमा करें, बार-बार दक्षिण वालों को दोष दिया जाता है, लेकिन दक्षिण वालों की बदनामी क्यों की जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। दक्षिण वाले अंग्रेजी के पक्ष में हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भी मद्रास में राजभाषा के रूप में तमिल को ही स्वीकार किया है, शिक्षा के माध्यम के रूप में तमिल को ही स्वी-

कार किया। बंगाल में भी वहां के लोगों ने अपनी उन्नत, विकसित और समृद्ध भाषा बंगला को ही राजभाषा और शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है, अंग्रेजी को नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में भी राजभाषा के और विद्या के माध्यम के रूप में कन्नड़, तेलगू, उड़िया और मलयालम आदि को ही स्वीकार किया गया है। अपने देश में हर एक भाषा समृद्ध है। इस लिए मैं दक्षिण वालों को दोष देने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिर मैं भी तो दक्षिण से आता हूं।

किन्तु सवाल यह है कि भाषा भाव को प्रकट करती है। कोई भाषा भाव को प्रकट करने की क्षमता रखती है या नहीं, यह सवाल है। भाषा क्या प्रकट करता है? आत्मा को प्रकट करती है, इस को भूलना नहीं चाहिए। जैसे, यदि हमें अंग्रेजी का प्रयोग करना हो, तो हम कहते हैं, "ही इज डेड"। किन्तु अपनी भाषा में हम कहेंगे, "उस का देहान्त हुआ" क्योंकि अपने विचार के अनुसार आत्मा अमर है, आत्मा मरती नही है। ही इज नेवर डेड, आई एम नेवर डेड,—देहान्त होता है, देह जाता है : भाषा आत्मा को प्रकट करती है। ज्यों-ज्यों हम दूसरी भाषा को स्वीकार करते हैं, त्यों-त्यों हम अपनी संस्कृति से दूर चले जाते हैं। जैसे, अंग्रेजी का प्रयोग करते करते हम कहने लगे हैं, "बोन्ज फ़ार दि लेट-कमर्ज," यानी जो देरी से आयेगा, उस को मांस नहीं, हड्डी मिलेंगी। यह यहां का रिवाज नहीं है। हमारे यहां कहते हैं, "अतिथिदेवो भव" इसी लिए भगवान् श्री कृष्ण ने रात के बारह बजे द्रौपदी से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। हमारे यहां कोई जब भी आयेगा, तो उस को भोजन मिलेगा। अगर देरी से आयेगा, तो दूसरी पंक्ति में भोजन मिलेगा अगर उस से भी देरी से आयेगा, तो तीसरी पंक्ति में भोजन मिलेगा। हमारे यहां बोन्ज फ़ार दि लेट-कमर्ज नहीं है। अपनी आत्मा को जो भाषा प्रकट नहीं कर पाती है, उस को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाषा आत्मा को प्रकट करती है। उस में रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस लिए भारत की कोई भी भाषा क्यों न हो, आसेतु हिमाचल, वह भारत की आत्मा को प्रकट करती है। श्री चव्हाण ने जो प्रस्ताव रखा है, उस में "काम्पोजिट कल्चर" का जिक्र किया गया है। भारत में जो विविधता है, अकारण ही उसके बारे में यह भ्रम हो गया है कि वह एक "काम्पोजिट कल्चर" है। हर देश के लिए एक संस्कृति होती है। कोई पूछे कि यह राष्ट्र है कैसे? हमारे और आप के बीच में कौन सा सम्बन्ध है? क्या समान्नता है? वह है हमारी राष्ट्रीयता। वह सिद्ध करती है हमारी संस्कृत। हमारे राजदूतों के लड़के मास्को में पैदा हों या वाशिंगटन में उन की संस्कृति रूसी या अमेरिकी नहीं बनती। वह भारतीय रहती है। क्यों रहती है? मां बाप का जीवन दर्शन ले कर यदि लड़का आये तभी हम कहते हैं कि वह भारतीय है। तभी हम कहते हैं कि वह हिन्दुस्तान का है। वह तो इस संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। परन्तु यह संस्कृति विविधता में विश्वास रखती है। Unity should never be misunderstood for uniformity सब को एक सांचे में ढालने का यहां का काम नहीं है। हजारों पंखुड़ियों वाला कमल जो होता है उस की हर पंखुड़ी से खुशबू निकलती है। पंखुड़ियां हजार हों लेकिन खुशबू एक निकलती है। यहां भाषा अनेक हैं भाव एक है। पंथ अनेक हैं परमात्मा एक है। आंखें दो हैं दिखता एक है। कान दो हैं सुनाई एक देता है। हाथ दो हैं कृति एक है। पांव दो हैं गति एक है। ऊपरी दिखने वाली जो विविधता है उस के अन्दर छिपी हुई मौलिक एकता को ले कर अगर हम चलेंगे तो आसेतु हिमाचल तक देश के अन्दर एकता भरी हुई है। यह एकता कई हजार वर्षों की संस्कृति के जरिए हमारे पूर्वजों ने दी है। भगवान श्री शंकर कैलाश के ऊपर बैठे है और माता पार्वती कन्या कुमारी में तप करने बैठी हैं कि विवाह करूं तो भगवान श्री शंकर से। पार्वती परमेश्वर के नाम पर

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

तपस्या करती हुई बैठी है। पूरे देश की एकता की कल्पना जिन महानुभावों ने की उस के दर्शन से, उस की केवल स्मृत्ति से मस्तक विनम्र होता है। उन्होंने देश को एक रखने की कोशिश की है। भाषा जाति सम्प्रदाय रहन-सहन खान-पान यह सब कुछ अलग होने के बाद भी हम एक हैं। जब हम यह कहते हैं कि खायें क्या ? इडली खायें, डोसा खायें, बड़ा खायें, कचौड़ी खायें या रोटी खायें तो इस का कोई सवाल नहीं है। जब तक हम को यह लगता है कि मैं जो कुछ खा रहा हूं वह जीवन का यंत्र चलाने के लिए खाता हूं, अहोरात्र यह जो एक यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ की सगिधा के रूप में खाता हूं, यह भाव जगत जब तक एक है, तब तक झगड़ा पैदा नहीं होता।

भाषा के नाम पर झगड़ा पैदा होने की कोई जरूरत नहीं थी। किन्तु दुर्दैव से 20 वर्षों में वह एकता का भाव नहीं आया। मन में जो एक प्यार था अंग्रेजी भाषा के लिए, उस प्यार के कारण, उस मोह के कारण देश भर में वह वातावरण पैदा नहीं किया गया। आज जो तर्क दिए जाते हैं, मुझको याद आता है अंग्रेजी राज के वास्ते यही तर्क दिए जाते थे। जब अंग्रेजों का शासन यहां कायम हुआ यही कहा जाता था कि अंग्रेजों ने शांति लायी वरना यहां बहुत गड़बड़ियां थीं और ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के जमाने में काशी से लकड़ी में सोना बांध कर आप काश्मीर तक घूमो या नीचे रामेश्वरम तक घूमो कोई उस को छूएगा नहीं। Not even Morarjibhai would dare touch under the Gold Control Order इतनी शांति इस देश के अन्दर उन्होंने पैदा की। कहने लगे कि अंग्रेजी राज अच्छा है और जब यहां अंग्रेजी राज को हटा कर स्वराज्य की मांग होने लगी तो यही विचार सामने आया कि :

Whether you want a good government or self-government.

स्वराज्य चाहिए या सुराज्य चाहिए ? आम भाषा चाहिए या अन्तर्राष्ट्रीय भाषा चाहिए? कोई कोई कहने लगे कि स्वराज्य चलाने की क्षमता भी है ? तो लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं को आगे बढ़ कर जवाब देना पड़ा कि इस देश के अन्दर स्वराज्य चलाने के लिए आई० सी० एस० अफसरों की जरूरत नहीं है। देश धर्म के नाते आपत धर्म के नाते 22 साल की विधवा स्त्री झांसी की रानी हाथ में हथियार लेकर अंग्रेज से लड़ने बाहर निकल आई तो ब्रिटिश जनरल भी देखता रह गया। तो वह देहरादून के किसी मिलिटरी कालेज में पढ़ी हुई नहीं थी। स्वराज्य के लिए इसकी जरूरत नहीं होती। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य प्राप्त किया, अष्ट प्रधान मंडल बनाया तो क्या उन्होंने लाक आन डेमोक्रेसी पढ़ी थी ? उस की कोई जरूरत नहीं है। तो उस समय जो तर्क दिए जाते थे कि आप स्वराज्य नहीं चला सकते क्योंकि आपके पास इतने आई० सी० एस० आफिसर नहीं हैं, आपके अंदर इतना सुधार नहीं हुआ है, इतनी शिक्षा नहीं हुई है, यह नहीं हुआ है, वह नहीं हुआ है, वही तर्क आज भी दिए जा रहे हैं। अंग्रेजी चली जायगी तो क्या होगा ? तो अंग्रेज चले गए तो क्या हुआ ? वही तर्क आज भी है। और कहीं कहीं तो यह भी बताया जाता है कि जब तक हिन्दी विकसित नहीं होगी तब तक उस को स्वीकार नहीं किया जायगा। एक बड़े महानुभाव ने कहा था, मैं उन का नाम नहीं लूंगा, जब कि पहले पहले विधवा विवाह लोग करने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन जब तक वह प्रचलित हो कर लोकप्रिय नहीं होता तब तक किसी को नहीं करना चाहिए। तो आज हम यदि यह समझें कि हिन्दी को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वह समृद्ध नहीं हो जाती, जब तक विकसित नहीं हो जाती, तो यह भी वैसी ही बात है। जब उस का उपयोग होने लगेगा जैसे कि आज यह बहस आई कि शैल का मतलब हिन्दी में क्या होता है ? 'होगी'

होता है 'रहेगी' होता है ? क्या होता है ?

Every word has got a connotation and a denotation; it denotes something, it connotes something.

उस का आन्तरिक भी एक विचार रहता है, एक बाहर का भी विचार रहता है । भाषा जैसे जैसे व्यवहार में आती जाती है वैसे वैसे शब्द का अर्थ निश्चित होता जाता है । उसी दृष्टि से शब्द का प्रयोग होने लगता है । तब जा कर उसी शब्द को लेकर हर एक चलता है । इसीलिए जब भाषा प्रयोग में ही नहीं आयेगी और जब बिलकुल विकसित और समृद्ध हो जायगी तब उसका विचार करेंगे, यह अगर तर्क है तो यह तो बिलकुल वैसा ही है जैसे किनारे पर बैठ कर यह सोचना कि जब तैरना आ जायगा तभी मैं पानी में पैर रखूंगा। आप हिन्दी को स्वीकार करें देशभक्ति के भाव से ।

कोई भी चीज जब हम स्वीकार करते हैं तो उसके पीछे प्रेरणाएं होती हैं । एक प्रेरणा होती है धर्म की, कर्त्तव्य की । दूसरी प्रेरणायें हैं अर्थ और काम की । यानी अर्थ और काम के लिए भी आदमी बहुत कुछ करता है । यह भाषा कई लोगों ने अर्थ और काम के लिए सीखी है । आज चलचित्र पर आप देखेंगे तो कई हमारी दक्षिण की जो अभिनेत्रियां हैं वह हिन्दी में काम करती हैं, हिन्दी में अग्रसरत्व उन्होंने प्राप्त किया । जब उन को पता चला कि तमिल तेलुगू और कन्नड़ में काम करने से बड़ा मार्केट नहीं मिलेगा तो संगम जैसे चित्रपट में काम करने वाली नायिका ने हिन्दी में काम किया और वह दक्षिण की ही हैं । तो लोग भाषा को सीखते तो हैं, भाषा को पसंद भी करते हैं किन्तु प्रेरणा अर्थ और काम की रहती है । इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि

If you want to learn a new thing, either you live alive or you marry a wife.

पुराने जमाने में योरप का इतिहास हम देखें तो ऐसे ही होता था । इंगलैंड और जर्मनी का भी जो संबंध रहता था तो क्या होता था ? जर्मनी से जो आते थे राजा वह क्या अंग्रेजी पढ़ कर आते थे ? यानी आपस में शादी चलती थी । अपने देश में भी चलती थी । अपने देश के राजा महाराजाओं का इतिहास आप देखें तो वहां भी आप को पता चलेगा कि शादी के बाद पत्नी की भाषा पति को या पति की भाषा पत्नी को सीखनी पड़ी है । सीखते थे । क्यों ? प्रेम । इसके कारण लोग बहुत बार भाषा सीखते हैं । मैं एक बार आन्ध्र में प्रवास कर रहा था । वहां एक साहब मिले, वह बोले कि बढ़िया घोड़ा देखोगे ? मैं ने कहा चलो । मैं देखने के लिए गया । घोड़े को सामने बुलाया यह कह कर कि बेटा सामने आओ । मुझ को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वह कैसे हिन्दी बोलते हैं ? फिर वह घोड़ा सामने आया तो बोले बेटा मेहमान आया है सलाम करो तो उसने गर्दन झुका कर सलाम किया । तो मैंने पूछा कि चौधरी साहब, आप तेलुगू भाषी होते हुए घोड़े के साथ हिन्दी में कैसे बोलते हैं ? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थयात्रा पर गया था । यह घोड़ा मुझे देखने को मिला । मुझे लगा कि यह जो बताया जाता है वह करता है इसलिए मैं ने खरीद लिया । घर आकर पता चला कि इस को केवल हिन्दी समझ में आती है तो मैं ने यह सोचा कि अब घोलुड़े को तेलुगू सिखाने के बजाय मैं स्वयं हिन्दी सीख लूं तो अच्छा है । तो घोड़े को तेलुगू सिखाने के बजाय उन्होंने स्वयं हिन्दी सीखी । यानी आदमी घोड़े को प्यार करता है तो घोड़े की भाषा सीख लेता है । यदि हम भारत मां को सही अर्थों में प्यार करें तो क्या भारत की भाषा नहीं सीखेंगे ? सवाल यह है कि हम भारत मां को पिछले 20 साल में प्यार करना धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं । इसलिए हर मामले में विदेशी चीजें हमें प्रिय हो रही हैं । विदेशी रहन सहन, विदेशी व्यवहार और इसलिए विदेशी भाषा में भी क्या लगता है ? जब सब कुछ विदेशी से रहे हैं तो विदेशी भाषा ने ही क्या

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

किया है ? यह वजह है इस के पीछे । मैं कहना चाहता हूं कि हजारों हजार साल जिस देश के अन्दर एक सुसंगठित जीवन दर्शन के नाते हम लोग एक हो कर रहते आये हैं । कई हजार संक्रमणों को परास्त करते हुए, आज भी हम खड़े हैं और आगे चलकर भी हम खड़े रहना चाहते हैं । इसलिये कोई यह कहे कि दक्षिण वालों को यह नहीं आता, वह नहीं आता, मैं उस को मानने के लिये बिलकुल तैयार नहीं हूं । कोई भी भाषा हो उस का ठीक ढंग से प्रचार हो । मैं अभी केरल गया था । अर्नाकुलम, कोचीन और त्रिवेन्द्रम में हिन्दी का प्रचार बहुत अधिक है । केरल से तो हिन्दी की एक मासिक पत्रिका भी निकलती है । वास्तव में हम लोगों को उसे गौरव दे कर के प्रशस्ति देकर आगे बढ़ाना चाहिए । उस की लोकप्रियता को पूरे देश भर में बढ़ाने का काम बहुत आवश्यक है । किन्तु सब से बुरी बात तो यही होती है, विदेशी शासन के खिलाफ जब हम झगड़ा करते हैं तो इसी लिए · · · · ·

SHRI NAMBIAR : Do it by love, not by force.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : That is what I am saying. I am saying the same thing.

तो देश की भक्ति सारे प्रदेश के अन्दर एकता का भाव—इन बातों को लेकर वास्तव में यह भाषा की समस्या कोई कठिन नहीं है । अंग्रेजी की दास्ता जो है, यह दास्ता सब से ज्यादा खराब होती है, यह स्वत्व के खिलाफ है । यह विदेशी आक्रमण जो आता है, विदेशी राज्य जो रहता है, उस में खराबी यही है कि वह धीरे-धीरे हमारे मन का जो भाव है वह उस भाव को खत्म कर देता है । कोई कहे—कि खत्म हो तो हो, क्या है ? लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक का विकास हो—तो बंधन में विकास नहीं होता, विकास मुक्ति में होता है । जब मैं अपनी मातृभाषा के साथ नहीं बंध सकता, जब दूसरी भाषा रखनी पड़ती है, तो मेरा पूर्ण विकास नहीं होगा । इसलिये हर देश में स्वभाषा में व्यवहार होता है ।

अब स्वभावतः यह बात जरूर आयेगी कि हमारे देश में विभिन्न भाषायें हैं, परन्तु जैसे संस्कृत हमारी सब से पुरानी भाषा है और लिपि चाहे अलग हो, परन्तु वर्ण-माला अलग नहीं है, सब का श्रोत संस्कृत है, केवल तमिल में कुछ वर्ण कम हैं, परन्तु वहां भी क–ङ, च–ञ, ट–ण, त–न, प–म, उसी वर्ण माला से हैं, तो जब एक ही श्रोत को लेकर हम इस देश में खड़े हैं, तो फिर इस में कोई कठिनाई नहीं आती है ।

मेरा विरोध इस से इस लिये है कि जो विधेयक लाया गया है, उस के अन्दर कोई योजना नहीं है बातें तो हम बहुत करते हैं, प्लानिंग की बात चलती है, परन्तु स्वदेश में स्वभाषा के व्यवहार के लिये कोई निर्दिष्ट अवधि न दे कर इस को बीच में ही छोड़ दिया है । इस लिये यह विधेयक स्वयं जो मूल संविधान बनाने वालों की भावनायें हैं, उन के विपरीत है । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाय । 1963 के पहले जो हुआ है, उस में तो खुली छुट्टी है, उस में अवधि भी बिलकुल बांधी नहीं है, लेकिन इस विधेयक के कारण तो एक छोटा सा नागालैंड यदि पूरे भारत पर अंग्रेजी थोपने का काम करे, तो कर सकता है । गांधी जी ने साफ कहा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं, इस का मतलब यह है कि हम अंग्रेजी राज्य के खिलाफ हैं । जब हम कहते हैं कि अंग्रेजी हटाओ, तो उसका मतलब यह नहीं है कि देश से अंग्रेजी को निकाल दो । हमारा मतलब है कि उस को सिंहासन से हटाओ, कालिज के स्थान पर लाइब्रेरी में बैठाओ । उस का स्थान वहीं पर रहे, हम और आप आजाद हैं, किन्तु भाव खोल

कर दुनिया की तरफ क्यों देखें, हर एक के लिये वह महाद्वार खुला है, उस के द्वारा हम सब को देखें, सब से साथ व्यवहार करें, लेकिन स्व-व्यवहार के लिये हिन्दी और देश की सभी भाषाओं को लेकर चलना होगा, हमारे लिये देश की सब भाषायें एक रूप हैं, केवल सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करना होगा । हिन्दी को लोकप्रिय करने के लिये यदि हम अब तक कार्य करते तो क्या सफलता नहीं मिलती और क्या यह विधेयक लाकर हिन्दी जल्दी आयेगी ? नहीं आयेगी, आपकी मंशा ठीक नहीं दिखती, 20 साल तक जिन्होंने कुछ नहीं किया, अब वे क्या करेंगे—यह कहना बहुत मुश्किल है । इसलिये हम कहते हैं कि समय निर्धारित करो, इस विधेयक से आप बंधते नहीं हैं, बल्कि यह विधेयक तो अंग्रेजी को बांधने का काम करता है, इस लिये इस को वापस लीजिये ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजभाषा संशोधन विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया है, जिस शक्ल में यह विधेयक आया है, मुझे खेद से कहना पड़ता है कि मैं और मेरे साथ बहुत से कांग्रेस जन होंगे, जो इस शक्ल में इसको अपनी मन्जूरी देने में परेशानी पायेंगे ।

यह भी बहुत खेद की बात है कि 20 साल बाद ऐसा विधेयक हमें यहां लाना पड़ा । इस में यही प्रतीत होता है कि जो काम करने के लिये हम ने प्रारम्भ किया था, उस काम में हम नाकामयाब रहे और अगर हम लोग सम्पूर्ण रूप से चेष्टा करते तो आज भारत काफी हिन्दीमय हो जाता और भारत के दूसरे प्रान्तों में भी लोगों में हिन्दी के प्रति प्रेम होता और लोग सीखते ।

मुझे याद है बहुत पुराने दिनों की बात है, मैं मद्रास में पहले-पहल गई थी, शायद 30 साल पहले गई थी, जब महात्मा जी वहां गये थे, और वहां की हिन्दी प्रचार समिति ने एक सभा रखी थी । उस सभा में कितने तमिल भाइयों और बहनों ने उनसे अपना प्रमाणपत्र लिया था और उस समय उन लोगों में कितना उत्साह था । उस उत्साह का कारण क्या था ? गांधी जी प्रेम से लोगों के अन्दर हिन्दी का प्रचार करवा रहे थे । उस समय क्योंकि हम लोग गुलाम थे, हम लोग हिन्दी को अपनी भारतीय भाषा होने में गौरव समझते थे । उस समय हम लोग अंग्रेजी भाषा को जबरन बोलते थे, क्योंकि हम समझते थे कि इससे हमें काम लेना है—ऐसी भावना थी । यह बात सही है कि हमारा राष्ट्र एक फैडरल स्टेट है, यहां नाना भाषायें हैं, नाना मत हैं, नाना प्रकार की वेशभूषायें हैं, नाना प्रकार के रस्मो रिवाज हैं, लेकिन इतना वैषम्य होते हुए भी एक समन्वय है—जैसा कि मुझ से पहले बहुत सुन्दर ढंग से जोशी जी बता रहे थे । हमारी एक संस्कृति है, उसी से हम हिन्दुस्तान हैं । हमारे देश की इतनी पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, हमारी संस्कृति इतनी विकसित है, इतना होते हुए भी कोई एक भाषा इस देश की भाषा न बन सके, तो हमारी संस्कृति और सभ्यता की कोई कद्र नहीं है, इस का कौड़ी का मूल्य नहीं है ।

मैं आपको बतलाऊं, अभी कल ही विजय लक्ष्मी जी बतला रही थीं, उन के साथ क्या क्या पेश आया था । जब वह रूस में गई और जब वह अपना क्रिडेन्शल पत्र देने लगीं तो उन्होंने बहुत लांछित किया कि तुम कैसे जंगली हो, क्या तुम्हारी अपनी भाषा नहीं है । मुझे याद है मेरे साथ भी ऐसा ही बीता था—मैं जर्मनी में घूम रही थी । हम लोगों को अंग्रेजी लिखने की आदत पड़ी हुई है, मैं अपनी नोट बुक में अंग्रेजी में लिख रही थी, वहां के एक व्यक्ति ने देख लिया—उन्होंने पूछा—क्या बहिन, आप लोगों की अपनी कोई भाषा नहीं है, जो आप अंग्रेजी में लिख रही हैं, मेरा सिर शर्म से झुक गया ।

SHRI NAMBIAR : She could have done it in Hindi.

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं अपना दोष बता रही हूं । तो इस मुल्क की इतनी पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, इतनी भाषायें होने के बाद भी कोई एक भाषा इस देश की भाषा न हो सके, जिस के द्वारा हम आपस के मनोभावों को दूसरों को प्रकट कर सकें, जिसको लिंक-लैंग्वेज कह सकें—तो यह बड़े शर्म की बात है, तौहीन की बात है । कोई न कोई भाषा जरूर बन सकती है, जो हमारी देश की हो ।

20 साल पहले हिन्दी के पक्ष में क्यों फैसला लिया गया था ? हिन्दी के पक्ष में इसलिये फैसला लिया गया था—जैसा हमारे जोशी जी ने बताया—इस लिये नहीं कि सब से ज्यादा विकसित भाषा हिन्दी थी, इसलिये कि हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों में हिन्दी बोली जाती थी । इस लिये समझा गया कि जब देश के ज्यादा से ज्यादा लोग इस भाषा को बोलते हैं, इस लिये इसको राज भाषा बनाया जाय । अगर हम देखते कि तमिल भाषा ज्यादा लोग बोलते हैं, तो हम तमिल के पक्ष में ही फैसला करते । हिन्दी की तरफदारी के लिये हिन्दी को नहीं बनाया, वास्तविक परिस्थितियों को देख कर ही यह फैसला हुआ कि सब से ज्यादा संख्या में लोग हिन्दी को बोलते हैं, इस लिये हिन्दी को बनाया गया ।

मैं अपने तमिल और दक्षिण के भाइयों से एक विनती करना चाहती हूं । हम लोग इतने होशियार हैं, हिन्दुस्तान भर के लोग, कि अंग्रेजी भाषा को हम ने अपना लिया और अंग्रेजी को अपनाने के बाद हम में कुछ इतना जोश चढ़ गया कि हम उस को मातृ भाषा ही समझने लगे और उसका इस्तेमाल करने में बड़ा गौरव समझते हैं और अपनी भाषा को ठीक प्रकार से बोल भी नहीं सकते हैं । मैं कहना चाहती हूं कि अगर हम अंग्रेजी सीख सकते हैं—जब कि अंग्रेजी का हिन्दुस्तान की दूसरी भाषाओं से कोई मेल नहीं है, हिन्दी और देश की अन्य भाषाओं का तो कुछ हद तक मेल भी है, तमिल भाषा जो संस्कृति से अलग मानी जाती है, उस में अन्य भाषाओं के शब्द मिलते हैं, क्या उसको नहीं सीख सकते ? तमिल, तेलुगू तथा दक्षिण की अन्य भाषाओं को लीजिये, वहां के कवियों ने, मनीषियों ने लेखकों ने अपने लेखों में, कविताओं में संस्कृति के अनेकों शब्दों का प्रयोग किया है । उन्होंने अपनी भाषा के साथ संस्कृत का व्यवहार किया है—त्यागराज, दीक्षितार, श्याम शास्त्री —आप इनकी कृतियों को पढ़िये, जब आप इनकी कृतियों को सुनते हैं, तो उन में बहुत से शब्द ऐसे हैं, जो समझ में आते हैं, संस्कृत को उन्होंने बहुत हद तक अपनाया है । ठिकाना, रामराज्य भूषण, विश्वनाथ सत्यनारायण—इन सब को आप सुनें तो आप देखेंगे कि इनकी कृतियों में बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग है । इसके अलावा दक्षिण में जो प्रबन्धम् स्तुति वैष्णव गाते हैं, उनमें संस्कृत भरी पड़ी है । तो वह वे लोग समझते हैं—इसका मतलब यह है कि सारा भारत संस्कृत भाषा से कुछ न कुछ वाकफियत, परिचय रखता है । जब दक्षिण के भाई इन कृतियों को समझते हैं, तो इस का मतलब है कि संस्कृत से उन का परिचय है और हिन्दी में तो संस्कृत भरी पड़ी है । कम से कम हिन्दी और तमिल, हिन्दी और तेलुगू, हिन्दी और कन्नड़, हिन्दी और मलयालम के कुछ न कुछ शब्दों से अवश्य परिचित हैं, परन्तु अंग्रेजी का कौन सा शब्द उन की भाषा से मिलता है । अंग्रेजी के दो-चार शब्द मामा, पापा—माता और पिता से थोड़े बहुत मिलते हैं, परन्तु जब हम इतने होशियार हैं कि हम अंग्रेजी को इतनी भिन्नता हुए भी सीख सकते हैं और समझते हैं कि अंग्रेजी के सिवाय दूसरी लिंक लैंग्वेज नहीं बन सकती, क्या हिन्दी को उस से कहीं आसानी से नहीं समझ सकते ? मैं बहुत विनती से उन से कहना चाहती

हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वे प्रयास करें तो आपने जितनी बढ़िया अंग्रेजी सीखी है, (बजाय इसके कि हम गलत अंग्रेजी बोलते हैं), उससे कहीं ज्यादा अच्छी हिन्दी हम बोल पाएंगे, और जल्दी सीख पाएंगे ।

हां यह बात सही है कि गलतियां हमारी हैं, हमारी सरकार की हैं । गलती हमारी पार्टी की है गलती सब पार्टियों की है । अगर विगत २० सालों में हम ने हिन्दी का प्रचार और प्रसार जैसे करना चाहिए था किया होता, जैसे लोगों को हिन्दी सिखाने का प्रयास करना चाहिए था ऐसा किया होता तो आज हमें यह नौबत देखने को नहीं मिलती ।

मुझे यह बात दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे कुछ ऐसे हिन्दी प्रेमियों ने हिन्दी के लिए अधिक उग्र तरीके से प्रचार किया । बहुत उग्र तरीके से प्रचार करना भी अच्छा नहीं होता । अति उग्र जब हो जाता है तो उस की प्रतिक्रिया भी उग्र भाव से होती है । इन्हीं सब कारणों से आज एक परिस्थिति ज़रूर देश में हो गई है जहां एक रैजिस्टैंस उस के लिए हो गयी है कि अहिन्दी भाई यह सोचने लगे हैं कि हम हिन्दी नहीं सीखेंगे चाहे कुछ क्यों न हो जाये । उस रैजिस्टैंस की भावना को उन के बीच में से उड़ा देने के लिए उस पृष्ठभूमि में आज यह विधेयक लाया गया है । आज देश के सामने एक परेशानी है, दिक्कत है और मैं समझती हूं कि अगर आज हम कहें कि हिन्दी भाषा सीखने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए, अहिन्दी भाषा भाषी थोड़ा समय और ले लें तो उस में कोई अनुचित बात नहीं होगी । इस मकसद से अगर यह विधेयक लाया गया है तो वह ठीक ही किया गया है ।

राजभाषा संशोधन विधेयक में बहुतसी बातें ऐसी हैं जो हमें पसन्द नहीं हैं और उन के लिए हम ने संशोधन मूव करने का नोटिस भी दिया हुआ है । जब इस पर बारीकी से बहस चलेगी तो मैं उन पर डिटेल में चर्चा करूंगी । अगर वह संशोधन स्वीकार नहीं किये जाते हैं तो मेरी समझ में वह लोग जो हिन्दी भाषा सीख रहें हैं उन के साथ हम अन्याय करने वाले हैं । एक तरफ़ जहां यह ज़रूरी है कि हम प्रेम से अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी अपनाने की तरफ़ खींचें, जबरदस्ती करने से नुकसान हो जायेगा वहां हमें यह भी देखना होगा कि जहां-जहां लोगों ने हिन्दी भाषा को अपना लिया है, उन स्टेटों में जहां युनिवरसिटीज़ में हिन्दी के माध्यम से पढ़ाई होने लग गई है, जहां पर कि लड़के हिन्दी में पढ़ने लग गये हैं क्योंकि हम ने २० साल पहले फैसला किया था कि हम सारे देश में राजभाषा हिन्दी को करेंगे उस सरकार के फैसले के अनुसार वह बेचारे हिन्दी पढ़ने लगे तो आज बैठे-बैठाये उन से कहा जाय कि तुम हिन्दी में अगर पत्र-व्यवहार आदि काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर यह पैनाल्टी लगेगी कि उस हिन्दी पत्र के साथ साथ तुम्हें उस का अंग्रेज़ी अनुवाद भी नत्थी करके भेजना पड़ा करेगा तो यह उन के साथ अन्याय होगा । आज इस विधेयक में जो झलक हमें दिखाई पड़ रही है और जिसके लिए हम लोगों को एतराज़ है वह झलक यही है कि जो यह कहा जा रहा है कि हिन्दी हमारी राजभाषा है, मतलब पहली राज-भाषा हमारी हिन्दी है और दोयम नम्बर यह अंग्रेज़ी एसोसिएट भाषा है, सह भाषा है मगर वास्तविक रूप जो अमल में इस में दिया जा रहा है.....

SHRI NAMBIAR. If you write it . .

SHRI SHEO NARAIN: What is this?

SHRI NAMBIAR: I am not objecting. If you write it in Hindi, without English translation, we are unable to understand it.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI: I will explain that. मैं यह कह रही हूं कि जहां हिन्दी की प्रगति हो गई है उन के ऊपर जबरन अंग्रेज़ी मत डालो । अब नम्बियार साहब ने सवाल पूछा कि अगर आप हिन्दी में हमें बगैर उस के इंग्लिश ट्रान्स-

[श्रीमति सुचेता कृपलानी]

लेशन से लिखोगे तो हम उस को समझ नहीं सकेंगे और उस हालत में क्या होगा ? मैं उन की यह बात मानने को तैयार हूं कि आप को जब हम चिट्ठी आदि लिखेंगे, हम अगर दो ऐसी स्टेटों में खतोकिताबत चलायेंगे जहां एक स्टेट में हिन्दी नहीं होगी तो वहां "इंग्लिश शैल बी यूज्ड नौटविदस्टेंडिंग एनीथिंग, इंग्लिश शैल बी यूज्ड"। अगर आप अभी हिन्दी नहीं समझते तो हम इंग्लिश में आप को समझायेंगे । हम चाहते हैं कि अपनी मनोभावना हम आप को समझाएं । भाषा हमारी हिन्दी है । चिट्ठी हम हिन्दी में लिखें लेकिन आप चूंकि उसे समझ सकें इस के लिए हम तैयार हैं कि उसका अंग्रेजी तर्जुमा साथ में जब तक आप हिन्दी न समझ सकें तब तक भेजें । हिन्दी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी सहभाषा है, दोयम भाषा है इसलिए अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के साथ हम हिन्दी भाषी लोग पत्र व्यवहार करते समय इसका ध्यान रखेंगे कि आप हमारी बात समझ सकें और जब तक आप हिन्दी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हम अंग्रेजी में आप को समझायेंगे । मैं ऐसा अव्यवहारिक रुख नहीं अपनाना चाहती कि आप समझें या न समझें मैं हिन्दी में ही आप को अपनी बात लिखूं । लेकिन यदि एक हिन्दी भाषी राज्य केन्द्र से पत्रव्यवहार कर रहा है तो हिन्दी पत्र के साथ इंग्लिश ट्रान्सलेशन होना जरूरीन हीं होना चाहिए या केन्द्र में ही परस्पर विभिन्न मंत्रालयों में या सबार्डिनेट आफिसैज से जो आपसी पत्र व्यवहार, सरकारी कामकाज हो वह अंग्रेजी में हो ऐसा मैं नहीं मानती हूं । वहां अंग्रेजी में होने का कोई सवाल नहीं है । वहां हिन्दी में काम होना चाहिए । अगर जरूरत पड़े तो अलबत्ता उस का अंग्रेजी ट्रान्सलेशन दे दिया जाय । लेकिन वैसे सारा काम सैंटर के विभिन्न मंत्रालयों में आपस में हिन्दी में ही होना चाहिए ।

संविधान नें आज १७ ने वर्ष पूर्व हिन्दी को राजभाषा के सिंहासन पर बिठा दिया है लेकिन व्यवहार में देखा जाय तो वह सिर्फ नाम के लिए ही है और इस विधेयक से भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि नाम के वास्ते तो कह दिया गया है कि हां हिन्दी तुम ऊपर सिंहासन पर बैठी हो लेकिन वह वैसे ही है जैसे किसी को फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग स्टेशन से बैठा तो दिया गया लेकिन दूसरे ही स्टेशन पर उसे फर्स्ट क्लास से उतार लिया गया हो । अब इस तरह का कैद रखना कि अगर कोई हिन्दी में चिट्ठी लिखने की जुर्रत करे तो साथ-साथ उस के उसे अंग्रेजी ट्रान्सलेशन जरूर देना पड़ेगा दोनों पार्टीज के लिए ट्रान्सलेशन देना जरूरी होगा तो इस से लोग हिन्दी में लिखने के लिए बजाय इनकरेज होने के डिस्करेज ही होंगे । हांलाकि हम यह कहते हैं

Hindi is our main language. Hindi is our official language, we accept it.

इस पर भी जब तक अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते थोड़े दिन तक उनको हिन्दी पत्रादि का अंग्रेजी तर्जुमा देने को हम तैयार हैं । लेकिन जैसा मैंने कहा हिन्दी को महज नाम के वास्ते राजसिंहासन पर बैठाया गया है व्यवहार में हिन्दी नहीं है, जैसे मुझे यह कहने के लिए माफ़ किया जाय कि हमारे हिन्दुस्तान में औरतों को देवी की तरह सिंहासन पर पूजने के लिए रख दिया गया है हालांकि सब जानते हैं कि औरतों की क्या हालत है ? घर पर औरत को झाड़ू, बुहारू, आदि सारे काम करने पड़ते हैं और उनको वह आदर नहीं मिलता जो मिलना चाहिए । ऐसा दोरुखा व्यवहार हिन्दी के बारे में आज चल रहा है । वैसे तो हिन्दी इतनी भारी देवी है लेकिन अगर उसे तुम ने इस्तेमाल करने का साहस किया, हिन्दी में तुम ने पत्र व्यवहार आरम्भ किया तो वैसा करने वाला डिसएडवान्टेज (असुविधा) में रहेगा और अंग्रेजी ट्रान्सलेशन देने के लिए उस पर पैनाल्टि लगेगी तो वह चीज ठीक नहीं है । इसीलिए मैं आज यह कहना चाहती हूं कि आज जो भावना है

कांस्टीट्यूशन में और जिस राजभाषा के पद पर हम ने हिन्दी को 18 साल पहले से ही बैठाया हुआ है उसे व्यवहार में भी मान्यता दिलायें। इन 18 सालों में भले ही अपनी नालायक़ी से अथवा और किन्हीं कारणों से हिन्दी को हम व्यवहार में नहीं लाये और उस को अपेक्षित स्थान नहीं दिला पाये हैं कम से कम आज इस विधेयक के जरिए यह भावना साफ़ दिखाई पड़नी चाहिए कि उत्तरोतर हम हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अंग्रेजी जब तक कुछ लोगों के लिए वास्तविक जरूरत हो उतने वक्त तक उस को चलायें लेकिन उस के लिए हिन्दी को डिसऐडवांटेज (नुकसान) में नहीं डालना चाहिए। बाक़ी दरअसल इस हिन्दी और अंग्रेजी के पीछे सारे झगड़े की जड़ में नौकरियां हैं। हमारे भारतवर्ष में आज से नहीं मैकाले के समय से सरकारी नौकरी की महत्ता समझी जाती रही है, हर एक शिक्षित नौजवान नौकरी पाने के लिए उत्सुक रहता है और अलावा नौकरी करने के उस की दृष्टि और कहीं नहीं जाती है। हमारे देश के नौजवानों के विकास की प्रगति का कुछ भी फाटक खुला है तो वह सरकारी नौकरी की प्राप्ति है। उस के ही सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए जैसा मैं ने कहा है इस हिन्दी अंग्रेजी के पीछे सारा झगड़ा यह सरकारी नौकरियां ही हैं। अंग्रेजी भाषा चूंकि वह किसी की भाषा नहीं थी वह एक विदेशी भाषा थी इसलिए सब को उस में बराबर डिसऐडवांटेज (असुविधा) थी लेकिन अगर हिन्दी हो जायेगी तो जाहिर है कि हिन्दी भाषा भाषी लोगों को औरों के मुक बले ऐडवांटेज (सहूलियत) हो जायेगी। They will have an edge over some दरअसल बात यह है, और उस में मैं मानती हूं कि कुछ सचाई भी है। इस के लिए हम ऐडजस्टमैंट कर सकते हैं लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि पिछले 20 साल में तो हम ने हिन्दी के लिए कुछ किया नहीं, हिन्दी हम लाय नहीं। अब 1965 के बाद आज यह मानना चाहिए कि कांस्टीट्यूशनल पोजीशन (संवैधानिक स्थिति) यह है कि हिन्दी इस देश की आफिशिएल लैंग्वेज है तब किसी न किसी तरीक़े से उसे सरकम्बैंट करके अंग्रेजी को ऊपर लाने की कोशिश की जाय। जरूरत इस बात की है कि ईमानदारी के साथ और एक निश्चित प्रोग्राम के साथ हम हिन्दी का विकास करें और व्यवहार में उसे लायें लेकिन यह शर्त्त आप ने क़ायम रखी कि अगर किसी ने हिन्दी में चिट्ठी लिखने की हिम्मत की तो उसे उस का अंग्रेजी ट्रान्सलेशन देना पड़ेगा तो कोई हिन्दी में लिख कर क्यों इतना फजीता मोल लेगा और हिन्दी कोई नहीं सीखेगा, किसी को पर्वाह नहीं होगी और उस हालत के रहते कौन इतनी तकलीफ़ उठायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या कल को अपना भाषण जारी रक्खें।

17.59 Hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : I beg to present the Tenth Report of the Business Advisory Committee.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 8, 1967/Agrahayana 17, 1889 (Saka).

L93LSS(CP)/67—1010—2-3-68—GIPF.